अष्टम माला, खंड 50, अंक 47

गुरुवार, 11 मई, 1989
21 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 50 में अंक 41 से 49 तक हैं)

61
5/3/90

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल
न्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 50, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 47, गुरुवार, 11 मई, 1989/21 वैशाख, 1911 (शक)

विषय		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र		13-14
राज्य सभा से संदेश		14
नियम 377 के अधीन मामले		15-19
(एक)	मध्य प्रदेश में मुरैना और फूफ के बीच एक रेल लाइन बिछाए जाने की मांग श्री कम्बोदीलाल जाटव	15
(दो)	वायुदूत की उड़ानों के सुरक्षित और सुचारु संचालन हेतु उड़ीसा में जयपुर हवाई पट्टी पर वायरलैस मशीन लगाए जाने की मांग श्री के० प्रधानी	15
(तीन)	राजस्थान में टोंक को रेल लाइन से जोड़े जाने की व्यवस्था किये जाने तथा सवाई माधोपुर और टोंक के बीच रेल लाइन बिछाई जाने हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कार्यवाही किए जाने की मांग श्री बनवारी लाल बैरवा	15-16
(चार)	उड़ीसा के कालाहांडी और बोलनगीर जिलों में पेयजल की कमी दूर किए जाने हेतु गहरे नलकूप लगाए जाने के लिए आधुनिकतम रिग तथा अन्य उपकरण प्रदान किए जाने की मांग श्री जगन्नाथ पटनायक	16
(पांच)	राजस्थान के बाड़मेर शहर में प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना किए जाने की मांग श्री वृद्धि चन्द्र जैन	16
(छः)	औद्योगिक देशों से तीसरे विश्व के देशों को विषाक्त कचरा निर्यात किये जाने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व तत्संबंधी तथ्यों के बारे में संसद को बताए जाने की मांग श्री सोमनाथ चटर्जी	17

पृष्ठ

(सात) विद्युत चाप भट्टी उद्योग को कच्चे माल की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने तथा लौह स्क्रैप पर सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क युक्ति-संगत किए जाने की मांग

श्री राम नारायण सिंह 17-18

(आठ) बिहार के पलामू और हजारीबाग जिलों में पेयजल तथा सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था किए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की मांग

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश 18

(नौ) पश्चिम बंगाल में विद्यासागर विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री बसुदेव आचार्य 18-19

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 19-60

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी० शंकरानंद . . . 19-20, 54-57

श्री सी० माधव रेड्डी 20-22

श्री विजय एन० पाटिल 22-23

श्री सत्यगोपाल मिश्र 23-24

श्री बुद्धि चन्द्र जैन 24-26

श्री वी०एस०कृष्ण अय्यर 26-27

श्री सोमनाथ रथ 27-28

श्री विजय कुमार यादव 28-29

श्री शंकर लाल 29-30

डा० दत्ता सामंत 30-32

श्री राम सिंह यादव 32-34

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 34

श्री डाल चन्द जैन 34-35

श्री शांताराम नायक 35-37

श्री सैयद शाहबुद्दीन 37-38

श्री जगन्नाथ पटनायक 38-39

श्री वी०एस० विजयराघवन 39-40

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी 40-41

श्री धर्मपाल सिंह मलिक 41-42

पृष्ठ

श्री पीयूष तिरकी 42-43

श्री अजीज कुरेशी 43-45

डा० गौरी शंकर राजहंस 45-46

श्री राम भगत पासवान 46

डा० फूलरेणु गुहा 47

श्री शरद दिघे 47-49

कुमारी ममता बनर्जी 49-50

श्री सी०पी० ठाकुर 50-51

श्री अब्दुल रशीद काबुली 51-53

प्रो० एन०जी०रंगा 53-54

खंडवार विचार 58-60

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री बी० शंकरानन्द 58-59

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 59

पंजाब अपक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली निरसन) विधेयक

(राज्य सभा द्वारा यथापारित) . . . 60-68, 69-74

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सन्तोष मोहन देव 60-61, 70-72

श्री बी०बी० रमैया 61-62

श्री गदाधर साहा 62-63

डा० गौरी शंकर राजहंस 63

श्री राम नारायण सिंह 64

श्री जी०एम० बनातवाला 64-67

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 67-68

श्री सैयद शाहबुद्दीन 69-70

खंडवार विचार 72-74

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सन्तोष मोहन देव 73

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक और किस्त जारी किए जाने के बारे में वक्तव्य

श्री बी०के० मढ़वी 68-69

पृष्ठ

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक 74-88

(राज्य सभा द्वारा यथापारित)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सन्तोष मोहन देव 74-75, 86

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 75-78

श्री रेणुपद दास 78-79

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) 79-82

श्री तम्पन थामस 82-83

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 83

कुमारी ममता बनर्जी 83-84

डा० दत्ता सामंत 84-85

खंडवार विचार 87-88

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री सन्तोष मोहन देव 87

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 87

डा० दत्ता सामंत 87

श्री तम्पन थामस 87

नियम 193 के अधीन चर्चा

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाया जाना 88-108

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश 88-91

श्री डाल चन्द्र जैन 91

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 91-92

श्री तम्पन थामस 93-94

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनु) 94-95

श्री केयूर भूषण 95-97

श्री हरीश रावत 97-101

श्री के०डी० सुल्तानपुरी 101-103

श्री अनादि चरण दास 103-106

श्री के० प्रधानी 106-108

लोक सभा

गुरुवार, 11 मई, 1989/21 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री दंडवते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लम्बित है। मैंने आपके सचिवालय के माध्यम से आपसे रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में विशेषाधिकार के हनन के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया एक ज्ञापन प्राप्त किया है। उनका पहला तर्क यह है कि अनुच्छेद 151 में ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई निश्चित अवधि होगी, दूसरे, उनका तर्क यह है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले उसका अध्ययन करने में दो या तीन सप्ताह का समय लग जाता है। अतः मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि जहां तक परम्परा और संविधान की भावना का प्रश्न है, यद्यपि इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया तो भी यह माना जाता है कि इसे शीघ्रता से सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा है कि उन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अध्ययन करने में तीन-चार सप्ताह लगेंगे।

जांच आयोग की रिपोर्ट के साथ-साथ सदन में की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होता है। अतः मैं समझ सकता हूं कि उन्हें तैयारी करनी होती है कि क्या कार्यवाही की जायेगी। किंतु जहां तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का प्रश्न है, उसमें कोई की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन नहीं होता तथा उसके अध्ययन का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस मसले पर अपना विनिर्णय दें और उन्हें यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखने का निर्देश दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : संविधान के अन्तर्गत यह अनिवार्य है। रिपोर्ट पर उनकी टिप्पणियों का कोई प्रश्न नहीं है।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : जहां तक मुझे याद है, समाचार-पत्रों की खबर यह है कि वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट चार सप्ताह पहले प्राप्त हुई थी। यह सही वक्तव्य नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आपको यह 27 अप्रैल को प्राप्त हुई। आपने अपने ज्ञापन में ऐसा कहा है।

श्री बी०के० गढ़वी : यही मैं भी कह रहा हूं। कृपया धैर्य रखें। हमें रिपोर्ट 27 अप्रैल को प्राप्त हुई। मैं वर्ष 1988 तथा 1989 में कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितने दिन लगे, बता

सकता हूं। साधारणतया, कुछ मामलों में इसमें 22 दिन, कुछ में 24 दिन लगे हैं, एक मामले में इसमें 46 दिन लगे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किस लिए ? वे उसका सम्पादन नहीं कर सकते। वे उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उन्हें केवल उसे फाइल करना होता है। **(व्यवधान)**

श्री बी०के० गढ़वी : हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तत्काल सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।

श्री बी०के० गढ़वी : वित्त मंत्री चीन में थे। जब कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाती है। उसे पढ़ा भी जाता है। यह देखने के लिए कि कुछ छूट तो नहीं गया, अथवा सब ठीक है या नहीं। इसका संकलन भी किया जाता है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : संकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभा पटल पर रखने से पूर्व अध्ययन की आवश्यकता क्यों है ? **(व्यवधान)**

श्री बी०के० गढ़वी : मैं इसे नहीं मानता। मंत्रालय में रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा इसे सभा पटल पर रखवाया जाना होता है। रिपोर्ट हमारे पास है। हम इसकी जांच कर रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आप क्या जांच कर रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : किस लिए ? आपको क्या जांच करनी है ?

श्री बी०के० गढ़वी : हम रिपोर्ट को बदल नहीं सकते। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : जिस रूप में सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसी रूप में सदन में प्रस्तुत करने में इन्हें क्या दिक्कत है।

[अनुवाद]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : वे क्या जांच कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब तक मंत्री जी का जवाब पूरा न हो जाये, वे आपकी बात कैसे सुनेंगे।

[अनुवाद]

मैं यही तो पूछ रहा हूं, इसीलिए मैंने उनसे स्पष्ट करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

आप उन्हें पहले बोलने दो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी०के० गढ़वी : वित्त मंत्री 9 तारीख की सुबह ही चीन से लौटे थे।

प्रो० मधु दंडवते : राज्य मंत्री का क्या हुआ ? वे तो चीन अथवा मलयेशिया नहीं गए थे।

श्री वसुदेव आचार्य : कोई तो मंत्रालय का कार्य-प्रभार संभाले था।

श्री बी०के० गढ़वी : अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत ऐसा अनिवार्य नहीं है। कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। किंतु हमारा ऐसा विश्वास है कि जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो, इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए। ऐसे उपयुक्त समय पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कोई अनुचित विलम्ब नहीं हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया अनुच्छेद 151 देखें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कलैंडर के अनुसार कल सत्र समाप्त होना था। इसका अर्थ यह है कि यदि अब यह अवधि बढ़ाई न गई होती तो सत्र समाप्त हो गया होता। अतः यह रिपोर्ट रखी न गई होती। मेरी जानकारी के अनुसार—मैं इसकी पुष्टि करना चाहूंगा—कि क्या वित्त मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् रक्षा मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दी गई। क्या यह अध्ययन का एक भाग है ?

प्रो० मधु दंडवते : आप रिपोर्ट में परिवर्तन नहीं कर सकते। आप इसकी जांच नहीं कर सकते। आपका काम इसे सीधे सभा पटल पर रखना है।

श्री बी०के० गढ़वी : सरकार रिपोर्ट में परिवर्तन नहीं करेगी। सरकार उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती।

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें इसे सभा पटल पर रखने के लिए समय क्यों चाहिए ? आप इसमें विलम्ब क्यों कर रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपने इसे रक्षा मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया है ?

श्री बी०के० गढ़वी : जब तक रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी जाती तब तक मैं आपको कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं मैं आपको कुछ नहीं बता सकता।

प्रो० मधु दंडवते : क्यों ?

श्री बी०के० गढ़वी : आप मुझसे किसी गोपनीय जानकारी की आशा नहीं रख सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्ययन करने का मतलब क्या है ?

श्री बी०के० गढ़वी : मैं कह नहीं सकता कि मंत्रालय में कैसे कार्य हो रहा है। यह गोपनीय मामले हैं। उन सब का उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता।

श्री वसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : सब कुछ अनियमित है।

श्री बी०के० गढ़वी : मैं अनुच्छेद 151 पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है :

"भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।"

अत: कोई निश्चित अवधि नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई विलम्ब नहीं हुआ। (व्यवधान)

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) क्या हम इस पर चर्चा करेंगे ? यह सब क्या हो रहा है ? आप उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर इस पर चर्चा क्यों नहीं करते ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसे तत्काल सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री बी०के० गढ़वी : इस बात के समर्थन में कि कोई विलम्ब नहीं हुआ है, मैं कहता हूं कि पहली रिपोर्ट सिविल वित्त तथा विनियोग लेखा, 1988 बाईस दिन बाद सभा पटल पर रखी गई। संघ सरकार विनियोग लेखा 30 दिन पश्चात्, रेलवे रिपोर्ट 20 दिन पश्चात्, अप्रत्यक्ष कर 23 दिन पश्चात्; प्रत्यक्ष कर रिपोर्ट 25 दिन के बाद, वैज्ञानिक विभाग रिपोर्ट 46 दिनों के पश्चात् सभा पटल पर रखी गई थी। दिल्ली प्रशासन रिपोर्ट 27 दिन तथा स्वायत्तशासी निकाय संबंधी रिपोर्ट 25 दिन पश्चात् और संघ सरकार (सिविल तथा सार्वजनिक ऋण और आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय) रिपोर्ट 78 दिन के पश्चात् सभा पटल पर रखी गई। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप केवल यह बता रहे हैं कि आपने कितनी बार गलती की।

श्री बी०के० गढ़वी : रिपोर्ट 27 अप्रैल को प्राप्त की गई थी और यह कहना कि रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करने के लिए अनुचित समय लिया गया है। ठीक नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : रिपोर्ट सभा पटल पर क्यों नहीं रखी गई, इसका एक भी कारण नहीं दिया गया।

श्री बी०के० गढ़वी : हमसे कोई कारण देने की अपेक्षा नही की जाती।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : सत्र 15 तारीख को समाप्त हो रहा है। यदि 15 तारीख तक रिपोर्ट नहीं रखी जाती तो सितम्बर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अतएव यह अलग-अलग मामलों पर निर्भर करता है। यदि संसद का सत्र न हो रहा तो 20-25 दिनों बाद प्रस्तुत की जा सकती है। किंतु इस जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के मामले में, जब संसद का सत्र चालू है और इसे 10 तारीख को समाप्त होना था, तो यह वित्त मंत्रालय का दायित्व था कि इसे 10 तारीख से पहले अथवा कम से कम अब 15 तारीख से पहले प्रस्तुत किया जाता। करना केवल यह है कि इसे राष्ट्रपति को भेजना था और राष्ट्रपति इसे सभा पटल पर रखवायेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : टिप्पणियों, सम्पादन अथवा किसी अध्ययन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप उन्हें इसे सभा पटल पर रखने का निर्देश दें।

श्री बी०के० गढ़वी : हमें इसे पढ़ना है और राष्ट्रपति को भेजना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है, "मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं यह उत्तर नहीं दूंगा कि रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेजी गई है अथवा नहीं ?"

श्री बी०के० गढ़वी : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह मानकर चलता हूं कि उन्होंने इसे रक्षा मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया है। यह नियमानुसार नहीं है। अध्ययन के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। इसे उससे पहले सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने स्वीकार किया है कि रिपोर्ट सरकार को 27 अप्रैल को प्रस्तुत की गई थी। और यह सरकार के लिए बाध्यकर है कि वह जितनी जल्दी संभव हो सके सभा के पटल पर प्रतिवेदन रखे। महोदय मेरे विचार से यह प्रतिवेदन अभी राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया है। यह रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है जो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए क्यों भेजा गया है। उनकी टिप्पणियां आवश्यक नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, आप मंत्री जी से एक संबद्ध प्रश्न पूछ सकते हैं कि वह क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं। यही एक सम्बद्ध प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका आपस में कोई मेल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यह यहां संविधान में है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रोसेसिंग किस लिए ? **व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : प्रोसेसिंग की जरूरत क्या है···**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप सदन की मर्यादा की रक्षा करें। **(व्यवधान)**

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों को भेजे जा सकते हैं। किन्तु प्रतिवेदन तुरन्त सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। इस बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व संबद्ध मंत्रालय की रुचि इसमें है क्योंकि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने इसकी आलोचना की है। यहां सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व यह मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए नहीं भेजी जा सकती। उन्हें यह यहां सभा पटल पर रखनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : सदन की मर्यादा की रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि वे लोग इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आप ठीक कहते हैं। प्रोसेसिंग का अर्थ है कि वह इसका अवलोकन करेंगे, उसमें आवश्यक परिवर्तन करेंगे और तत्पश्चात् इसे सभा पटल पर रखेंगे। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। आपने ठीक ही कहा है कि उन्हें रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है··· **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सही रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए। इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने से पूर्व रक्षा मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए क्यों भेजा गया है। **(व्यवधान)**

श्री बी०के० गढ़वी : ज्योंही प्रोसेसिंग पूरी होती है इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यह सरकार नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी·····**(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : प्रोसेसिंग की जरूरत क्या आन पड़ी ?·····**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया माननीय मंत्री महोदय से पूछें कि 'प्रोसेसिंग' शब्द से उनका क्या अभिप्राय है·····(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : आपका कहना है कि संकलन की जरूरत होगी । लेकिन संकलन की जरूरत क्यों है ?·····(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : संकलन का क्या अर्थ है ?·····(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप जानते हैं कि पनडुब्बियों के बारे में रिपोर्ट, सभा पटल पर सत्र के अन्त में रखी गई थी । ···(**व्यवधान**)

श्री बी०के०गढ़वी : मैंने प्रक्रिया और प्रोसेसिंग की बात की थी और ज्योंही यह काम पूरा होगा हम इसे सभा पटल पर रखेंगे । मैं इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि इस सत्र में रखी जाएगी या अगले सत्र में·····(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्यों नहीं दे सकते ?

श्री वसुदेव आचार्य : यह प्रतिवेदन इसी सत्र में सभा पटल पर रखा जाना चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह प्रतिवेदन इसी सत्र में सभा पटल पर रखने के बारे में मंत्री महोदय को निदेश देने में आपको क्या कठिनाई है ?·····(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कौन जानता है कि अगला सत्र होगा भी या नहीं·····(**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : आप सरकार को, सदन के स्थगित होने से पूर्व, प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने का निदेश दें··· (**व्यवधान**)

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, यदि यह इस सत्र में रखा जाता है तो लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट पर विचार कर सकेगी । अन्यथा, लोक लेखा समिति इस पर कैसे विचार कर पाएगी? ·····(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : वह यह नहीं चाहते·····(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : जब कभी बोफर्स की बात आती है तभी परेशानी उत्पन्न हो जाती है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 151 इस प्रकार हैं :

"भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।"

कृपया जितनी जल्दी संभव हो सके इसके अनुसार कार्य करें ।

(**व्यवधान**)

श्री बी० के० गढ़वी : मंजूर है, महोदय । मैं केवल यह कह रहा था कि रिपोर्ट सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी किन्तु इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है । कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । (**व्यवधान**)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : आप सरकार को निदेश नहीं दे सकते हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके जजबात उन तक पहुंचा दिए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आपको क्या निदेश हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे निदेश यह हैं कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें इस सभा पटल पर रखना चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : सदन के स्थगित होने से पूर्व (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गढ़वी जी, आप सभा के जजबातों को देखे तथा तदनुसार कार्य करें।

(व्यवधान)

श्री मधु दण्डवते : क्या सत्ता धारी दल का इरादा इस प्रतिवेदन को दबाने का है ?

श्री शान्ताराम नायक : आप समय पाबन्दी नहीं लगा सकते।

श्री बी० के० गढ़वी : हम इसे संसद से छुपाना नहीं चाहते। (व्यवधान) यह रिपोर्ट देखी जानी है और वित्त मंत्री के स्तर तक प्रोसेस की जानी है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वित्त मंत्री अभी तीन दिन पहले ही यहां पहुंचे हैं। इसलिए प्रोसेसिंग के पश्चात ही इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। और तत्पश्चात् यह सभा पटल पर रखी जाएगी। अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति इसे सभा पटल पर रखवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसें जल्द करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : 'प्रोसेसिंग' से आपका क्या अभिप्राय है ?

श्री बी० के० गढ़वी : प्रोसेसिंग का अभिप्राय है, रिपोर्ट पढ़ना, इसकी छानबीन करना, इसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना तत्पश्चात राष्ट्रपति द्वारा इस रिपोर्ट का पढ़ा जाना.....

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय कहते हैं "प्रोसेसिंग का अर्थ है रिपोर्ट का पढ़ना"। क्या हम यह मान लें कि उन्होंने यह रिपोर्ट अभी तक नहीं पढ़ी है ?

श्री बी० के० गढ़वी : मैं यह बात सरकार की ओर से कह रहा हूं कि प्रोसेसिंग में रिपोर्ट का पढ़ना भी शामिल है। यह राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। राष्ट्रपति भी यदि वह उचित समझे, तो इसे पढ़ेंगे। तत्पश्चात् राष्ट्रपति इसे सभा पटल पर रखवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तेजी से कदम उठाएं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसी सत्र में ?

अध्यक्ष महोदय : हां।

प्रो० मधु दण्डवते : सभा के स्थगित होने से पहले या हमारी मृत्यु से पहले, इन में से जो भी पहले हो।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि जनता शासन के दौरान प्रधान मंत्री राहत कोष के इस्तेमाल के संबंध में गम्भीर उल्लंघन हुए थे। यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, मैं दिलवा लेता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : एक विशिष्ट राजनैतिक दल के एक सदस्य ने इस कोष का दुरुपयोग किया था·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। मैं जान भी कैसे सकता हूं ? किन्तु मुझे देखने दें।

कुमारी ममता बनर्जी : यह अति आवश्यक है·····

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री शान्ता राम नायक : पंचायत विधेयक अभी तक सदन के समक्ष नहीं रखा गया है। किन्तु इस सदन के एक सदस्य द्वारा यह धमकी दी जा रही है कि यदि इसे प्रस्तुत और पारित किया गया तो वह इसे निरस्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह एक स्वतंत्र देश है।

श्री शान्ताराम नायक : जब तक विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक धमकी नहीं दी जा सकती। यह सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है। वह धमकी दे रहे हैं कि "यदि आप विधेयक प्रस्तुत और पारित करते हैं तो हम यह कर देंगे, वह कर देंगे"····· (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शान्ताराम जी, यह तो फ्री कन्ट्री है, कोई कहेगा कि कानून बनाएंगे, कोई कहेगा कि कानून नहीं बनाएंगे, आपकी गवर्नमेंट है, आप बनाइये।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : सदन सर्वोच्च है। कोई भी इस प्रकार से धमकी नहीं दे सकता ? उसे यहां आकर बोलना चाहिए। वह बाहर से धमकियां नहीं दे सकता····(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी, बोलिये।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : सर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेशन समाप्ति की ओर है और सरकार ने एक सूचना दी थी कि पत्रकारों के लिए गठित बाछावत वेज बोर्ड की रिपोर्ट 31 मई तक आ जायेगी। अब मुश्किल से 10-15 दिन बचे हैं, खास तौर से इस मामले पर रिपोर्ट की क्या प्रोग्रेस है, कहां तक पहुंचे हैं, सरकार कुछ कह देगी, तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नोट कर लें, बैरागी जी जो कह रहे हैं। मैं करता हूं।

[अनुवाद]

डा० वत्सा सामान्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : आयुध डिपो में भयानक आग लगने के कारण फिर कल नागपुर के लगभग 600 गांव वासियों को दूसरे स्थान पर ले जाया गया। पूरे आयुध डिपो में आग फैल गई। आग अभी भी लगी हुई है। दोनों आयुध डिपुओं में आग अभी भी लगी हुई है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

[अनुवाद]

डा० बत्ता सामन्त : सरकार इस बारे में वक्तव्य द।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : मऊ में स्वदेशी काटन मिल के बारे में मैंने लिखकर दिया है, आपको नोटिस भी दिया है। एक हजार मजदूर बेकार होने वाले हैं, गवर्नमैंण्ट की गल्ती से सरकार कुछ नहीं कर रही है उसमें।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कल आपने यह टिप्पणी की कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रश्न आपके विधाराधीन है और आप इसका समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या सभा की बैठक स्थगित होने से पहले इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, निश्चय ही इसका समाधान हो जाएगा। मैं इस पर विचार कर रहा हूं, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, मैं इस बारे में सारी जानकारी एकत्र कर रहा हूं, जो भी होगा, मैं इस बारे में आपसे भी बातचीत करूंगा। इधर देखिए, कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी किसी काम में गलती कर सकता है। हम जो कुछ कर सकते हैं, करेंगे। हमें कोई रास्ता खोज निकालना होगा। मैंने आपकी भावनाओं को जाना है और मैं देखूंगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी प्रश्न के मामले में संसद का यह इरादा कभी भी नहीं था कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी मांग केवल एक विशेष विपक्षी दल ने की है, अध्यक्ष महोदय समिति का अध्यक्ष चुन लें। दूसरे, जब हमने यह सुझाव दिया, मैं लोक लेखा समिति का तत्कालीन अध्यक्ष था। सत्तारूढ़ दल की ओर से मैंने यह सुझाव देना अपनी जिम्मेदारी समझा कि जहां तक संभव हो, विपक्षी दल के सदस्य को ही इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मेरी सलाह मानकर यह वर्तमान प्रक्रिया शुरू की। उस समय हमें यह उम्मीद थी कि एकमात्र एक ही मुख्य विपक्षी दल होगा जिसमें 50 से अधिक सदस्य होंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय ने हमेशा ही अपनी मनमर्जी की और इस बार जिन सज्जन का आपने जिक्र किया है, आपको पता होना चाहिए कि कितने साल से वह इस सभा के सदस्य हैं। वह 10 वर्षों से भी अधिक समय से इस सभा के सदस्य हैं। क्या वह इसके योग्य नहीं हैं ? क्या आपके लिए तथा उनके लिए भी यह औचित्यपूर्ण नहीं है कि उन्हें इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाए ? चूंकि आपने उन्हें अध्यक्ष चुने जाने के योग्य माना है, अतः मैं नहीं चाहता कि अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय बदल कर सभा का, उन सदस्य का तथा उस दल का अपमान करें जिसका वह सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से वर्तमान नियमों के अनुसार, कई बार सदस्य अत्यन्त महत्वपूर्ण या राष्ट्रीय महत्व के कुछ मामले उठाना चाहते हैं किन्तु वे किसी न किसी तरह बात मान लेते हैं और वह विशेष चर्चा नहीं करवा पाते। हम देख रहे हैं कि कुछ गोपनीय बातों के प्रकट होने अथवा कई बार सभा के नियमों में

किसी त्रुटि के कारण क्या कुछ हो रहा है। आपने कई बार कहा है कि आप सभा के नियमों और विनियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन चूंकि नियम तो बनते ही रहते हैं, क्या आप नहीं समझते कि इनको संहिताबद्ध किये जाने की जरूरत है? अभी अभी माननीय सदस्य इसी तरीके पर उत्तेजना व्यक्त कर रहे थे क्योंकि नियम यह नहीं कहते कि कोई पत्र एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। इसी तरह मैंने मार्च में विभिन्न गोपनीय बातों के प्रकाशन और शासकीय गुप्त बातें अधिनियम पर आधे-घंटे की चर्चा कराए जाने के बारे में कहा था। जो कुछ भी हो रहा है, वह दुर्भाग्य से 1923 के पुराने अधिनियम तथा इस सभा के उन नियमों के कारण हो रहा है, जो हमने अपने लिए बनाए हैं। जब तक हम उनमें संशोधन नहीं करते, यदि लोकतंत्र में हम नियमों और विनियमों को संहिताबद्ध नहीं करते और किसी मामले में पहले ही की भांति विचार किया जाता है तो मुझे संदेह है कि इस बारे में भ्रम उत्पन्न होंगे अथवा स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। जैसे कि अल्प सूचना प्रश्न में, हमें इसका जवाब नहीं मिलता कि इसे अस्वीकृत कर दिया गया है, विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में जब तक हम पूछताछ न करें। हमें इसका जवाब नहीं मिलता कि इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। अतः महोदय, मेरा आपसे तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि क्या हमें इस संबंध में लिखित में उत्तर मिलना चाहिए अथवा नहीं कि किसी प्रश्न या चर्चा विशेष को अस्वीकृत कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि नियम समिति यदा-कदा मिलती ही रहती है और माननीय सदस्य हमेशा ही अपनी राय दे सकते हैं। प्रो० रंगा ने कई बार लिखा है और कई बार उन्होंने चाहा है कि नियमों में बहुत सारे परिवर्तन लाया जाएं।

प्रो० मधु दंडवते : स्थगन प्रस्ताव भी जोड़ा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : खैर, हम ऐसा कर सकते हैं और हम हमेशा ही इन नए प्रस्तावों पर विचार करते हैं और कुछ नए नियम इसमें जोड़े गए हैं। अब हम नियमों के बारे में एक नई पुस्तक तैयार कर रहे हैं। यदि और कुछ किया जाना हो तो सुझाव देने के लिए आपका स्वागत है, मैं इन सुझावों को नियम समिति के समक्ष रखूंगा।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : यह मात्र एक सुझाव ही नहीं है। सभा में देशद्रोह जैसे अपराध पर चर्चा नहीं की जाती और कोई दंड भी नहीं दिया जाता। जबकि 'सती' जैसे मामलों में तथा नए औषधि अधिनियम के अन्तर्गत लोगों को दंड दिया जा सकता है तथा फांसी की सजा भी दी जा सकती है। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, जो मुझे लिखित में देना चाहिए, बात यह है कि संसद में जो कुछ भी हो रहा हो, उसका स्वतः प्रकाशन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है, प्रश्न यह है कि हमें प्रक्रिया पर विचार करना होगा। लेकिन कार्य मंत्रणा समिति को कुछ विषयों पर चर्चा के लिये समय देना पड़ता है। एक सूची बनाई गई है जिसमें नियम 193 के अंतर्गत चर्चा किए जाने वाले विषयों को शामिल किया गया है। लोक लेखा समिति में उनका पता लगाना होगा और वे उसका पता लगाते हैं मैं उसके अनुसार चलता हूं और उन्हें आपके समक्ष रखा जाता है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : क्या देशद्रोह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या देशद्रोह संबंधी अल्प सूचना प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं हैं। क्या हमें लिखित में इसका उत्तर नहीं मिलना चाहिए कि इन प्रश्नों को अस्वीकृत कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप सबको सूचना दी गई है।

डा० कृपासिंधु भोई (संबलपुर) : महोदय, नियम 194 के अन्तर्गत मैंने संविधान के अनुच्छेद 75 को समाप्त किए जाने के बारे में प्रस्ताव का नोटिस दिया है क्योंकि हमने श्री ए०के० सेन और श्री वी०पी० सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा था। लेकिन आपने कहा कि इस पर सदन में चर्चा की जाएगी और आपने यह भी कहा कि "आप मानदंड निर्धारित कीजिए।" यदि कोई व्यक्ति किसी गोपनीय बात को प्रकट करता है अथवा मंत्री होने के नाते गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करता है, इसके लिए हमेशा के लिए मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए और इसका निर्णय सदन में किया जाना चाहिए। इस पर यहां अभी भी चर्चा की जानी है। महोदय संसद के कनिष्ठ सदस्य होने के नाते हम माननीय द्रोणाचार्य प्रो० मधु दंडवते की उत्तेजनापूर्ण बातें सुनकर बहुत आतंकित और भयभीत हैं। मेरे मित्र, श्री चौधरी जीन डिक्सन की भांति भविष्यवाणी कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : द्रोणाचार्य के साथ मेरी तुलना एक निंदाजनक टिप्पणी है। यह द्रोणाचार्य का अपमान है।

डा० कृपा सिंधु भोई : महोदय, मैं केवल इस संबंध में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

श्री हकभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, समाचार पत्रों में अक्टूबर 1988 में अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना का समाचार प्रकाशित हुआ है। यहां तक कि कुछ समाचार पत्रों ने पत्र भी लिखे हैं। सभा को इस रिपोर्ट पर चर्चा का अवसर नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हमने यह बात स्वीकार कर ली है। लेकिन हमें समय ही नहीं मिला। समस्या केवल यही है। हमने लोक लेखा समिति में इस पर चर्चा की थी और सदस्यों ने भी इस पर सहमति व्यक्त की कि हमें सदन में इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। समस्या केवल समय के अभाव की है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हमारे देश के युवा आज बैठकें और समारोह आयोजित कर रहे हैं। वे यह मांग कर रहे हैं कि मौलिक अधिकारों में काम करने का अधिकार भी शामिल किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर चर्चा के समय इसका जिक्र कर सकते हैं। मैं तब इस पर विचार करूंगा। 'बेरोजगारी' विषय पर चर्चा के समय इसका उल्लेख करने में सदा आपका स्वागत है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, केवल चर्चा से ही फायदा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना ही होगा। इस पर चर्चा करनी ही होगी।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, डा० भोई ने जो दंडवते साहब को द्रोणाचार्य कहा है, वह ठीक ही कहा है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा।

श्री बालकवि बैरागी : इनका जो चेला बनता है, उसी का अंगूठा कटवा देते हैं और सेन्ट्रल हाल में आपको कई कटे हुए अंगूठे मिल जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कालियाबोर) : मैंने असम-नागालैंड सीमा पर राजापुकुरी में 7 अप्रैल, 1989 को हुई नृशंस हत्याओं का मामला उठाया था और आपने दो बार रिपोर्ट मंगाई थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट आ गई है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या करूं मैं । इस पर डिस्कशन तो करवा दिया है ।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, रिपोर्ट का क्या हुआ ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस पर डिस्कशन तो हो गया है, मैं क्या करूं ।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, लेकिन रिपोर्ट का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं और क्या कर सकता हूं ?

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, यह मामला बहुत महत्त्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में नहीं जानता ।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, मेरा सुझाव है कि कार्य सूची में सम्मिलित विषयों की कार्य सूची में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए ताकि हम नियम 193 के अंतर्गत आज चर्चा करवा सकें । सूची में नियम 193 के अंतर्गत 4 विषयों पर चर्चा की जानी है और उन पर आज चर्चा करके कल हम विधेयकों पर विचार कर सकते हैं । **(व्यवधान)**

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, इस समय देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या पेय जल की कमी की है । अतः कृपया शीघ्र ही इस विषय पर यहां चर्चा करवाई जाए । **(व्यवधान)** महोदय हमारी समस्या यह है **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : कार्य मंत्रणा समिति में भी इसका निर्णय लिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इसकी अनुमति दी थी ।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, आपने इसकी अनुमति दी थी । लेकिन मेरा अनुरोध यह है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : सी०ए०जी० की रिपोर्ट जिस रूप में है वह उसी रूप में यहां आए ।

अध्यक्ष महोदय : जितना मेरे पास में है, वही है, मैंने कुछ जेब में तो डाला है नहीं । न टाईम डाला है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पेय जल की कमी पर नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए न कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत। इस पर नियम 193 के अधीन ही चर्चा कराई जानी चाहिए। हम भी इसमें भाग लेना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर पहले ही सहमति दे दी है, इसे कार्य सूची में शामिल किया गया है।

श्री बृजमोहन महन्ती : आपने ऐसा मान लिया है किन्तु तथ्य यह है कि इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस पर आज ही चर्चा कराई जानी चाहिए क्योंकि उड़ीसा से ऐसे दुःख के समाचार मिल रहे हैं कि 12 लोगों को·····**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। आपका राज्य तथा राजस्थान भी इससे प्रभावित है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें। श्री जियाउर्रहमान अंसारी।

11.31 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और अधिकरण की समीक्षा आदि

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : महोदय, मैं श्री जियाउर्रहमान अंसारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय बन प्रबंध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पंचालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 7959/89]

वायुदूत लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) (एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 1960/89]

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०7961/89]

(तीन) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 7962/89]

(चार) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 7963/89]

(पांच) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 7964/89]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 7960 से 7964/89]

11.32 म०पू०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा से महासचिव के प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 10 मई, 1989 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 3 मई, 1989 को हुई उसकी बैठक में पारित किये गए रेल विधेयक, 1989 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालक नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 मई, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक की सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

11.33 म०पू०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य-प्रदेश में मुरैना और फूफ के बीच एक रेल लाइन बिछाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के चम्बल सम्भाग के मुरैना जिले में केवल एक रेलगाड़ी आगरा बम्बई मार्ग पर चलती है। ग्वालियर से इयोपुर कलां तक एक छोटी लाइन पड़ी हुई है, जिसका होना न होना बराबर है। मुरैना से फूफ तक आज तक कोई रेलवे लाइन नहीं डाली गई है। यह हिस्सा करीब 100 किलोमीटर का होगा।

इस हिस्से में बहुत कम बसें चलती हैं और रेल की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण लोगों को आने-जाने में बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ती है तथा सामान आदि लाने ले जाने में अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं।

अत: रेल मंत्री से निवेदन है कि मुरैना से फूफ तक सर्वे करा कर रेल लाइन बिछाने के आदेश देने की कृपा करें।

(दो) वायुदूत की उड़ानों के सुरक्षित और सुचारु संचालन हेतु उड़ीसा में जयपुर हवाई पट्टी पर वायरलैस मशीन लगाए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : हैदराबाद से राजामुंदरी, विशाखापत्तनम और जयपुर से होते हुए भुवनेश्वर को एक वायुदूत सेवा जाती है जो सांयकाल हैदराबाद वापस लौटती है। यह उड़ान दो वर्ष से चालू है। जयपुर की हवाई पट्टी उड़ीसा राज्य सरकार की सम्पति है। इस हवाई पट्टी पर कोई वायरलैस मशीन नहीं है। बादल और वर्षा ऋतु में जब स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता है विमान को हवाई पट्टी के मौसम की स्थिति और स्थान ढूंढने में भी कठिनाई होती है। हवाई पट्टी के आस-पास का स्थान पर्वतीय है अत: विमानचालक वहां विमान उतारने में भारी जोखिम से काम लेता है। कभी-कभी कम रोशनी के कारण उड़ान रद्द कर दी जाती है। यह वायुदूत सेवा यात्रियों को बहुत अच्छी सेवा उपलब्ध कराती है।

अत: मैं नागर विमानन मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उड़ीसा सरकार को जयपुर में वायरलेस मशीन स्थापित करने का आदेश दें जिसका आपरेटर हो जो सूचना प्राप्त करे और भेज सके ताकि किसी जोखिम के बिना विमानचालकों को इस हवाई पट्टी पर उतरने में सहायता मिले।

(तीन) राजस्थान में टोंक की रेल लाइन से जोड़े जाने की व्यवस्था किये जाने तथा सवाई माधोपुर और टोंक के बीच रेल लाइन बिछाई जाने हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कार्यवाही किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र टोंक (राजस्थान) का सर्वांगीण विकास आज तक नहीं हो पाया है। आजादी के बाद विकास की किरण इस जिले पर

भी कृपालु हुई। शिक्षा और खेतीबाड़ी के नये संसाधनों का यहां भी प्रवेश हुआ। लोगों को वैज्ञानिक आधार पर कृषि के उपकरणों के प्रति जानकारी प्रदान की गई लेकिन रेल के अभाव में हम प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो सके। आज सम्पूर्ण देश नवजागरण का प्रवाही पथ अलोकित हो रहा है लेकिन हम रेल के बिना अन्धकार में भटक रहे हैं। मैंने पिछले दस साल से टोंक को रेल से जोड़े जाने की मुहिम चला रखी है तथा हर स्तर में किसी न किसी रूप में उठाता रहा हूं। परन्तु अभी तक कोई ठोस कदम उठाये जाने का निर्देश नहीं दिया गया है। पिछले वर्षों में मेरे विशेष आग्रह पर सवाई माधोपुर से टोंक के लिये सर्वे कराये गये हैं। सर्वे रिपोर्ट भी मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है। लेकिन आज तक साधनों का अभाव बताकर इस मामले को टाला जा रहा है। इस विषय में तत्काल तथा सकारात्मक कदम उठाये जाने का आग्रह करता हूं।

(चार) उड़ीसा के कालाहांडी और बोलनगीर जिलों में पेय जल की कमी दूर किए जाने हेतु गहरे नलकूल लगाए जाने के लिए आधुनिकतम रिग तथा अन्य उपकरण प्रदर्शन किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : देश के विभिन्न भागों में पेयजल की गम्भीर कमी एक गहरी चिन्ता का विषय है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह समस्या और अधिक गंभीर है जहां संचार सम्बन्धी समस्या के कारण आधुनिक रिगों से नलकूपों के लिए खुदाई करना संभव नहीं है। उड़ीसा राज्य में कालाहांडी और बोलंगीर जैसे प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वनों को नष्ट करने के कारण जल स्रोत काफी नीचे चले गए हैं।

मवेशियों, पक्षियों तथा अन्य पशुओं की समस्या और भी गम्भीर हो गई है। पर्याप्त वित्तीय सहायता द्वारा औ: गहरे नलकूपों की खुदाई के लिए अत्याधुनिक रिगों, वाहनों तथा अन्य उपकरणों की सप्लाई करके युद्ध स्तर पर नीति निर्धारित करके काम होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्वास्थ्यकर परिस्थिति और अशुद्ध जल से कोई महामारी न फैलने पाये, सभी निवारक उपाय किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए कि कम से कम 2000 ई० तक पेयजल की कोई कमी न रहने पाये।

(पांच) राजस्थान के बाड़मेर शहर में प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के सीमावर्ती बाड़मेर जिले में रेडियो स्टेशन की स्थापना की स्वीकृति हुए करीब पांच वर्ष होने को आए हैं, परन्तु अभी तक रेडियो स्टेशन का भवन बना है, अभी मशीनरी नहीं लगाई गई है। स्टुडियो के निर्माण की गति बड़ी धीमी है।

अतः केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश के सीमावर्ती बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर में तीन माह के अंदर-अंदर रेडियो स्टेशन स्थापित किया जावे ताकि बाड़मेर जिले के दूरगामी क्षेत्र की जनता इसका लाभ उठा सके।

(छः) औद्योगिक देशों से तीसरे विश्व के देशों को विषाक्त कचरा निर्यात किये जाने सम्बन्धी संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व तत्संबंधी तथ्यों के बारे में संसद को बताए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस बात का पता चला है कि मार्च 1989 में सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधि विषैले अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन और निपटान पर नियंत्रण रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय करार सम्पन्न करने पर सहमत हुए हैं। करार का प्रयोजन औद्योगीकृत देशों से विकासशील देशों को विषैले अपशिष्ट पदार्थों के अवैध निर्यात को रोकना है। ऐसा विश्वास है कि इसमें यह उपबन्ध किया जाएगा कि अपशिष्ट पदार्थों का निर्यात करने वाले देशों को प्रत्येक खेप के लिए आयातकर्त्ता देश की लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए और उन्हें पर्यावरण की दृष्टि से एक सुरक्षित तरीके से अपशिष्ट पदार्थों का प्रबन्ध करना चाहिए। निसन्देह, इसे परिभाषित नहीं किया गया है।

फिर भी समझौते में अपशिष्ट पैदा करने वाले देशों पर यह उत्तरदायित्व नहीं डाला गया है कि वे अपशिष्ट पदार्थों का अन्तिम रूप से निपटान करें और जिन देशों में निर्यातक देशों के स्तर की सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। उन पर अपशिष्ट को आयात करने का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और न ही इसमें निपटान स्थलों की जांच समेत अत्याधुनिक जांच पद्धति पर ही बल दिया गया है। समाचार पत्रों में छपा है कि अपशिष्ट पदार्थों के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन को निरुत्साहित करने के लिए संधि में कोई निश्चित उपाय शामिल नहीं किए गए हैं। पर्यावरण संबंधी कार्य दल ग्रीनपीस के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय अपशिष्ट व्यापार से विकासशील देशों को बचाने की मांगों की उपेक्षा की गई है और समझौते में तीसरे विश्व के देशों को अपशिष्ट के निर्यात को वैध ठहराया है।

11.38 म०पू०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह बात मालूम नहीं है कि क्या भारत ने खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन तथा निपटान से संबंधित इस संधि पर हस्ताक्षर किये हैं या नहीं। यदि भारत सरकार संसद और लोगों को इस बारे में पूरे तथ्य बताये बगैर समझौते पर हस्ताक्षर करती है तो इससे हमारे राष्ट्रीय हितों पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन परिस्थितियों में मैं मांग करता हूं कि सरकार को सभी तथ्य यथासंभव शीघ्र बताने चाहिए और राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए।

(सात) विद्युत चाप भट्टी उद्योग को कच्चे माल की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने तथा लौह स्क्रैप पर सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क युक्तिसंगत किये जाने की मांग

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : देश का इलैक्ट्रिक आर्क फरनैस उद्योग जो मकानों के निर्माण के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को 70 प्रतिशत शलाकाए और रेलवे, तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ इंजीनियरी, आटोमोबाइल और परिवहन उद्योगों को विशेष स्टील सप्लाई करता है मूलभूत कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण एक नाजुक दौर से गुजर

[श्री राम नारायण सिंह]

रहा है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक वित्तीय नुकसान हो रहा है। अप्रैल 1979 तक इसके उत्पादों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगता था। अब यह शुल्क 383 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 525/- रुपये प्रति टन कर दिया गया है जिससे यह संशोधित इस्पात संयंत्रों के बराबर लाया गया है।

इस उद्योग को वर्तमान कठिन परिस्थिति से बचाने के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि (एक) कच्चे माल की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली उपाय किए जाएं (दो) लोहे की स्क्रैप के आयात पर सीमा शुल्क को समाप्त करने अथवा लोहे की स्क्रैप के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोत्तरी के पहले के स्तर पर लाने (तीन) और उत्पाद शुल्क को कम करके अप्रैल, 1977 के 105 रुपये प्रति टन के स्तर पर लाकर उसे युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए।

(आठ) बिहार के पलामू और हजारीबाग जिलों में पेयजल तथा सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था किए जाने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, वसंत ऋतु की परिसमाप्ति के बाद गर्मी की तेज आंच बढ़ती जा रही है और जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बिहार के पर्वतीय अंचलों में पेयजल की कठिनाइयां गुरुत्तर होती जा रही हैं। इस वर्ष बरसात की कमी की वजह से खरीफ एवं रबी दोनों फसलें प्रायः नष्ट हो चुकी हैं और अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। इसमें बिहार के पलामू जिले के लातेहार, चंदवा, बालूमाथ, मनातू, पांकी आदि प्रखंडों में विशेष रूप से पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। हजारीबाग जिले के चतरा, प्रतापपुर, अंटरगंज और गया जिले के झमरिया, इमामगंज, आमस, बाराचट्टी, मोहनपुर, फतेहपुर में पेयजल का संकट व्याप्त है। जमीन की नमी बहुत पहले ही समाप्त हो गई है और जल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। पेयजल की कठिनाई हो ही गई है, सिंचाई के सारे माध्यम जो यत्किंचित हैं, वे भी असफल हो चुके हैं।

जनहित में यथोक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार से मांग करता हूं कि युद्धस्तर पर पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था की जाए। उस पथरीले इलाके को देखते हुए सरकार का विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में डायमंड बोरिंग रिग मशीन उन क्षेत्रों में भेजी जाएं।

(नौ) पश्चिम बंगाल में विद्यासागर विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए अकेले ही पश्चिम बंगाल में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या की उच्च शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करना असंभव हो गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए सीटों में 10 प्रतिशत की वृद्धि इस बढ़ती हुई छात्र संख्या को दाखिला देने का लघु प्रयास था। अतः एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की गम्भीर आवश्यकता महसूस की गई।

नवम्बर 1975 में, तत्कालीन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई, जिसने विद्यासागर विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव रखा जो कि अध्यापन और संबंद्ध विश्वविद्यालय होगा। पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते समय, समिति ने गैर-पारम्परिक विषयों को पारम्परिक विषयों में मिलाने का सुझाव दिया। इस आधार पर, 24 जून 1981 को विद्यासागर विश्वविद्यालय अधिनियम को पश्चिम बंगाल विधान सभा में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

महोदय, राज्य सरकार पहले ही से इस पर करीब 7 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक इसके लिए एक भी पैसे का अनुदान नहीं दिया है। इस वित्तीय बोझ के बावजूद, विश्वविद्यालय गैर-पारम्परिक और पारम्परिक विषयों के 13 विभाग और स्नातकोत्तर स्तर पर 12 विभागों को चला रहा है। संबंद्ध कालेजों के करीब 30,000 छात्र इस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

इन परिस्थितियों में, मेरा सरकार से अनुरोध है कि विद्यासागर विश्वविद्यालय के लिए धन-राशि प्रदान करें तथा पश्चिम बंगाल में उच्चतर शिक्षा के लिए निर्मित इस नए संस्थान को बचाएं।

11.44 म०पू०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 4, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे तथा इसे पारित करेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द।

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक अनुच्छेद 326 में संशोधन करने के लिए संविधान (61 वां संशोधन) अधिनियम, 1988 के परिणामस्वरूप लाया गया है। यह संशोधन 28 मार्च, 1989 से लागू हुआ, इसका आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं ने समर्थन किया था जो कि संविधान के अनुच्छेद 308 (2) में जोड़े गए परन्तुक के आधार पर जरूरी था। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 (क) में मतदान की आयु 21 वर्ष बताई गई है। संविधान (61वां संशोधन) अधिनियम 1988 पेश किए जाने के बाद 28.3.89 से इसमें यह संशोधन लागू करना होगा।

1950 के अधिनियम की धारा 14 (ख) के अन्तर्गत "अर्हता की तारीख" से हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में उस वर्ष की जनवरी का पहला दिन अभिप्रेत है जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है। इस वर्ष चुनाव कराए जाने हैं और यदि

[श्री बी० शंकरानन्द]

निर्वाचक नामावलियों की, अर्हरता की तारीख 1 जनवरी, 1989 मानकर सामान्य रूप से पुनरीक्षा की जाती है अथवा उन्हें अद्यतन बनाया जाता है तो 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग की युवा पीढ़ी जो 28.3.1989 को मतदान देने के योग्य हो गई है, आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पायेगी। मतदान की आयु घटाने के पीछे हमारा इरादा यह नहीं है कि नए मतदाताओं को आगामी चुनावों में भाग लेने से पहले और इंतजार करना पड़े। परन्तु वर्ष 1989 में उपरोक्त अधिनियम के भाग 3 के अधीन प्रत्येक निर्वाचक नामावली के तैयार करने या पुनरीक्षण के संबंध में "अर्हता की तारीख" 1 अप्रैल 1989 हो, इस विचार से धारा 14 (ख) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया। वास्तव में चुनाव आयोग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उन सभी युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की पहल कर चुका है जिनकी आयु 1.4.89 को 18 वर्ष हो चुकी है। ताकि चालू वर्ष में नए मतदाताओं को भी शामिल करके निर्वाचक नामावली अद्यतन बनाने के कार्य में किसी भी कारण से विलम्ब न हो। इसलिए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी कार्य किए जाने और कदम उठाए जाने को विधिमान्य बनाने के लिए विधेयक में एक उपबंध जोड़ा गया है।

1950 के अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा गया है जिससे निर्वाचन आयोग को संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित सभी जानकारी एकत्रित करने के लिए सशक्त किया जाये।

1950 के अधिनियम की अनुसूची 4 में विधान परिषदों के चुनावों के लिए स्थानीय अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हमें यह जानकारी दी है कि 'महाराष्ट्र' शीर्ष के अन्तर्गत उपरोक्त अनुसूची में सूचीबद्ध 'नगर समितियां' अब नहीं हैं। अतः अनुसूची से इस मद के लोप किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

मुझे विश्वास है कि सभा विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर देगी। महोदय, मैं विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। पिछले वर्ष दिसम्बर में हमने संविधान संशोधन विधेयक, 61वां संशोधन विधेयक, पारित किया था।

वस्तुतः यदि संवैधानिक रूप से यह अपेक्षित न होता कि संविधान में संशोधन किए बिना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो यह पहले होना चाहिए था। उस समय सभा में यह बताया गया था कि इसे प्रभावी करने के लिए इस धारा में संशोधन करना आवश्यक है। लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए की गई अग्रिम कार्यवाही का जहां तक संबंध है मुझे इस बात की खुशी है कि दिनांक 1- -1989 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाताओं के रूप में दर्ज करने के संबंध में अनुदेश जारी करने की दिशा में कार्यवाही की गई। इस संबंध में हमें कोई आपत्ति नहीं है

क्योंकि ऐसी अग्रिम कार्यवाही आवश्यक है ताकि हम नई मतदाता सूचियों के आधार पर दिसंबर तक चुनाव करवा सकें। परन्तु निर्वाचन आयोग अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा किए गए सभी कार्यों को वैध ठहराने संबंधी खंड को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। मुझे इसके कारण समझ में नहीं आए हैं क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार कतिपय राज्यों में मतदाता सूचियां पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है ? यदि मतदाता सूचियां तैयार की जा चुकी हैं तथा प्रकाशन हेतु तैयार की जा चुकी थी तब तो यह ठीक है। परन्तु यदि इनका प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत जनता से दावे तथा आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है तो यह गंभीर बात है क्योंकि इससे बहुत जटिलताएं पैदा हो जाएंगी, लोग न्यायालय में जा सकते हैं क्योंकि ऐसी मतदाता सूचियां जो वैध नहीं हैं, दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित नहीं की जा सकती। यदि ऐसा किया गया है जैसा कि बताया गया है और अब इसे वैध किए जाने के लिए लाया गया है, तब इस विधेयक में एक गंभीर त्रुटि है। इस पर विचार करना होगा। हो सकता है आपको यह देखने के लिए मतदाता सूचियों को पुनः प्रकाशित करना पड़े कि वे नियमों के अनुरूप हैं।

जहां तक अर्हता की तारीख को 1 जनवरी के स्थान पर 1 अप्रैल किए जाने का संबंध है, मैं समझता हूं कि ऐसा केवल इसी वर्ष के लिए है। किन्तु यदि यह हमेशा के लिए है, तो यह बहुत आपत्तिजनक है। यदि ऐसा केवल इसी वर्ष विशेष के लिए है, जबकि हमें मतदाता सूचियों में 18 वर्ष की आयु के अनुसार संशोधन करना है तो यह ठीक है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : आपने उसका जिक्र किया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं समझता हूं कि ऐसा ही है। इसका यही अर्थ है। अन्यथा यदि सरकार इसमें हमेशा के लिए परिवर्तन करने जा रही है तो यह आपत्तिजनक है। बात यह है कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचक नामावलियों को स्वतः संशोधित किया जा रहा है। नामावलियां संशोधित और प्रकाशित की जाती हैं। इस संबंध में एक प्रक्रिया बनाई गई है। वह जारी रहनी चाहिए। मात्र इसी वर्ष के लिए अर्हता की तारीख 1 अप्रैल होनी चाहिए न कि हमेशा के लिए। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

महोदय, ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग को संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित सभी जानकारी इकट्ठी कर ली गई है, जिसके लिए धारा 9 में संशोधन किया जाना है। सरकार निर्वाचन आयोग को संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित सभी जानकारी एकत्रित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए 1950 के अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने जा रही है। मैं यह बात समझ नहीं पाया हूं। सरकार धारा 9 में संशोधन क्यों करना चाहती है ? इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि, माननीय मंत्री जी ने ही पिछली बार यह बताया था कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन इस वर्ष इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें विलम्ब होने की संभावना है। सरकार को अग्रिम कार्यवाही करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अब हमें पुरानी परिसीमाओं के आधार पर ही चुनाव लड़ने होंगे और संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 के अंतर्गत विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। जानकारी एकत्रित करने के लिए आयोग को अधिकार देने की क्या आवश्यकता है ? यह अधिकार तो आयोग को पहले ही से प्राप्त है।

[श्री सी० माधव रेड्डी]

आयोग को पहले ही से यह अधिकार मिला हुआ है। सरकार को धारा 9 में संशोधन करने की क्या आवश्यकता है ? इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय एन० पाटिल ..... मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह संक्षेप में बोलें। इस संबंध में बहुत से सदस्य बोलने के इच्छुक हैं। इसके लिए केवल दो घंटे का समय ही दिया गया है। अतः मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह संक्षेप में बोलें। कृपया 5 मिनट ही बोलिएगा।

श्री विजय एन० पाटिल (इन्दोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उपबन्ध निर्वाचन आयोग को यह अधिकार देता है कि वह अपने तंत्र में तेजी लाए और चुनावों की तैयारी करे। मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि 1 अप्रैल 1989 तारीख केवल इसी चुनाव वर्ष के लिए रखी गई है। इसके पश्चात मतदाता सूचियों में सामान्य रूप से सुधार किये जायेंगे जिन्हें प्रत्येक वर्ष जनवरी में प्रकाशित कर दिया जायेगा।

हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासकों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि वे भारत में आंशिक लोकतंत्र ला रहे हैं। कुछ लोग, जो एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि राजस्व दे रहे थे या कुछ अन्य शिक्षित लोग या चुनिंदा वर्ग के लोग मतदान कर सकते थे। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने अनेक प्रगतिशील कार्य किये हैं। हमने मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी है जो हमारे युवा प्रधान मंत्री के प्रगतिशील कार्यों में से एक है इसका समाज के लगभग सभी वर्गों तथा भारत के अधिकांश लोगों ने समर्थन किया है।

श्री माधव रेड्डी जी के मन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी एकत्रित करने के लिए दिये गये अधिकार के संबंध में कोई भय नहीं होना चाहिए। कुछ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जातियों के लिये वर्षों से आरक्षित चले आ रहे हैं। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि सामान्यतः आरक्षित क्षेत्र में ही उन्हें किसी दल से सीट मिल जाती है। इसके विपरीत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में अन्य समुदाय के लोगों को चुनाव लड़ने तथा उस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिल पाता है। मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं। 1978 में मैं खुले निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति की एक सीट बढ़ायी जानी थी। विगत तीन चुनावों में चन्दरपुर से, जो सामान्य सीट थी, अनुसूचित जनजाति का प्रत्याक्षी विजयी हुआ करता था। चन्दरपुर के एक निर्वाचन क्षेत्र में 22.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 23.1 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लोग हैं। हुआ यह कि खुले की दोनों सीटों का आरक्षण कर दिया गया तथा चन्दरपुर का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। यदि यह अदला-बदली होती रहेगी तो बारी-बारी से लोगों को अवसर प्राप्त होता रहेगा। अब ऐसा समय आ गया है कि हमें इस परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए। इसलिये यह समर्थकारी उपबंध लाया गया है।

मैं मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आपने मतदान की आयु कम कर दी है तथा सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है परन्तु क्या आप उन्हें मतदान की ही अनुमति देंगे

या लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में भाग लेने की भी अनुमति देंगे ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या आप विधान सभा, लोक सभा या राज्य सभा के चुनावों के लिये नामांकन दाखिल करने की आयु भी कम करेंगे ? राज्य सभा के मामले में हम सोच सकते हैं कि राज्य सभा बड़ों का सदन है उसके लिये युवा कांग्रेस या युवा जनता अथवा युवा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं बल्कि बड़ी उम्र के व्यक्तियों को चुना जाना चाहिए। आप राज्य सभा के लिये नामांकन भरने की आयु बढ़ाकर 35 वर्ष कर सकते हैं। परन्तु लोक सभा और विधान सभा की सीटों के लिये, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में मतदान कर सकता है तो पांच वर्ष के अनुभव के बाद, उसे लोक सभा या विधान सभा का चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि 23 वर्ष की आयु में किसी व्यक्ति को लोक सभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। यद्यपि यह इस विधेयक के कार्यक्षेत्र में नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपना सुझाव देने के लिये इस अवसर का लाभ उठा रहा हूं। क्या आप इसके बारे में विचार करेंगे ?

12.00 मध्याह्न

जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र के सम्बन्ध में 'नगर समितियों' शब्द का लोप किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा बहुत पहले किया जाना चाहिए था। ऐसा अभी किया गया है। परन्तु इस संशोधन को बहुत पहले किया जाना चाहिए था।

अन्त में, मैं एक और पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं कि जब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकाधिक नये लोगों को अवसर प्रदान किये जा रहे हैं तो कुछ स्थानों पर कुछ सीमायें निर्धारित कर दी जानी चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं--यद्यपि इसका इस विधेयक से प्रत्यक्षत: कोई सम्बन्ध नहीं है—कि इसके लिये कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि कोई व्यक्ति सत्ता में कब तक रह सकता है। उदाहरणार्थ केन्द्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति को दस वर्ष के पश्चात मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं रखा जाना चाहिए ताकि नये लोगों को अवसर मिल सके। सभा के नेता या उपनेता तथा विपक्षी नेता अपवाद हो सकते हैं। मेरे इस सुझाव पर उचित समय पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि आप अधिकाधिक लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सम्मिलित कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग देना चाहेंगे। अपने प्रतिनिधियों को मतदान के बजाए वे सीधे सभा आना चाहेंगे और इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहेंगे।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करने के लिये 61वें संविधान संशोधन के अनुसार यह विधेयक आवश्यक हो गया है।

इससे हमारे देश की युवा पीढ़ी के, संसद, राज्य विधान सभाओं और अन्य निकायों में अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया में, सम्मिलित होने के अधिकार को मान्यता मिली है। इसकी बहुत दिनों से मांग की जा रही थी तथा ऐसा हमारे देश के युवकों और छात्रों के लोकतांत्रिक आन्दोलन के फलस्वरूप हुआ है। वे बहुत दिनों से इसकी मांग कर थे। यद्यपि इसमें विलंब हुआ है परन्तु कभी नहीं से विलंब भला। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह हमारे देश के छात्रों और युवकों के आन्दोलन की विजय का परिणाम है।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के शासन के दौरान 18 वर्षीय युवकों को नगरपालिका चुनावों में अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया। तब से पश्चिम बंगाल में 18 वर्ष के युवक इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। अब हमारे देश के युवक भी इस अधिकार का प्रयोग करेंगे।

[श्री सत्य गोपाल मिश्र]

मैं यह भी नहीं भूल सकता कि उस समय पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भी इसे चुनौती दी थी। अब वे इसका महत्व समझ गये हैं। सम्भवत: वे लोगों से अलग हो चुके हैं इसलिए मतदान की आयु कम करने तथा पंचायत विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

इस संशोधन को 28 मार्च, 1989 से कार्यान्वित समझा जा रहा है तथा समूचे देश में गणना प्रक्रिया चल रही है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि चुनाव आयोग को उचित ध्यान देना चाहिए ताकि 18 वर्ष के युवकों को मतदाता सूचियों में शामिल किया जा सके। अनुमान लगाया गया कि करीब 5½ करोड़ लोगों को, जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं, मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा। परन्तु मैं यह नहीं जानता हूं कि यह प्रक्रिया किस सीमा तक पूरी हो चुकी है।

कितने युवा मतदाताओं ने मतदाता सूचियों में अपने नाम पहले ही दर्ज करा लिये हैं। इस पर ध्यान दिया जाए।

अन्त में, मैं त्रिपुरा के कुछ मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां दो मामले हैं जिनमें विदेशियों को मतदाता सूची में शामिल किया गया है। मैं केवल दो उदाहरण देता हूं। जुवराजनगर विधान सभा क्षेत्र में—भाग 3, क्रम संख्या 285—एक व्यक्ति ने, जो बंगलादेश सुनाली बैंक में एक अधिकारी है, अपना नाम त्रिपुरा की मतदाता सूची में दर्ज करा लिया है। दूसरा उदाहरण 22, धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र-वार्ड संख्या 28, क्रम संख्या 36—का है। उसका नाम जोयनल मियां है। उसने भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लिया है। वह बंगलादेश की सेना में नौकरी कर रहा है। ये सब घटनायें विशेषरूप से त्रिपुरा में घट रही हैं। मैं यह अपने त्रिपुरा के मध्यावधि चुनाव की घटना से प्राप्त अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं वहां उपस्थित था। मेरे उपस्थित होने के बावजूद भी मेरे दल के उम्मीदवार को वोट नहीं डालने दिया गया ऐसा त्रिपुरा में हुआ था।

इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करे कि उचित कार्यवाही की जाय ताकि उपयुक्त व्यक्तियों को मतदाता सूचियों में शामिल किया जा सके तथा जो उपयुक्त नहीं है, उन्हें निकाला जाए। मेरा उनसे अनुरोध है कि इसके लिये उचित कार्यवाही करें। इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, दि रिप्रेजेण्टेशन ऑफ दि पीपुल (एमेण्डमैण्ट) बिल, 1989, जो सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमने संविधान के 61वें संशोधन एक्ट, 1988 के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के नौजवानों को वोट देने का अधिकार दिया। इसका देश में बड़ा भारी स्वागत हुआ है और विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए हैं। इस अवसर पर मैं हमारे नौजवान, युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और ठोस कदम उठाया, इस प्रजातन्त्र को मजबूत करने के लिए। जब हमने यह कांस्टीट्यूशन एमेण्डमैण्ट एक्ट का कदम उठाया तब यह आवश्यक और लाजिमी हो गया कि रिप्रेजेण्टेशन ऑफ दि पीपुल एमेण्डमैण्ट एक्ट प्रस्तुत किया जाय, जो प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इसका पूर्ण

तौर से समर्थन करता हूं। मैं यह चाहता था कि रिप्रेजेण्टेशन ऑफ दि पीपुल (एमेण्डमैण्ट) एक्ट में फोटो आइडैण्टीटी कार्ड्स के बारे में अगर एमेण्डमैण्ट आता तो इससे एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता। मैं मेरे क्षेत्र में गया था और वहां की जनता पूरी तरह से यह चाहती है कि फोटो आइडैण्टिटी कार्ड्स सारे देश के अन्दर लागू हों। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में तो हमने फोटो आइडैण्टिटी कार्ड्स जारी भी किये हैं, चोहटन में जारी किये हैं, जैसलमेर जिले में जारी किये हैं। मैं यह चाहता हूं कि सीमावर्ती जिलों के अन्दर तो फोटो आइडैण्टिटी कार्ड्स जारी करने आवश्यक हैं, इस दृष्टिकोण से भी आवश्यक है कि अगर कोई फॉरेनर हो या एण्टी नेशनल हो तो उसका नाम उसमें स्पष्ट तौर पर आ जाता है और स्पष्टीकरण हो जाता है कि वास्तव में वह मतदान का अधिकार नहीं रखता है। परन्तु मेरे क्षेत्र में, विशेष तौर से जैसलमेर क्षेत्र में यह बात भी सामने आई है कि जिन लोगों को फोटो आइडैण्टिटी कार्ड्स दिये जाने चाहिए, उनको भी नहीं दिये गये हैं, शक के आधार पर आइडैण्टिटी कार्ड्स नहीं दिये जायें और इसके कारण मतदान नहीं कर सकें तो यह स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। मेरा विशेषतौर से निवेदन है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में, लद्दाख के क्षेत्रों में, बाड़मेर, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में फोटो आइडेंटिटी कार्ड का प्रोवीजन हो जाना चाहिए। इन क्षेत्रों के लिए यदि फोटो आइडेंटिटी कार्ड का प्रोवीजन हो जाता है, तो यह बड़ी भारी उपलब्धि होगी।

हम सोच रहे थे कि हमारी कान्स्टीचूयेंसी का डिलिमिटेशन होगा। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र पंजाब प्रदेश के बराबर है और जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है। इंदिरा गांधी नहर के आने से हमारे क्षेत्र का विकास भी हो रहा है। स्थिति यह हो गई है कि 1971 से लेकर 1981 तक देश में 2.25 परसेंट पर-ईअर जनसंख्या बढ़ी है, जबकि हमारे इन क्षेत्रों में 4.5 परसेंट पर-ईअर जनसंख्या बढ़ी है। इस दृष्टि से हमारे मतदाता भी बहुत हो गए हैं। एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आठ एसेम्बलीज सीट्स होती हैं और मतदाता भी बहुत अधिक हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए इन में परिवर्तन होने की आवश्यकता है। इस संबंध में यदि कोई ठोस कदम उठाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि एसेम्बलीज कान्स्टीचूयेंसी में इस बात का विरोध हो रहा है कि हमें हमेशा एक ही क्षेत्र की शैड्यूल्ड कास्ट्स की सूची में रख रहे हैं। हमारे यहां सिवाना निर्वाचन क्षेत्र 1952 से लेकर बराबर शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए है। चौहरण क्षेत्र की जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है। बढ़ने के उपरान्त भी कान्स्टीचूयेंसी में परिवर्तन नहीं होता है। डिलिमिटेशन का कार्यक्रम रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कान्स्टीचूयेंसी का परिवर्तन हो। इस संबंध में भी आपको ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिए जायें। इससे एक फायदा यह होगा कि जो फर्जी वोट्स दिए जाते हैं, वे रुक जायेंगे। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, यू०पी० के अन्दर, राजस्थान के अन्दर, जहां शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के स्थान पर सवर्ण लोग वोट देते हैं। वे लोग वोट एक्सरसाईज भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, लॉ मिनिस्टर से, कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जिन्होंने अभी तक कोई वोट नहीं दिया है और दूसरे लोग वोट दे रहे हैं। इसको रोकने के लिए फोटो आईडेंटिटी कार्ड की बहुत आवश्यकता है। इस संबंध में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आपने अभी जो कदम उठाया है, उससे फायदा हुआ है, लेकिन जब तक फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं होंगे, तब तक वे अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर सकेंगे।

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं । साथ ही मैं बहुत विलंब से किये गये मतदान सम्बन्धी सुधारों के बारे में निराशा व्यक्त करना चाहता हूं । अभी एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत होना है । निस्संदेह, विगत सत्र के दौरान किये गये कुछ संशोधन स्वागत योग्य हैं परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन चुनावों में धन, शराब और ताकत का प्रयोग रोकने के बारे में है जिस पर विपक्ष और सत्तारूढ़ दल बल दे रहे हैं । यह प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है कि धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करता है । इस पक्ष की तरफ से सुझाव दिया गया था कि चुनाव राज्य के धन से होने चाहिए । दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया परन्तु उन्हें कम से कम किसी विकल्प के बारे में सोचना चाहिए । हम जानते हैं कि कुछ व्यक्ति और कुछ दल चुनावों के लिए काफी धन एकत्रित करने की स्थिति में हैं परन्तु स्पष्टत: कुछ व्यक्ति और कुछ दल ऐसा नहीं कर सकते । परन्तु दुर्भाग्य से सरकार ने इस मामले के बारे में बिलकुल नहीं सोचा है । नई लोक सभा के बनने के समय राष्ट्रपति के प्रथम अभिभाषण में ही यह आश्वासन दिया गया था कि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए एक चुनाव सुधार विधेयक लाया जायेगा । परन्तु इस लोक सभा की अवधि समाप्त होने जा रही है और सरकार यह सुनिश्चित करने में विफल रही है कि चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष ढंग से कराये जायें और प्रत्येक दल और प्रत्येक उम्मीदवार को समान अवसर दिया जाये । सरकार इस बारे में विफल रही है ।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके बारे में सरकार वर्तमान लोक सभा की अवधि के दौरान विफल रही है वह यह है कि उन्होंने चुनाव क्षेत्रों को परिसीमित करने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है जोकि चालू अवधि के दौरान की जानी थी । बहुत से माननीय सदस्यों, जिनमें श्री जैन भी सम्मिलित हैं, ने इस बारे में उल्लेख किया है । मेरे चुनाव क्षेत्र में विधान सभा के 8 स्थान हैं उनमें एक विसंगति यह है कि एक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 75,000 से कम है जबकि दूसरे चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या ढाई लाख से भी अधिक है । यदि आजकल के नवयुवकों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाये तो जिस चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 75000 है उसमें उतनी अधिक वृद्धि नहीं होगी जबकि जिस चुनाव क्षेत्र में ढाई लाख से अधिक मतदाता हैं उसमें मतदाताओं की संख्या बढकर चार लाख हो गई है क्योंकि वह क्षेत्र शहर का सीमावर्ती क्षेत्र है और वहां नये विस्तार हो रहे हैं । दो चुनाव क्षेत्रों के बीच यह विसंगति न केवल विधान सभा चुनावों अपितु लोक सभा चुनावों के लिए भी समाप्त होनी चाहिए । इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है । यदि यह क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र होता अथवा लक्षद्वीप जैसा क्षेत्र होता, जहां लोक सभा चुनावों के लिए केवल 50,000 मतदाता हैं अथवा यदि यह क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र होता जहां लोक सभा चुनावों के लिए मतदाताओं की संख्या बहुत कम है, तो यह मामला मेरी समझ में आ जाता । परन्तु बंगलौर जैसे शहरों में भी यह विसंगति जारी है जिसे दूर किया जाना चाहिए । मुझे विश्वास है कि अब आगामी चुनावों के लिए यह मुद्दा समाप्त हो गया है । फिर भी सरकार की ओर से यह एक खामी है और इसे अब तक ठीक किया जाना चाहिए था ।

एक अन्य मुद्दा जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है, उन्हीं चुनाव क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने के बारे में है। माननीय मंत्री भी भली प्रकार यह जानते हैं कि हमारे राज्य में गत 30 अथवा 40 वर्षों से बहुत से चुनाव क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ने के अवसर दिये जाने चाहिएं। भारत सरकार को इस मुद्दे को ध्यान में रखना चाहिए अतः परिसीमन के दौरान इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह पहचान पत्रों के बारे में है। बहुत से सदस्य पहले ही इस बारे में भाषण दे चुके हैं। सभी उम्मीदवारों का चुनावों में ऐसा अनुभव रहा है, चाहे वे उम्मीदवार किसी भी दल से हों। मतदान आरम्भ होने के एक घण्टे के अन्दर ही जाली मतदान का कार्य पूरा हो जाता है। कुछ व्यक्ति और कुछ दल इस तरीके को अपना रहे हैं। इस प्रकार का अनुभव होने के बाद अब भी हम जाली मतदान को नियन्त्रित करने में सफल नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगले चुनावों में भी ऐसा ही होगा। सरकार को इस प्रथा को समाप्त करने के बारे में ध्यान देना चाहिए। सरकार यह कहती है कि लागत के कारण वे फोटो पहचान प्रणाली को आरम्भ करना नहीं चाहते। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस फोटो पहचान प्रणाली का सुझाव दिया है। इस बारे में कोई त्रुटिहीन व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। केवल लोक सभा चुनावों के लिए ही नहीं अपितु विधान सभा चुनावों के लिए भी ऐसा किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा फोटो पहचान प्रणाली को आरम्भ करके जाली मतदान प्रणाली को रोकने के बारे में कुछ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए। अब राजनैतिक दलों द्वारा पहचान स्लिप जारी की जा रही हैं। परन्तु सरकारी तौर पर आपको यह ध्यान देना चाहिए कि सरकार ही पहचान पत्रों को जारी करे जैसा कि पिछले वर्ष विशेष रूप से हमारे राज्य के नगर निगम चुनावों में किया गया। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि आप पहचान पत्र जारी करें। मुझे आशा है कि कम से कम अब तो भारत सरकार इस मामले के बारे में गम्भीरता से विचार करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धन और शराब के प्रभाव को पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए। जाली मतदान को भी पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए। अतः जहां तक इस संशोधन विधेयक का संबंध है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धारा 9 चुनाव आयोग को नवीनतम स्थिति के अनुसार परिसीमन बनाये रखने की शक्ति प्रदान करता है। हम सभी लोग यह जानते हैं कि कुछ समय के लिए परिसीमन कार्य में विलम्ब कर दिया गया है और इस समय चुनाव क्षेत्रों के स्वरूप में परिवर्तन आ चुका है। कुछ चुनाव क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि इतनी हुई है कि उन्हें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र बनाया जाना चाहिए और अन्य चुनाव क्षेत्रों को सामान्य चुनाव क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। साथ ही भारत सरकार ने मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करके उचित कार्य किया है और इस कार्य के लिए सरकार को देश भर में बधाई दी गई है। यदि ऐसी बात है तो परिसीमन कार्य जल्दी ही किया जाना चाहिए ताकि विधान सभा और संसदीय चुनाव क्षेत्रों में उन चुनाव क्षेत्रों के वास्तविक प्रतिनिधियों का चुनाव हो सके।

माननीय मंत्री की जानकारी के लिए मैं यह कह रहा हूं कि उड़ीसा में एक जिला मुख्यालय अथवा एक उप-मण्डलीय मुख्यालय, विधान सभा चुनाव क्षेत्र में यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है तो भी उसे केवल इस कारणवश आरक्षित चुनाव क्षेत्र के

[श्री सोमनाथ रथ]

रूप में मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि वह एक जिला मुख्यालय चुनाव क्षेत्र अथवा उप-मण्डलीय मुख्यालय चुनाव क्षेत्र है। इस अवधारणा का त्याग किया जाना चाहिए और चाहे वह एक जिला मुख्यालय चुनाव क्षेत्र हो अथवा एक उप-मण्डलीय मुख्यालय चुनाव क्षेत्र हो, यदि उस चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है तो इसे केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। एक उप-मण्डलीय अथवा जिला मुख्यालय होने के कारण इसे चुनाव क्षेत्र नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में कोई नियम अथवा निर्देश जारी किये गए हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो जल्दी ही इस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं। इसका समर्थन इसलिए भी करता हूं कि देश की सभी वामपंथी पार्टियां, प्रगतिशील पार्टियां और हिन्दुस्तान का नौजवान तबका अर्से से इस बात की मांग करता रहा है। इस रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट में अमेंडमेंट के जरिए से उसकी इस मांग की पूर्ति होगी और देश के अंदर इसका पूरा समर्थन होगा।

मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बिहार में अभी जो परिस्थिति है, आप तो 18 साल की उम्र की बात कर रहे हैं, वहां 10 साल के लड़के का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है और वह लड़का वोट करता है। वे ऐसे लोगों के लड़के हैं जिनके हाथ में ताकत है, जिनके पास में शक्ति है। उनको सरकारी मशीनरी से भी मदद मिलती है। अभी जो लिस्ट का रिवीजन हुआ है उसमें 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग तो छूट गए और ऐसे लोगों के नाम दर्ज हो गए जो कि वोटर हो ही नहीं सकते थे। वहां पर बड़े पैमाने पर बोगस वोटर दर्ज किये जा रहे हैं।

यह इत्तिला मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। आप अफसर लोग हैं, आप जहां चाहें वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल मेरे संसदीय क्षेत्र के इस्लामपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र में उसमें रिजल्ट आउट हुआ मेरा कैंडीडेट जीता, सर्टिफिकेट आफ इलेक्शन उसको मिला, दो दिन के बाद उसी रिटर्निंग आफिसर ने कांग्रेसी कैंडीडेट को जिता दिया। **(व्यवधान)** ऐसा शायद दुनिया में पहली बार हुआ होगा, नालन्दा कांस्टीट्वेंसी में हुआ था। हमारे यहां अफसरों की सांठ-गांठ इतनी गहरी है, राइफल, बंदूक और गोली तथा बम के आधार पर वहां चुनाव होता है। सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है, सत्ताधारी कैंडीडेट की मदद के लिए यह सब किया जाता है। पोलिंग आफिसर, प्रिसाइडिंग आफिसर, पुलिस आफिशल्स, ये तमाम इनमें सहायता करते हैं। जो जेनविन वोटर्स हैं, उनको वोट नहीं देने दिया जाता। 18 वर्ष की उम्र पर वोट का अधिकार देना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वोट का अधिकार देने से काम चल जाता है तब तो ठीक है, अगर वह केवल कागज पर रहे और अमल में लोग वोट देने न जाएं, या वोट न देने दिया जाए तो यह बहुत गंभीर बात है।

श्री रामजगत पासवान (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांइट आफ आर्डर है। 1977 में जो लोक सभा का चुनाव हुआ था, उसमें जितना बोगस वोटिंग कराया गया··· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पर आ जाइये।

श्री विजय कुमार यादव : महोदय, वे इस बारे में आपत्ति क्यों कर रहे हैं ? मैं समझता हूं कि ये वास्तविकतायें हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार ही वह सूबा है जहां टोटल नंबर आफ वोट से ज्यादा वोटिंग होती है। अगर लिस्ट में 1000 वोटर हैं तो टोटल वोट डाले जाते हैं 1020, यह बात हमने यहां पार्लियामेंट में उठाई थी **(व्यवधान)**

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जानी चाहिए जो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, आफिसर्स का इस्तेमाल सत्ताधारी दल के पक्ष में करना, इन सब बातों को देखें। **(व्यवधान)**

अगर आफिसर्स इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर फेअर एण्ड फ्री इलेक्शन की गारन्टी आप नहीं कर सकेंगे, यही मेरा सुझाव है। इन शब्दों के साथ जो बिल प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 1989 जो प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जिन मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष हो गई है, उनको जोड़ने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है और उनके लिए जो संदेह उठाया गया है, श्री माधव रेड्डी जी ने कहा कि यह कैसे होगा तो इसके लिए मैं क्लाज 14 के बारे में बताना चाहता हूं, इसमें जो संशोधन किया जा रहा है वह स्पष्ट है।

[अनुवाद]

मूल अधिनियम की धारा 14 खंड (ख) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा और उसे 28 मार्च 1989 से जोड़ा हुआ माना जायेगा।

[हिन्दी]

[अनुवाद]

"वर्ष 1989 में इस भाग के अन्तर्गत प्रत्येक मतदान सूची तैयार करने अथवा उसमें संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में "अर्हक तारीख" पहली अप्रैल 1989 होगी।"

[हिन्दी]

इसका तात्पर्य यह है कि 1989 के अन्दर जो इलक्टोरल रोल का रिवीजन हो रहा है, उसके लिए क्वालीफाइंग डेट पहली अप्रैल ही रहेगी बाकी दूसरे वर्गों के लिए जब भी रिवीजन होगा वह फर्स्ट जनवरी रहेगी, इसलिए माधव रेड्डी जी ने जो शंका उठाई है, वह निर्मूल है। लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9-ए, 14 और 19 तीनों में संशोधन किये गए। 9-ए में जो संशोधन किया है उसमें चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है कि इलैक्शन्स के बाद शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कांस्टीच्युएंसी को डी-लिमिटेशन किया जाए। यह समय की मांग है कि हमने 18 साल के हिन्दुस्तान के चार करोड़ से अधिक युवकों को मतदान देने की संख्या बढ़ाई है, और अलग-अलग प्रांतों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो कांस्टीच्युएंसी हैं उसके

[श्री शंकर लाल]

अन्दर परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए 9-ए में जो संशोधन किया है, वह बहुत ही उचित संशोधन है। दिसम्बर में हमारे नेता राजीव जी ने और हमारी सरकार ने लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29-ए में संशोधन किया और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वह संविधान के प्रति वफादारी रखेगी। उसको पार्टी के विधान में लाना पड़ेगा कि वह सैक्युलरीज्म, धर्म-निर्पेक्षता में, समाजवाद में और देश की एकता-अखण्डता में विश्वास रखते हैं। उस वक्त भी कई विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने विरोध किया था और आज उन्हें मालूम पड़ा कि कोई राजनीतिक पार्टी अपने देश की एकता, अखंडता, धर्मनिर्पेक्षता और समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध होगी और संविधान के प्रति समर्पित होगी। इससे हमारे देश के अन्दर स्वच्छ और सही चुनाव हो सकेंगे। इस प्रकार के क्रांतिकारी कदम हमारे नेता राजीव जी के नेतृत्व में उठाए जा रहे हैं। एक निवेदन और करना चाहूंगा। यह बात सही है कि चुनाव के अन्दर पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमें यह देखना पड़ेगा कि कम से कम पैसा कैसे खर्च हो। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि नामजदगी का पत्र दाखिल करने के बाद और चुनाव होने तक एक महीने का समय दिया जाता है, वह नहीं दिया जाना चाहिए। एक सप्ताह से ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप और आपकी पार्टी वास्तव में लोकप्रिय हैं और आपने काम किया है तो आपको एक महीने के समय की जरूरत नहीं है। जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा होता है वह इतने लम्बे समय में पब्लिसिटी ज्यादा कर सकता है और लोगों को मुगालते में डाल सकता है। इसलिए नामजदगी पत्र दाखिल होने के बाद और चुनाव होने तक का जो समय है, उसको कम किया जाए। मैं समझता हूं कि पैसा कम खर्च करना पड़ेगा और और सही आदमी के आने में मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, यह एक तकनीकी संशोधन है। 18 वर्ष की आयु के युवाओं को वोट देने के अधिकार के बारे में समूचा प्रस्ताव विपक्ष से आया है। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि समूचा अभियान श्री वी०पी०सिंह द्वारा शुरू किया गया था। मुझे उनके शब्द याद हैं और मैं उन शब्दों को उद्धृत करता हूं "जब आप 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को फांसी देते हैं तो उसे वोट देने के अधिकार क्यों नहीं देते ?" इसलिए यह विपक्ष के अभियान की विजय है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : वह सदन में उपस्थित नहीं थे।

डा० दत्ता सामन्त : जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है यह अच्छी बात है कि आप युवाओं को मतदान का अधिकार दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में, पहले ही सर्वेक्षण और गणना की जा चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं अतिरिक्त मतदाताओं की कुल संख्या कितनी हो गई है। मेरे विचार से, ऐसा करके अनुमानतः 4·7 करोड़ नये मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और प्रति निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 50,000 या 60,000 मतदाता बढ़ जायेंगे यदि ऐसा है तो आप कितने नये निर्वाचन क्षेत्र बनाने जा रहे हैं ? अनुपात के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए। मेरे विचार से लगभग 60 या 70 निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ जायेगी।

तथापि, निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा-निर्धारण के लिए अभी भी समय है इसलिए मैंने कहा है कि इसमें काफी जटिलताएं हो सकती हैं।

आप कहते हैं कि 1 अप्रैल 1989 से आप इस अधिनियम को क्रियान्वित करने जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गणना करते समय सरकार ने क्या प्रयास किये थे। कितने मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई थी।

आप कितने नये निर्वाचन क्षेत्र बनाने जा रहे हैं और कितनी सीटें आप और बढ़ाने जा रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : 21वीं सदी तक, कोई परिवर्तन नहीं होगा ?

डा० दत्ता सामंत : मैं नहीं जानता, उसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उसी के अनुसार, मतदाताओं की सूची भी बढ़ रही है। मेरे विचार से प्रत्येक पांच वर्षों में 50 सीटें बढ़ जायेंगी और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 50,000 या 60,000 नये मतदाता हो जायेंगे। इससे परिगणकों के लिए काफी कठिनाइयां हो जायेगी। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को इन सब बातों को स्पष्ट करना चाहिए।

अब, मैं परिचय पत्रों के बारे में कहना चाहता हूं। जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार को फोटो वाले परिचय पत्र जारी करने चाहिए। यह बहुत जरूरी है बम्बई में नगरपालिका चुनावों में मैंने अपनी आंखों से देखा था कि 8 बजे, लोगों को निर्देश दिये गये थे और उन्हें वोट डालने के लिए कहा गया था। वही लोग बार-बार मतदान केन्द्रों पर वोट डालने जा रहे थे। अत: दूसरे व्यक्ति के नाम पर वोट डाले जाते हैं। किसी को कोई चिन्ता नहीं। आपका कार्यतन्त्र कुछ नहीं कर सका था। वे केवल मूक दृष्टा की तरह देखते रहते हैं। वे उन लोगों से डरते हैं जो मतदान केन्द्रों के बाहर खड़े रहते हैं। ऐसा करके वास्तव में लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है। यही बात औरंगाबाद और थाणे नगरपालिका चुनावों में हुई है। मेरे कार्यकर्त्ताओं के लाइन में बाहर इन्तजार करने के बावजूद, उन्हें अपने वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ जांच होनी चाहिए। अगर उन्हें फोटो परिचय पत्र देना सम्भव नहीं है तो कम से कम आप उन्हें राशन के दफ्तर से कुछ परिचय-पर्ची प्रमाणपत्र उपलब्ध करा सकते हो जिस पर उसका पूरा परिचय हो।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वह कैसे कह सकते हों।

डा० दत्ता सामंत : महोदय, राशन अधिकारी ऐसे परिचय-पत्र जारी कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : बिना फोटो के, वही व्यक्ति कई बार अपना वोट डाल सकता है। परिचय पत्र के बारे में दिया गया आपका सुझाव उचित है। प्रमाणपत्र के बारे में जिसका आप जिक्र कर रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कि वह वही व्यक्ति होगा ?

डा० दत्ता सामंत : ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, कि कम से कम कुछ जांच की जाये। लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं होगी। जो लोग ऐसे वोट डालते हैं उन्हें वास्तविक मतदाताओं द्वारा नहीं भेजा जाता। अगर वे इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो कम से कम वे यह जांच करने में समर्थ हो जायेंगे कि क्या वह वास्तव में मतदाता हैं या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस पर्ची को इस्तेमाल करने के बाद भी ला सकता है।

डा० दत्ता सामंत : सामान्यत: वे लोग कुछ अन्य व्यक्तियों के निर्देश पर जाते हैं। यहां, जो कुछ हो रहा है वह एकदम अलग बात है। अगर आप परिचय-पत्र जारी करते हो तो कम से कम कुछ जांच की जा सकती है।

अब आप इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का इस्तेमाल करने जा रहे हो। मैं नहीं जानता कि क्या इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें ठीक परिणाम दे पायेगीं। हम यहां पर जिस बात की चर्चा कर रहे हैं मेरे विचार से उससे लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे।

आजकल मैंने चुनावों में देखा है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोगों को झूठे आश्वासन दिये जाते हैं। व्यय में कमी करने के बारे में मैं कहूंगा यह करना कठिन है। एक भी उम्मीदवार बिना पैसे खर्च किये चुनाव लड़ने में समर्थ नहीं हो पायेगा।

मैं यह कह रहा हूं कि यद्यपि हमने काफी कुछ कहा है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा।

अब पंचायत चुनावों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है जिन दादाओं के पास काफी धन होगा उन्हें कम से कम 200 से 300 मतदाता मिल जायेंगे। अब आप ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया आरम्भ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इससे कोई ज्यादा सहायता मिलने वाली नहीं है। जो लोग पंचायतों के लिए चुने जायेंगे—200 या 300 लोग—वे किसी बात का निश्चय नहीं कर पायेंगे।

इसलिए यहां मैंने जिस कार्यतन्त्र का जिक्र किया है जिससे आप अपनाने जा रहे हो चाहे यह चुनाव आयोग हो या जो कुछ भी हो; वह असफल हो जायेगी यद्यपि विचार अच्छा है इससे काम नहीं चलेगा।

मैं इस छोटे से तकनीकी संशोधन का समर्थन करता हूं मुझे आशा है यह केवल इस वर्ष के लिए है, अगले वर्ष के लिए नहीं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1989 का समर्थन करता हूं जिसके द्वारा मंत्री जी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9, 14 और 1.9 में संशोधन के लिए प्रस्ताव रखा था।

वर्तमान संशोधन हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की राजनीतिक इच्छा और संकल्प का परिणाम है, और केवल उनके आग्रह के फलस्वरूप ही इस संशोधन को लाया गया है और 18 वर्ष की आयु के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। आज, समूचे विश्व में युवाओं की शक्ति का लोकतन्त्र में महत्व है यह युवाओं की शक्ति है जो लोकतंत्र को मजबूत और सक्रिय रख सकती है।

आज पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है ? युवा आन्दोलन कर रहे हैं चाहे वह चीन हो या कुछ अन्य पड़ोसी देश इस विधेयक को लाने का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने युवा लोगों और युवाओं को यह मौका दिया है कि वे हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक कार्यकरण में उनका सहयोग करें।

विपक्ष द्वारा यह कहना कि यह कार्य विपक्ष के आग्रह पर किया गया है। बिल्कुल गलत बात है क्योंकि विपक्ष ने हमेशा इसका विरोध किया है **(व्यवधान)**

श्री सत्यगोपाल मिश्र : नहीं, यह ठीक नहीं है ऐसा कोई एक उदाहरण दीजिए **(व्यवधान)**

श्री राम सिंह यादव : आपने उसे कभी वरीयता नहीं दी है **(व्यवधान)** आप 1977 से 1980 तक सत्ता में थे। आपने इस दिशा में क्या किया **(व्यवधान)** आपने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए यह एक गलत बयान है। अनुमान के आधार पर यह कहना गलत है कि ऐसा आपके कहने पर हुआ है और कांग्रेस पार्टी और प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने यह किया है। **(व्यवधान)** आपने यह नहीं किया है क्योंकि आपकी सरकार ने 1977 से 1980 तक कोई कदम नहीं उठाया। यदि राजनैतिक मंशा होती तो आप उस समय निर्णय ले सकते थे, परन्तु आपने नहीं लिया···**(व्यवधान)**

श्री सत्यगोपाल मिश्र : हमने पश्चिम बंगाल में ऐसा किया है···**(व्यवधान)**

श्री राम सिंह यादव : आपमें राजनैतिक निश्चय की कमी थी ··**(व्यवधान)** विपक्षी दलों में राजनैतिक इच्छा और राजनैतिक निश्चय की कमी है। इसलिए वह ऐसा नहीं कह सकते। **(व्यवधान)**

देश का विकास युवा पीढ़ी के सक्रिय सहयोग से ही सम्भव है और प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने सभी युवकों को लोकतन्त्र प्रणाली में वास्तविक रूप से भागीदार बनाया है। भारत के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय है···**(व्यवधान)** हमारी पार्टी इस प्रकार लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास पैदा करके लोकतन्त्र को बढ़ावा दे रही है। **(व्यवधान)** अत: डा० दत्ता सामंत तथा अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त आशंका निर्मूल है क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए, माननीय मंत्री जी ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। मैं धारा 9 में प्रस्तावित संशोधन को उद्धृत करता हूं :

> "(कक) संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन संसदीय या सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में हो (जिसके अन्तर्गत ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भी है) जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश का उस आदेश के साथ समेकन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;"

माननीय मंत्री जी ने धारा 9 में संशोधन करके बहुत सही कदम उठाया है, क्योंकि धारा 9 में संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 1976 की व्यवस्था है तथा यह कि कब निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने की शक्ति दी जानी चाहिये कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन सही है। अत: धारा 9 का संशोधन बहुत उपयुक्त था।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस सम्माननीय सभा द्वारा संशोधन किये जाने के बाद धारा 9 के अधीन उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। मेरे राज्य राजस्थान में कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जो 1952 से ही आरक्षित हैं। कुछ लोगों को निर्वाचन क्षेत्र विशेष से चुनाव लड़ने का हक नहीं मिलता क्योंकि वे किसी समुदाय या जाति के नहीं हैं। इसलिए मंत्री जी को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए और इस आशय का उपबन्ध किया जाना चाहिए कि संशोधन द्वारा या

[श्री राम सिंह यादव]

धारा 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके निर्वाचन क्षेत्रों, जनसंख्या एवं क्षेत्रों के असंतुलन को समाप्त किया जाए ।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करता हूं और कुछ हमारे मित्रों ने जोश में आ कर जो ऐतिहासिक और बहुत बड़ा काम इस सदन ने किया है, इस पर बोलते हुए लांछन लगाए हैं और लांछन प्रति लांछन में वे उलझ जाते हैं । मैं भारतवर्ष के लोगों और इस सदन को बहुत जोरदार शब्दों में बधाई देता हूं कि हम भारत के प्रतिनिधि लोगों ने यह एक ऐतिहासिक काम किया है कि 18 वर्ष के लोगों को भी वोट का अधिकार दिया है । मैं श्री शंकरानन्द जी को मुबारकबाद देता हूं कि यह काम आपके कार्यकाल में हुआ है और मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं । एक डीलिमिटेशन आफ कांस्टीट्यूएंसीज की है । कांस्टीट्यूएंसीज का डी-लिमिटेशन बहुत देर से ओवरड्यू है । मेरे ख्याल में पंजाब में तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीस-बीस साल से यह काम नहीं हुआ है । पता नहीं इस तरफ आप का ध्यान खींचने में हम क्यों असफल रहे । यह हमारी असफलता हो गई या आप समझ नहीं सके । जैसे दरिया का पानी चले नहीं, तो उसमें बू आने लगती है । यही हाल इसका है । बीस-बीस साल तक डीलिमिटेशन न हो, तो इसके कारण कई लोगों ने कांस्टीट्यूएंसी में दिलचस्पी लेना ही छोड़ दी है । इसलिए इसमें चेंज होना चाहिए ।

दूसरी बात सरकार के प्रचार माध्यम के बारे में है । मैं इस तरह से वेग इल्जाम नहीं लगाता, यहां कभी-कभी भ्रम होता है, इस तरह से न्यूज को दिया जा रहा है जैसे किसी विशेष दल को बिल्ड किया जा रहा हो । इसके लिए जब आप कदम-कदम पर एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हम बिलकुल इम्पार्शल हैं, तो ऐसा कोई एक सिस्टम हो जाए या संसद सदस्यों की 5 मैम्बर की कमेटी बन जाए, जो न्यूज, रेडियो, टी०वी० पर पोलिटिकल साइड की जा रही है, उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा सके, तो इससे आप में और हमारे प्रचार माध्यमों में विश्वास और बढ़ेगा । इस तरीके से कई दफा ऐसी न्यूज आती है कि कुछ लोग उग तरफ खिंच जाते हैं । तो मेरा यह सुझाव है आपको निष्पक्ष और इंपार्शल पॉलिसी मजबूत बनाने हेतु आपको कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ।

मैं इसे ऐतिहासिक बात मानता हूं और यह देश के भविष्य में, देश की मजबूती में, देश की राजनीति में विश्वास बढ़ाने में आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा । इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं ।

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1989 प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं । इससे हमारे देश के नौजवानों को वोट डालने का अधिकार मिल जायेगा । इसके लिए मैं अपने नेता प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और कानून मंत्री श्री शंकरानन्द जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसी सत्र में यह किया है और इस

विधेयक को पेश कर के हमारे नौजवानों के दिलों में एक नया उत्साह पैदा किया है। आज हमारा भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्री शासन में गिना जाता है। लोकतन्त्र जितना हमारे भारत में सफल हुआ है, उतना किसी भी देश में सफल नहीं हुआ।

हमारे अनेक साथियों ने डी-लिमिटेशन की बात सदन में उठाई है। जब हमने 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोट देने का अधिकार दिया है तो इस सन्दर्भ में डी-लिमिटेशन बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सागर यूनिवर्सिटी का क्षेत्र रिजर्व्ड कांस्टीटुएंसी में पड़ता है, इसका हमेशा लोगों में ध्यान रहता है कि यूनिवर्सिटी जैसी चीज जो कि नगर में है, लेकिन नगर में लगे हुए क्षेत्र में होने से वह आरक्षित कांस्टीटुएंसी में पड़ती है। मैं माननीय कानून मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि डी-लिमिटेशन की बात पर वह गम्भीरता से सोचें।

हमारे चुनाव आयोग का हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि चुनाव निष्पक्ष हों और हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। कतिपय शिकायतें आती हैं, यह बात ठीक है, लेकिन वह भी न आएं इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि यह सुझाव उनका है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर यह सुझाव उनका था तो 1977 से 1980 तक जब वे सत्ता में थे तो वह इस बारे में क्यों नहीं बिल लाए। हमारे देश के नेता प्रधान मंत्री ने बहुत ही साहसी और सामयिक कदम उटाकर इस देश के जन-जन के हृदय को जीत लिया है, उसमें और भी मजबूती आई है। हमारे कुछ मित्रों ने यह भी सुझाव दिया है कि चुनाव घोषणा के बाद चुनाव की तिथि की कुछ अवधि कम की जाए, इस पर विचार किया जाए और अगर हो सकता हो तो निश्चित अवधि कम की जानी चाहिए।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि डी-लिमिटेशन की बात पर गम्भीरता से सोचा जाए। इसी तरह से हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने आज पूरे देश में जो पंचायती राज की चर्चा की है और सत्ता के विकेन्द्रीकरण की, यह उनका ऐतिहासिक कदम है और इस तरह से हमारे जन-जन को सत्ता में भागीदार बनाने की बात है जो कि हमारे देश में इस समय उठी है। इसके लिए मैं अपने नेता और उनके मंत्रिमंडल के साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनका यह कदम बहुत ही ऐतिहासिक, सामयिक और देश की जरूरत का उठाया गया है।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक न केवल सरकार के दृढ़ निश्चय और इच्छा को दर्शाता है बल्कि इस विधेयक में हमारे प्रधान मंत्री की ईमानदारी भी जाहिर होती है।

मतदान आयु कम करने के प्रयोजनार्थ पिछले सत्र में संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् इसकी पुष्टि कम से कम आधी राज्य विधान सभाओं द्वारा की जानी थी। यह प्रक्रिया पूर्ण हुई। केवल दो माह पूर्व हमने राज्य विधान सभाओं द्वारा पुष्टि किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। परिणामत: अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पेश करना है। यदि हमारी सदाशयता और इच्छा शक्ति मजबूत न होती तो हम कह सकते थे कि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, इस विधेयक के आज पारित होने के बाद, निर्वाचन आयोग मतदाता

[श्री शान्ताराम नायक]

सूचियां तैयार कर सकता है। यह प्रक्रिया मानसून या उसके बाद तक चलती रहती ताकि यदि चुनाव हों तो हमें यह पता न चलता कि क्या युवा पीढ़ी को मतदान का अधिकार मिल गया है या नहीं। परन्तु उसके बावजूद, औपचारिकताओं के बावजूद, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और मतदान आयु कम किए जाने के विरोधियों ने अब तकनीकी आपत्तियां लगानी शुरू कर दी हैं कि विभिन्न औपचारिकताएं पूरी किए बिना मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्य कैसे शुरू किया गया। इसके क्या पता चलता है ? इससे केवल यही पता चलता है जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कि विपक्षी दल इस उपाय के विरुद्ध हैं और जब हमने कार्यवाही शुरू कर दी तो उन्होंने अपना राग अलापना शुरू कर दिया कि "हमने अमुक सभा में ऐसा कहा है, हमने उस वर्ष ऐसा कहा है।" यदि उनकी नीयत ठीक है तो वे ऐसी आपत्तियां न उठाते जो वे आज उठा रहे हैं।

दूसरी ओर से भी अनेक आपत्तियां उठाई गईं परन्तु हमारी सरकार ने कहा है और हमारी पार्टी ने कहा है कि यदि 18 वर्ष का एक लड़का अपनी कुर्बानी देकर देश की व देश की प्रभुसत्ता की रक्षा कर सकता है तो उसे मतदान का अधिकार क्यों न प्राप्त हो ? यदि 18 वर्ष की लड़की परिवार का भार उठा सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, उनका पालन पोषण कर सकती है, उन्हें देश का नागरिक बना सकती है तो क्या वह लड़की चुनाव में मतदान नहीं कर सकती ? हमने इसी तर्क के आधार पर लोगों को यह मतदान का अधिकार दिया।

श्री माधव रेड्डी ने कहा था कि अर्हक तारीख केवल यही वर्ष होनी चाहिए। परन्तु उपबन्ध में स्पष्ट कहा गया है—

> "परन्तु यह कि वर्ष 1989 में इस भाग के अन्तर्गत प्रत्येक मतदान सूची तैयार अथवा संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में "अर्हक तारीख" पहली अप्रैल, 1989 होगी।"

यह उपबन्ध स्पष्टत: दिया गया है। इसलिए इस विषय में भ्रमित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु जहां तक प्रकाशित की जा रही मतदाता सूचियों पर आपत्ति का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सुनिश्चित करें कि आपत्तियों का सही समाधान किया जाए। अन्यथा, इस समस्त प्रक्रिया के सम्पूर्ण हो जाने और युवा पीढ़ी को मतदान का अधिकार प्रदान करने के बाद, लोग न्यायालय में जाकर इस अधिनियम को प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दों पर चुनौती देंगे ताकि युवा पीढ़ी मतदान के अधिकार से वंचित रहे। अत: हमारे, सरकार के और युवा पीढ़ी के हित में, यह बहुत आवश्यक है कि हम प्रक्रिया को सही करें।

जहां तक गोवा का सम्बन्ध है, वहां की मतदाता सूचियों के प्रकाशन की तारीख 16 है। इसलिए, यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या पूर्वव्याप्त खण्ड इस गलती को दूर कर सकता है या नहीं।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक सीमांकन का सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि संविधान में इस पर प्रतिबन्ध है कि 2000 ईसवी तक 1971 की जनगणना के आंकड़ों को ही आधार माना जाएगा। परन्तु गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे नवोदित राज्यों के मामले में भी ऐसा ही है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का सीमांकन भी 1971 की ही जनगणना के आंकड़ों

के आधार पर 1988 में किया गया था। आप स्वयं सोच सकते हैं। यह कमी थी। निर्वाचन आयोग ने 1981 में हुई जनगणना के आंकड़ों को ही निश्चित रूप से आधार माना होगा, बशर्ते ये आंकड़े उपलब्ध रहे हों।

दूसरे, इन राज्यों को राज्य का दर्जा दिलाने वाले पृथक कानून हैं। उनमें क्या व्यवस्था है ? उनमें कहा गया है कि संविधान के उपबन्ध को ध्यान में रखना होगा। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम जैसे नवोदित राज्यों, जिन्हें 1988 में ही राज्य का दर्जा मिला है, के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन हेतु 1971 की जनगणना के आंकड़ों को आधार माने। इस मसले पर विचार करना होगा।

1.00 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म०प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—जारी

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : जिस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं, वह मुख्यत: एक तकनीकी विधेयक है, विशेषत: खण्ड 3, 4, 5 और 6, मुझे सामान्य तौर पर इस विधेयक का समर्थन करने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस वर्ष मैं दूसरी बार सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत कर रही है। मैं इसे चुनाव सुधार की दूसरी किश्त मानता हूं। परन्तु मैं आशा करता हूं। कि यह कोई अन्त नहीं है क्योंकि चुनाव सुधारों के बारे में राष्ट्रीय कार्यसूची में कई अभी प्रस्ताव हैं। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक के बाद एक अन्य विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें चुनाव सुधारों पर ऐसे विभिन्न विचार समाविष्ट होंगे जिनके बारे में राष्ट्रीय सहमति हो चुकी है।

मैं विशेषत: मतदाता सूचियों के संशोधन के बारे में एक सामान्य बात कहना चाहता हूं। देश के विभिन्न भागों में, विशेषतौर पर बिहार में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लम्बे समय से रह रहे लोगों के नाम मतदाता सूचियों से निकाल दिए गए हैं, मैं कहूंगा कि कुछ गैर कानूनी और अज्ञात कारणों से ऐसा किया गया है। संक्षिप्त में मेरा नम्र निवेदन यह है कि यदि लम्बे अर्से से रह रहे किसी आवासी का नाम मतदाता सूची में पहले आ चुका है और यदि यह शक है कि वह एक भारतीय नागरिक नहीं बल्कि एक विदेशी नागरिक है तो बिना कानूनी प्रक्रिया, स्थानीय नियमों के तहत समुचित कार्यवाही के बिना उसका नाम मतदाता सूची से काटा नहीं जाना चाहिए। मैं इस विषय पर और कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे विचार से हमें इस बात के लिए हर सम्भव उपाय करना चाहिए कि असम जैसी स्थिति, जो निहित स्वार्थों द्वारा दूसरे राज्य में पैदा की जा रही है, से बचा जाए।

अब मैं विधेयक के खण्ड 2 पर आता हूं जो मूल अधिनियम की धारा 9 से संबंधित है। सही अर्थों में यह धारा अत्यंत रहस्यमय है और इसकी भाषा इस प्रकार है कि यह स्पष्ट करने की

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

अपेक्षा उलझाती है । माननीय मंत्री महोदय ने उद्देश्यों और कारणों के अपने विवरण में केवल यही बताया :

> "इस अवसर का उपयोग 1950 के अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए भी किया जा रहा है जिससे निर्वाचन आयोग को संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित सभी जानकारी समेकित करने के लिए सशक्त किया जाए ।"

उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि निर्वाचन आयोग के हाथ कौनसी जानकारी लगी है, निर्वाचन आयोग को क्या अनुभव हुआ है जिससे इस संशोधन विशेष की आवश्यकता आ पड़ी । जहां तक मैं देखता हूं 1976 के आदेश में एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित परिसीमन आयोग का जिक्र है और उसके पश्चात, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश जारी किया गया है । किसी और अधिनियम या कि अन्य केन्द्रीय विधान का उल्लेख नहीं है । अब इन परिस्थितयों में यह प्रयत्न किया गया है कि यदि किसी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत कोई आदेश जारी किए गए हैं और यदि वह परिसीमन आदेशों के विपरीत हैं, तो यह विषमता दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान की जाए । इसका प्रत्यक्ष प्रयोजन यही है । किन्तु माननीय मंत्री महोदय ने हमें यह नहीं बताया कि उनके ध्यान में कौनसा अधिनियम है या अब तक उनकी जानकारी में कोई ऐसी परिस्थिति आई है कि किसी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं या आदेश, 1976 के आदेश के उपबन्धों से मेल न खाते हों । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं वह वास्तविक या सम्भावित उदाहरणों सहित जो उनके ध्यान में हों, स्थिति को स्पष्ट करें ।

अन्त में उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 2 में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को संशोधित करने की बात कही गई है जिनमें उन सभी को शामिल किया जाएगा जो मतदान के योग्य हो गए है । अब हम जानते हैं कि जिस किसी की भी आयु 18 वर्ष है वह मतदान कर सकता है । अर्हता की तारीख 1 अप्रैल 1989 है । मैं जानना चाहता हूं कि जो संशोधित मतदाता सूचियां तैयार की गई हैं वह 1 जनवरी के संदर्भ में हैं या 1 अप्रैल के । यह दो प्रश्न मेरे ध्यान में हैं और मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इन्हें स्पष्ट करें ? अन्यथा, आमतौर पर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहाण्डी) : महोदय, इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं, माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनकी दृढ़ इच्छा और युवा पीढ़ी में उनके विश्वास तथा एन०एस०यू०आई० तथा युवा कांग्रेस की युवा पीढ़ी को मताधिकार देने की मांग के कारण ही यह हो सका । इसके परिणामस्वरूप ही 1988 का संविधान (61वां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित और पारित हो सका । इसके बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही है यूनिवर्सिटी कैम्पस राजनीतिज्ञों का अखाड़ा बन जाएगा और युवा पीढ़ी का ह्रास होगा । किन्तु हमें अपनी युवा पीढ़ी की सृजनात्मक क्षमता तथा जिम्मेदारी की भावना में विश्वास रखना होगा । यदि हम यह सोचते हैं कि युवा पीढ़ी हमारे लिए एक समस्या है तो हम अपने भविष्य की समस्या समझते हैं । इसीलिए, देश के युवा पीढ़ी में विश्वास की भावना पैदा करना, जिम्मेदारी पैदा करना अति आवश्यक है । अब प्रधान मंत्री ने खुले रूप से यह कहा है कि देश भावी पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है । इसलिए, युवा पीढ़ी में अत्यंत उत्साह उत्पन्न हुआ है ।

इकसठवें संशोधन के पश्चात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के कुछ उपबन्धों में संशोधन करना आवश्यक था । निर्वाचन आयोग के कार्य को वैधता प्रदान करने तथा 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए वोट देने की योग्यता की गणना के लिए अर्हता की तिथि 1 अप्रैल, 1989 से लागू करने के लिए 1950 के अधिनियम की धारा 14 को संशोधित करना आवश्यक था । इसके साथ ही 1950 के अधिनियम की धारा 19 को भी संशोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं को मत देने का अधिकार प्राप्त होगा । संसदीय तथा विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित तमाम जानकारी एकत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग को शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से 1950 की धारा 9 का संशोधन भी आवश्यक था ।

इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि इस अवसर का इस्तेमाल इलैक्ट्रानिक मतदान प्रणाली तथा फोटो पहचान पत्र तथा वह सभी उपाय करने के लिए भी कहना चाहिए, जिसके लिए हम पहले ही बहुत से कानून बना चुके हैं; ताकि मतदान केन्द्रों पर कब्जा तथा चुनाव प्रक्रिया में समाज विरोधी तत्वों के अधिपत्य को पूर्णत: समाप्त किया जा सके । इसके लिए कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

***श्री वी०एस० विजय राघवन** (पालघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं । यह सभी तरह से एक क्रान्तिकारी कदम है । 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी लोगों को मतदान का अधिकार देकर श्री राजीव गांधी ने देश में युवकों को सत्ता के हस्तांतरण की गति तीव्र की है । यह इस दिशा में एक बड़े कदम का प्रतीक है । इस कदम से युवकों का इस देश के शासन में पूरा सहयोग होगा । विपक्ष के एक सदस्य कह रहे थे कि यह उनकी उपलब्धि है क्योंकि उन्होंने ही यह मसला उठाया था । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि केरल पहला राज्य था जहां पर पंचायत चुनावों के लिए मतदान की आयु घटा कर 18 वर्ष की गई थी । यह कांग्रेस (इ०) सरकार द्वारा श्री ए०के० एन्टनी के मुख्यमंत्री काल में किया गया था और मेरे विपक्षी मित्रों ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा । इसलिए, विपक्ष को इस कदम के श्रेय का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है । मुद्दे पर फिर से आते हुए मुझे विश्वास है कि इससे लोक तंत्र और राष्ट्र सुदृढ़ होगा । मैं, इसके लिए प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं । महोदय, प्रजातंत्र का आधार चुनाव है जिनके द्वारा लोग अपनी पसन्द व्यक्त करते हैं और चुनावों का आधार मतदाता सूची है । मतदाता सूची सम्पूर्ण और सही होनी चाहिए । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उन शिकायतों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो मेरे राज्य से मतदाता सूचियों के संशोधन के बारे में प्राप्त हो रही हैं । वहां पर सत्ताधारी दल के कहने से मतदाता सूचियों में भारी पैमाने पर हेरफेर की गई है । अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस बारे मे मुझे व्यक्तिगत जानकारी है । यह साबित करने के लिए मेरे पास दस्तावेज हैं । ऐसे मामले भी हैं जिनमें कुछ लोगों को सूची में अलग-अलग स्थानों पर शामिल किया गया है । ऐसे मामले भी हैं कि एक सूची में आवासीय पते दिए गए हैं और दूसरी सूची में सी० पी० एम० के पार्टी कार्यालय के पते दिए गए हैं । कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें मतदाताओं के पते के रूप में बिजली बोर्ड के

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

[श्री वी०एस० विजय राघवन]

दफ्तर का पता दिया गया है । नियमों के अन्तर्गत, सदस्यों की गिनती पूरी होने पर परिवार के मुखिया को सूची पर हस्ताक्षर करने होते हैं । मुझे हैरानी है कि इन मामलों में हस्ताक्षर किसने किए हैं । केरल में मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के यह मामले बिल्कुल स्पष्ट हैं । यह अत्यंत गंभीर मामला है । हालांकि मतदाता सूचियां तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती हैं, किन्तु यह राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही हैं । यह अधिकारी विभिन्न संघों से संबंधित होते हैं जिनका संबंध विभिन्न राजनैतिक दलों से होता है । स्वाभाविक है कि उनके कार्य पर राजनैतिक प्रभाव पड़ेगा । इसलिए, मेरा यह सुझाव है कि मतदाता सूचियां तैयार करने का संपूर्ण कार्य सीधे निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना चाहिए । राज्य सरकार की मशीनरी को इससे दूर रखा जाना चाहिए । इस संबंध में मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि यह दूसरों के लिए सबक हो । इसलिए, सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि जिन राज्यों से गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं वहां पर पर्यवेक्षक भेजे जाएं और गलतियों को सुधारा जाएं ।

अन्त में मेरा यह सुझाव है कि मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए जाएं । इससे जाली मतदाताओं की संभावना समाप्त हो जाएगी । इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सुझाव पर गम्भीरता से विचार करे ।

मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधित्व विधेयक 1950 जो संशोधन के लिए लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । सारे देश को इस बात का गौरव है, फख्र है कि प्रजातन्त्र के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए प्रधान मंत्री जी ने मताधिकार की आयु सीमा 21 साल से घटा कर 18 साल करने का फैसला लिया है, इसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है ।

यह बात सही है कि नवयुवकों को सरकार बनाने में, देश का प्रशासन चलाने में, उनकी शक्ति, उत्साह और कर्मठता को देखते हुए भागीदारी मिलनी चाहिए थी । मान्यवर, काफी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है जो तर्कसंगत प्रतीत होता है । यह बात सही है कि 5 करोड़ के आसपास मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि 18 साल की उम्र के बजाए 14, 12 या 13 साल के लड़कों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल कर लिए जाते हैं और वास्तविक मतदाता मतदान से वंचित रह जाता है । इसलिए इस विधेयक का तो हम स्वागत करते हैं, आशा यह थी कि एक कम्प्रीहेंसिव बिल के रूप में इसको लाया जाएगा, जिसमें इस बात की गारन्टी की व्यवस्था होती कि इनपर्सोनिशंस को रोका जाएगा, जिसमें आईडिएंटिटी कार्डस इशू करने की व्यवस्था होती । डी-लिमिटेशंस आफ कांस्टीट्वेंसीज की बात कही गई, यह भी तर्कसंगत है । जिस रफ्तार से प्रगति हो रही है, आबादी बढ़ रही है, आबादी रहित क्षेत्रों में मोहल्ले, नगर और टाउन बन रहे हैं, मतदाताओं की संख्या काफी हो गई है । 9-10 लाख मतदाताओं से एक एम पी चुनकर

आता है जो इसी हिन्दुस्तान के सिक्किम जैसे राज्य की जनसंख्या से ज्यादा है। प्रजातन्त्र को ठीक से चलाने के लिए समय-समय पर डी-लिमिटेशन की आवश्यकता है और इसे सरकार को अवश्य करना चाहिए। तीस सालों से जो रिजर्व्ड कांस्टीच्युएंसीज हैं उन्हें भी बदलना चाहिए ताकि प्रजातंत्र का वास्तविक मतलब दिखाई पड़े, उस दिशा में क्रियान्वयन हो रहा है। हमारे यहां जो प्रैक्टिस चल रही है चुनाव की, उसमें नॉन सीरियस कैन्डीडेट्स नोमिनेशन फाइल कर देते हैं। इससे आठ फुट लंबा बैलेट पेपर बन जाता है जिससे मतदाता को दस मिनट तो नाम ढूंढने में ही लग जाते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे नान सीरियस कैन्डीडेट्स को एलीमिनेट किया जाए। यह बड़े अफसोस की बात है कि अपराधी तत्व भी राजनीति में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। सरकार को इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने चाहिए ताकि अपराधी तत्व प्रवेश न कर सकें। इलैक्ट्रोनिक्स मशीन से जल्दी गणना की जा सकती है, खर्चा भी कम होता है और लॉ एंड आर्डर की प्राबलम भी साल्व हो सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि इलैक्ट्रोनिक्स मशीन अवश्य लगानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव जी का इस बात के लिए तमाम भारत के नौजवानों की तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस देश के पांच करोड़ नौजवानों को मतदान का अधिकार दिया है। इसके साथ ही इस विधेयक का समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने एक ही तरह के सुझाव दिए हैं। मैं सबसे पहले आइडेन्टीटी कार्ड के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। परिचय पत्र सिर्फ लोगों का परिचय देने में या बोगस वोटिंग कास्ट करने में ही रुकावट नहीं करेगा बल्कि दस प्रतिशत ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम एक जगह नहीं बल्कि चार-चार जगह पर दर्ज होते हैं। वे अपने मत का प्रयोग कई जगहों पर करते हैं इसमें कमी आयेगी। आज के हालात में गुंडा एलीमेंट बूथ कैप्चरींग, नाजायज ढंग से वोटिंग और चुनाव प्रणाली को खराब करने की कोशिश करता है, उसमें काफी हद तक परिचत्र पत्र होने से सुधार आयेगा। इसलिए, मैं परिचय पत्र के लिए बहुत ही ज्यादा जोर देना चाहता हूं। हमारे हरियाणा में चुनाव की स्थिति यह है कि वहां यह नहीं देखा जाता कि किसके साथ कितने सपोर्टर्स हैं बल्कि यह देखा जाता है कि किसके साथ कितने बदमाश हैं। अगर ज्यादा बदमाश हैं तो वह जरूर जीतेगा। अगर कोई सच्चा और ईमानदार आदमी है तो वह हरियाणा में चुनाव नहीं जीत सकता। जब तक पूरी तरह से काबू नहीं किया जाएगा तो लोगों का वर्तमान सिस्टम में विश्वास उठ जायेगा। इस चुनाव प्रणाली से विश्वास उठने के बाद क्या हालात होंगे यह आप सोच सकते हैं। विश्वास बनाए रखने के लिए हमें चुनाव प्रणाली को फूलप्रूफ बना देना चाहिए जिससे कोई आदमी चुनाव में गड़बड़ी न कर सके और जिसको लोग चाहते हैं, वही आदमी जीतकर आए। लोकप्रतिनिधित्व कानून में या संविधान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि किस प्रदेश के अन्दर कितने लोगों का मन्त्रिमंडल होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जैसे मेरा प्रदेश हरियाणा है जहां हर तीसरा आदमी मंत्री है और हर दूसरा आदमी किसी न किसी बोर्ड का चेयरमैन है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर जब तक गहराई से विचार नहीं किया जायेगा और कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा कि इस संख्या से ज्यादा मन्त्रिमंडल में सदस्य नहीं होंगे उस समय तक बात नहीं बनेगी। इससे लोगों का पैसा जो सरकारी खजाने में है, जो कि लोगों के विकास के लिए लगाना चाहिए उसका दुरुपयोग होता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। हरियाणा के अन्दर

[श्री पीयूष तिरकी]

गुज्जर का प्रतिनिधि मन्त्रिमंडल में नहीं है तो गुज्जर कहीं सम्मेलन कर लेते हैं और जाटों का कोई सदस्य मंत्री नहीं है तो वे भी सम्मेलन कर लेते हैं।

* *

आज यह हालात हैं। इन पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के विरोध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता लेकिन इसमें कुछ नयापन भी नहीं है जिसके बारे में सरकार श्रेय ले सके। राष्ट्र के युवाओं की यह मांग रही है कि 18 वर्ष के लोगों को मताधिकार दिया जाए और यह भारत के युवाओं की जीत है जिसके लिए वे वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। कई राज्यों ने तो इसे पंचायत चुनावों के लिए स्वीकार भी कर लिया है। उदाहरणस्वरूप, मैं यहां पश्चिम बंगाल का उल्लेख कर सकता हूं जहां 18 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को पंचायत चुनाव के लिए मताधिकार प्रदान किया गया है।

महोदय, हमारे देश में चुनाव करवाना दिनोंदिन कठिन होता जा रहा है। अब चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हैं। माननीय मंत्री इस बात से अवगत होंगे कि इसके बारे में हमने कुछ समय पूर्व चर्चा भी की थी लेकिन इस वक्त उन बातों पर चर्चा करने का समय नहीं है। अब राजनीति धन और बल पर आधारित हो गई है अत: सरकार को धन और बल के प्रयोग को चुनाव में नियंत्रित करने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सत्ताधारी दल और विपक्ष से मेरे अनेक मित्रगण इस बारे में अपनी आशंका जाहिर कर चुके हैं कि राजनैतिक दलों के द्वारा कभी-कभी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए असामाजिक तत्वों और गुण्डों का उपयोग किया जाता है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लिया गया और वास्तविक मतदाताओं, विशेषकर गरीबों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और हरिजनों को मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित कर दिया जाता है। उन्हें मतदान केन्द्र पर भी नहीं जाने दिया जाता है। अत: इस दृष्टि से हमारे देश में चुनाव हास्यास्पद साबित हो रहा है जिसके फलस्वरूप अधिकांश लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों में कोई विश्वास नहीं है। कुछ राज्यों में हमने देखा है कि निर्वाचित लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है। वहां कोई आचार संहित नहीं है; वे खरीदे जा सकते हैं, वे अपना दल बदल सकते हैं और वे मंत्री पद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया के बारे में इस तरह की बातें हमारे देश में हो रही हैं। अत: चुनाव प्रक्रिया ऐसी बनाई जाए जिससे कि सच्चे प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सके। बड़े जमीदारों, शोषण करने वाले वर्गों, काला-बाजारी करने वाले लोगों के पास धन और बल दोनों हैं। यही लोग पंचायतों, विधान सभाओं और अन्य निकायों में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत: लोगों का वर्ग अर्थात निर्धन वर्ग की उपेक्षा की जा रही है। निर्वाचित निकायों में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वे किसी भी जाति, धर्म या भाषा बोलने वाले हो सकते हैं पर उनकी उपेक्षा की जाती है। उदाहरण

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

के लिए मैं असम का उल्लेख करना चाहूंगा। प्राधिकारी कहते हैं कि उनमें से कुछ विदेशी हैं। उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए किसके पास जाना चाहिए और क्या उन्हें मतदान का अधिकार मिलेगा या नहीं ?

अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग भी इस बात के लिए राज्य सरकार पर आश्रित हैं कि उन्हें इसका दर्जा दिया जाएगा या नहीं। जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगी तब तक आप उनकी सही संख्या का पता नहीं लगा पायेंगे। आप उन्हें आरक्षण और अन्य सुविधाएं कैसे प्रदान करेंगे ? यह एक बहुत ही कठिन समस्या है। अत: सरकार को सभी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : उपाध्यक्ष जी, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि 18 साल के नौजवानों को मत देने का अधिकार देकर हमारे प्रधान मंत्री और भारत सरकार ने कारहाये नुमाया अंजाम दिया है जिसका इतिहास हमेशा साक्षी रहेगा, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जब मतसूचियां तैयार की जाती हैं तो बहुत से क्षेत्रों में हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों, अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों के लोगों के नाम, मुहल्ले के मुहल्ले, आबादी की आबादी या गांव के गांव जान बूझकर छोड़ दिये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात की व्यवस्था करे और यदि आवश्यक हो तो बिल में एक संशोधन और लाए ताकि मतसूचियां तैयार करने वालों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, यदि उनके क्षेत्र से कोई मुहल्ला, आबादी या गांव वोटिंग लिस्ट में आने से बाकी रह जाएगा तो उन्हें इसके प्रति जिम्मेदार ठहराते हुए, उस शासकीय कर्मचारी को दोषी मानते हुए, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

दूसरे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत से इलाकों में आज भी पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब और शोषित लोग अपने मत देने के अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं, यदि कर पाते हैं तो किसी दबाव में आकर करते हैं या सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए शासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ मोबाइल पोलिंग स्टेशन्स हर जगह हों, खासकर उन क्षेत्रों में जहां के लोग किसी आतंक के कारण, दमन के कारण अपने मत का उपयोग नहीं कर पाते, ताकि बिना किसी दबाव के वे अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकें।

उपाध्यक्ष जी, यहां कई बार मतदाताओं को शासन की ओर से आइडैन्टिटी कार्ड्स जारी करने की बात कही गयी, मैं भी चाहता हूं कि अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक यूथ को और नागरिक को आईडैन्टिटी कार्ड्स दिए जाने चाहिए, वोटिंग के दृष्टिकोण से, मतदान के दृष्टिकोण से आइडैन्टिटी कार्ड्स अनिवार्य रूप से बनाए जायें। मैं इस प्रावधान के लिए शासन की प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपने इस बिल में कांसटीट्एंसीज के डिलिमिटेशन की व्यवस्था की है परन्तु हमारे यहां बहुत से सुरक्षित इलाकों में दूसरे लोगों को मताधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं चाहूंगा कि सदन इस ओर ध्यान दे और एक बार फिर से सारी परिस्थिति को रिव्यू करे और ऐसी व्यवस्था करे ताकि सभी लोग अपने अधिकार का प्रयोग बिना किसी दबाव के कर पायें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

جناب عزیز قریشی(ستنا) : اپادھیکش جی مین میں لوک پرتی نیدھوتو (سنشودھن) ودھیک کا سمرتھن کرنے کیلئے کھڑا ھوا ھون ۔ یہ بات صحیح ھے کہ اٹھارہ سال کے نوجوانون کو مت دینے کا ادھیکار دیکر ھمارے پردھان منتری اور بھارت سرکار نے کارھائے نمایان انجام دیا ھے ۔ جسکا اتہاس ھمیشہ شاکشی رھیگا ۔ لیکن مین اس سمبندھ مین کہنا چاھونگا کہ جب مت سوچیان تیار کی جاتی ھین تو بہت سے چھیترون مین ھریجن آدی واسی پچھڑے ورگ کے لوگون غریبی ریکھا کے نیچے رھنے والے لوگون الپ سنکھیون کو اور انسے ورگون کے لوگون کے نام محلے کے محلے آبادی کی آبادی یا گاؤن کے گاؤن جان بوجھکر چھوڑ دئے جاتے ھین ۔ مین چاھون گا کہ سرکار اس بات کی ویوستھا کرے اور یدی اویشیک ھو تو بل مین ایک سنشودھن اور لائے تاکہ مت سوچیان تیار کرنے والون کو اسکے لئے ذمہ دار ٹھرایا جاسکے ۔ یدی اسکے چھیتر سے کوئی محلہ آبادی یا گاؤن ووٹنگ لسٹ مین آنے سے باقی رہ جائیگا تو انہین اسکے پرتی ذمہ دار ٹھراتے ہوئے اس شاسکیہ کرمچاری کو دوشی مانتے ہوئے اسکے ورودھ کارروائی کی جائیگی ۔

دوسرے مین کہنا چاھونگا کہ ھمارے بہت سے علاقون مین آج بھی پچھڑے ورگ کے لوگ اپنے مت دینے کے ادھیکار کا اپیوگ نہین کرپاتے ھین ۔ یدی کرپاتے ھین تو کسی دباؤ مین آکر کرتے ھین ۔ یا صحیح اپیوگ نہین کرپاتے ھین ۔ اسلئے شاسن کو ایسی ویوستھا کرنی چاھئے کہ پوری پولیس سورکشا کے ساتھ موبائل پولنگ اسٹیشن ھو جگہ ھون ۔ خاصکر ان چھیترو مین جہان کہ لوگ کسی آتنک کاری کے کارن اپنے مت کا اپیوگ نہین کرپاتے ھین ۔ تاکہ بنا کسی دباؤ کے وہ اپنے مت کاادھیکار کا پریوگ سوتنتر روپ سے کرسکین ۔

ابادھیکش جی ۔ یہاں کئی بار مت داتاؤں کو شاسن کی اور سے آئیڈنٹیٹی کارڈس جاری کرنیکی بات کہی گئی ۔ مین بھی چاھتا ھون کہ انیوارے روپ سے دیش بھر تیکا یوتھ کو اور ناگرکون کو آئیڈنٹیٹی کارڈس دئیے جانے چاھئے ۔ ووٹنگ کے درشٹی کورن سے مت داں کے درشٹی کورن سے آئیڈنٹیٹی کارڈس انیوارے روپ سے بنائے جائین ۔ مین اس پرا ودھان کے لئے سائین کی پرشنسا کرنا چاھون گا کہ آپنے اس بل مین کانسٹی چیوینسز کے ڈیلیمیٹیشن کی ویوستھا کی ھے پرنتو ھمارے یہاں بہت سے سورکشت علاقون مین دوسرے لوگون کو مت ادھیکار ابھی تک نہین مل پایا ھے ۔ مین چاھون گا کہ سدن اس اور دھیان دے اور ایک بار پھر سے ساری پرستھتی کو ریوو کرے اور ایسی ویوستھا کرے تاکہ سبھی لوگ اپنے ادھیکار کا پریوگ اپنا کسی دباؤ کے کرپائین ۔ ان شبدون کے ساتھ مین سنشودھن ودھیک کا سمرتھن کرتا ھون ۔

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष जी, चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं दो-तीन मुख्य बातें कहकर ही बैठ जाऊंगा। यहां हमारे विपक्ष के लोगों ने भी कहा और मैं भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि हम इस देश में लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय अवश्य कीजिये जिससे कि हम और आप दोनों मिल-बैठ कर बूथ-कैप्चरिंग की समस्या का कोई समाधान निकालें। अभी बिहार में कुछ ऐसे भाग हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं और हरियाणा तो पूरे का पूरा ऐसा है जहां बूथ कैप्चरिंग खुल कर होता है। इन इलाकों से राजनीति में क्रीमिनल्स आ रहे हैं। यदि यह क्रम आगे भी चलता रहा तो एक वक्त वह आयेगा जब यहां पर क्रीमिनल्स बैठेंगे और हम बाहर हो जायेंगे। यह बहुत ही गम्भीर मामला है और इस विषय पर हमें पूरी सीरियसनैस के साथ सोचना चाहिये, विपक्ष के लोगों को भी सोचना चाहिये। आप लाख आइडेंन्टिटी काड्'स जारी कर लीजिये, लाख इलैक्ट्रानिक्स वोटिंग मशीन इन्ट्रोड्यूस कर लीजिये लेकिन जब तक बूथ्स पर गुंडे ही गुंडे भरे रहेंगे तो अच्छे लोग डर के मारे बूथ तक जा ही नहीं पायेंगे, फिर वोट करेगा कौन ? इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहां आप सी०आर०पी०एफ० या बी०एस०एफ० को डिप्लाय करें जिससे कम से कम लोग वोट तो दे सकें। यदि लोग वोट दे सकेंगे, तो कम से कम अच्छे लोग तो चुनकर आएंगे नहीं तो आप यहां लाख लैजिस्लेशन पास करें, उससे कोई मकसद हल नहीं होगा। आज यदि आप इसकी सीरियसनैस को नहीं समझेंगे तो कल यह मामला बहुत गम्भीर हो जाएगा और तब हम चाहेंगे तो भी इस मामले का सॉल्यूशन नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार केवल इतना ही काम करे कि बूथ कैप्चरिंग को बन्द करवा दे जिससे वोटिंग निष्पक्ष हो सके।

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

दूसरी बात यह है कि आपने जो इलैक्ट्रोनिक मशीनें बनाई हैं उनका इतना ज्यादा प्रचार टेलीविजन पर होना चाहिए जिससे कि लोग समझ सकें कि किस तरह से वोटिंग होगी।

अन्त में, मैं विपक्ष से कहूंगा कि 18 वर्ष की उम्र के विद्यार्थियों को वोट का अधिकार देकर प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग और हम लोग, चूंकि बिहार और उत्तर-प्रदेश में 18 वर्ष के लड़के स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग कर दें कि न तो आप उन्हें स्कूल में डिस्टर्ब करने जाएंगे और न हमारी पार्टी जाएगी। यदि हमें कनवेसिंग करनी होगी, तो हम स्कूल के बाहर करेंगे, जिससे उनकी शिक्षा डिस्टर्ब न हो। अन्त में मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु की है। भारत के प्रजातंत्र में विद्यार्थियों के लिए यह एक उत्साहवर्धक कार्य किया है। इसलिए हिन्दुस्तान के 5 करोड़ युवाओं में काफी हर्ष है। हिन्दुस्तान के इतिहास में हमारे प्रधान मंत्री जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिया जाएगा।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हू, जहां तक मतदान का प्रश्न है, निर्भय हो कर मतदान गरीब और कमजोर वर्ग के लोग कर सकें, इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और जो लोग वहां फर्जी मतदान करवाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप एक ऐसा कमीशन बनवाईए जो जैन्यूइन वोटर को अपना वोट नहीं गिराने दे और बोगस वोट उसकी जगह पर गिरा दे, उसको पकड़कर उसको सख्त सजा दी जाए। इसके लिए आप कमीशन बनाकर पक्की व्यवस्था कीजिए।

मान्यवर, जहां तक बोगस वोट का सवाल है, 1977 में आपने देखा होगा। जनता पार्टी के लोग इसी तरह से बोगस वोट गिरा के आ गए और किसी भी जैन्यूइन को वोट नहीं गिराने दिया। उन्होंने बम से, लाठी से, बन्दूक से बोगस वोट गिराए। इसलिए जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जहां तक बूथ का प्रश्न है, गांव में ऐसी कई जगहें हैं जहां गांव वालों को बहुत दूर जाकर वोट देना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस गांव की आबादी 500 है, उस गांव में वोटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां के लोग वहीं वोट गिरा सकें। इसका कारण यह है कि गांव वाले बहुत दूर जा नहीं पाते हैं इसलिए उनकी जगह पर बोगस वोट गिराने का उन लोगों को मौका मिल जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, डीलिमिटेशन की बात जो इसमें कही गई है। यह भी बहुत अच्छी बात है। मेरा सुझाव है कि इसके बारे में एक कमेटी बने और इस क्षेत्र में भी परिवर्तन होना चाहिए।

महोदय, मैं इसके साथ-साथ आइडेंटिटी कार्ड के बारे में भी कहना चाहता हूं। इस बिल में भी यह बात कही गई है। यह होना चाहिए। यह कमजोर वर्ग के लोगों के लिए खास कर के बहुत जरूरी होगी। जो जैन्यूइन वोटर हैं, इसके जरिए वे ही वोट डाल सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक साधारण पर बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

कांग्रेस का इस देश के युवकों में बहुत अधिक विश्वास है। कांग्रेस ने अपनी सम्पूर्ण जिन्दगी में इस देश के युवाओं का समर्थन किया है। कांग्रेस द्वारा युवाओं के प्रति इसी विश्वास के कारण सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

इस विधेयक के द्वारा मतदाताओं की उम्र को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया है।

महोदय, यद्यपि हमारी सरकार इस बात को जानती है कि युवक सामान्यत: शासन के विरुद्ध होते हैं तथापि वह मतदान की आयु को कम करने की बात पर सहमत हो गयी है। हम लोगों के लिए दल से ज्यादा देश महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे समक्ष 21 वर्ष वाली मतदाता सूची उपलब्ध है तो भी मेरे राज्य खासकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में क्या स्थिति है ? मैं आपको अनेक उदाहरण देकर यह बता सकती हूं कि उस समय 14 वर्ष से कम आयु के बालकों और बालिकाओं का नाम मतदाता सूचियों में दर्ज थे। जब हमने इसका जिक्र किया, तो कहा गया कि सरकार इसकी जांच करेगी। हमने अब तक क्या पाया ? निश्चित तिथि समाप्त हो जाने के बाद भी हमने देखा की इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वे अब भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का संदेह है कि अब मतदाता सूचियों में 10-12 वर्ष की आयु के लड़के-लड़कियों का नाम भी दर्ज किया जायेगा। मैं जानती हूं कि इस सम्बन्ध में हम कितना भी अपना विरोध जाहिर करें, पर सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। चुनावों के प्रभार अधिकारियों और राज्य में मतदाता सूचियों की देखभाल करने वाले अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जायेगी क्योंकि वे सत्ताधारी दल के कैडर से भयभीत रहते हैं।

महोदय, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने के पहले यह आग्रह करूंगी कि इस बात का पता लगाया जाये कि जाली मतदाता सूची के सम्बन्ध में उन्हें क्या जांच-पड़ताल या कार्यवाही करनी चाहिए। यह मेरे लिए उचित समय नहीं है कि मैं वहां जाली मतदाता सूचियों को तैयार करने के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के बारे में कहूं। मेरा सुझाव है कि जल्द से जल्द परिचय पत्र जारी किये जाएं और जितना जल्दी सम्भव हो सके, हम चुनाव के वक्त वहां मत डालने वाली मशीनों का उपयोग कर सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1989 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के दो भाग हैं। मेरे अनुसार, इसका प्रथम भाग केवल आनुषंगिक है अर्थात् संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के पारित होने के परिणामस्वरूप हमें धारा 19 में संशोधन करके मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के उपबन्ध को सम्मलित करना होगा। वस्तुत: मैंने उसी समय यह इंगित किया था कि इस तरह के संवैधानिक संशोधन करते समय, हमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह संशोधन करना भी

[श्री शरद दिघे]

आवश्यक होगा। लेकिन किसी कारणवश सभी राज्यों द्वारा 61वें संविधान संशोधन को अनुमोदित किये जाने तक इसे स्थगित रखना पड़ा। मैं इसे समझ सकता हूं। संशोधन के उस भाग का इस सभा के प्रत्येक वर्ग द्वारा स्वागत किया गया था। इस समय उस विषय का फिर से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

महोदय, दूसरा भाग, जिसका इस विधेयक में उल्लेख किया गया है, परसीमन का है। मेरा विचार है कि यह अस्पष्ट है। केवल यही नहीं बल्कि उद्देश्यों और कारणों के कथन से भी यह स्पष्ट नहीं होता या यह पता नहीं चलता कि सरकार को किस कारण से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करना पड़ रहा है। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अन्तर्गत और विशेष रूप से इस परन्तुक के अन्तर्गत, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है, वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन पर रोक लगा दी गई है, जिसके अनुसार :

> "परन्तु यह और भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन का पुन: समायोजन और इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन आवश्यक नहीं होगा।"

अत: यह वर्ष 1971 के जनसंख्या के आधार पर स्थिर किया गया है। इसी तरह, जहां तक अनुच्छेद 330 के परन्तुक का सम्बन्ध है। आरक्षित सीटों को भी 1971 की जनसंख्या के आधार पर स्थिर किया गया है, इसमें कहा गया है

> "परन्तु इस स्पष्टीकरण में अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, के प्रति निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।"

जहां तक परिसीमन और आरक्षण समाप्त करने का सम्बन्ध है, तो इसकी संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई थी और संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार यह सम्भव नहीं है कि परिसीमन और आरक्षित सीटों में कोई बदलाव लाया जा सके। अत: वास्तव में मैं खण्ड (क क) का मतलब नहीं समझता हूं जिसे धारा 9 में जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अनुसार :

> "निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और सम्पृक्त राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय-समय पर संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे उसे किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन संसदीय या सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश का उस आदेश के साथ समकेन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;"

अत: कानून मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, इस खण्ड के अन्तर्गत इसका आशय क्या है, वे कौन से आदेश हैं जिन्हें समेकित किया जाना है और इस खण्ड का उद्देश्य

क्या है ? अगर परिसीमन और आरक्षण समाप्त करने को संवैधानिक उपबन्धों से अलग रखा जाता है और अगर वे वर्ष 1971 के आधार पर स्थिर किये गये हैं तो चुनाव आयुक्त धारा 9 (क क) के अधीन आगे क्या करने जा रहे हैं ? ये समर्थकारी उपबंध क्या हैं ? इसकी वास्तविक मंशा क्या है ? उद्देश्यों और कारणों के विवरण से भी यह स्पष्ट नहीं होता है । यह उदाहरण देकर अभी तक भी सदन को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया गया है । अत: मैं विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मुद्दे को स्पष्ट करें ताकि हम समझ सकें कि जो खण्ड हम जोड़ना चाहते हैं उसका उद्देश्य, तात्पर्य तथा अभिप्राय क्या है ?

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं अपनी सरकार को जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1987 लाने के लिए बधाई देती हूं । हमने पहले ही इस सत्र में चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में चर्चा की है । सरकार यह संशोधन विधेयक इसलिए लाई है क्योंकि इसकी अत्यन्त आवश्यकता थी । मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि उस ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी है । यह एक सुखद उपाय है । मैं विशेषकर अपने राज्य के संबंध में केवल एक या दो मुद्दे उठाना चाहती हूं क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है । मैं अपने देश के सभी भागों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करना चाहती हूं और मैं केवल अपने राज्य के सम्बन्ध में ही कहूंगी ।

वास्तव में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र है ही नहीं । यदि आप मतदाता सूची देखें तो आप को पता चलेगा कि यह सूची जाली मतदाताओं से भरी पड़ी है । वहां मतदाता सूची में एक विशेष संवर्ग के एक व्यक्ति का नाम 10 बार लिखा हुआ है । दल का प्रत्येक सदस्य अपने दल के हित में कम से कम 10 मत देता है । मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वह कृपा करके चुनाव आयुक्त को इस मामले की ओर ध्यान देने और यह सुनिश्चित करने का निदेश दें कि क्या शिकायत सही है या नहीं । हमने पहले ही चुनाव आयुक्त से निवेदन किया है । हमने अनेक सुझाव दिए हैं और कई बार व्यक्तिगत रूप में भी चुनाव आयुक्त से मिले हैं । मतदाता सूची जाली और नकली मतदाताओं से भरी पड़ी है । मतदाता सूची से जाली और नकली मतदाता निकाल दिए जाने चाहिए । अन्यथा हम निष्पक्ष चुनावों की आशा कैसे कर सकते हैं ? यदि यही स्थिति बनी रही तो मेरे राज्य में विशेष रूप से यह निष्पक्ष चुनाव पक्षपाती चुनाव बन कर रहेंगे । मेरे राज्य में चुनाव के समय धन शक्ति और जनशक्ति सदा काम करते हैं । यदि यह स्थिति बनी रही, तब तो लोकतंत्र का कोई महत्त्व नहीं होगा ।

आजकल चुनाव लड़ना बहुत महंगा है । अब धन और जनशक्ति के कारण मध्यम-वर्गी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं । कुछ तत्व इस धन और जन-शक्ति से काम लेते हैं । अत: मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि वह इस मामले की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे ।

मंत्री जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बहुत से बंगलादेशी लोग मेरे राज्य में आ रहे हैं । यदि आप मतदाता सूची देखें तो आपको पता चलेगा कि इस घुसपैठ के कारण सहस्रों बंगलादेशियोंके नाम मतदाता सूची में सम्मलित किए गए हैं । यदि आप 1 अप्रैल का प्रारूप प्रकाशन देखें तो पायेंगे कि उसमें बंगलादेशी मतदाताओं के नाम भी सम्मिलित किए गए हैं । मार्क्सवादी साम्यवादी दल के एक सदस्य ने कहा कि त्रिपुरा की मतदाता सूची में दो विदेशियों के नाम सम्मिलित हैं । मुझे इसकी जानकारी नहीं है । किन्तु मेरे राज्य में मतदाता सूची ऐसे नामों से भरी

[कुमारी ममता बनर्जी]

हुई है। हमने इस संबंध में कई बार शिकायत की है और हमने यह मुद्दा सलाहकार समिति की बैठक में भी उठाया है।

इस समस्या से जूझने के लिए आप सीमावर्ती क्षेत्रों में पहचान पत्र जारी कर सकते हैं। अन्यथा आप इस प्रकार की घुसपैठ को नहीं रोक सकते हैं। स्थानीय पंचायत और मार्क्सवादी साम्यवादी दल के सदस्यों की सहायता से इन बंगलादेशी लोगों ने मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराए हैं। मैं नहीं जानती हूं कि भारत के नागरिक कौन हैं और बंगलादेश के नागरिक कौन हैं। इनमें कोई अन्तर नहीं है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इन मामलों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें और इस विशेष सीमावर्ती क्षेत्र के लिए पहचान पत्र जारी करें।

मैं इलैक्ट्रॉनिक मशीनों के संबंध में दो शब्द कहना चाहती हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में जादवपुर एक नाजुक इलाका है। यहां मार्क्सवादियों का अधिक जोर है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से प्रथम बार कांग्रेस को यह स्थान प्राप्त हुआ है। इस विशेष चुनाव क्षेत्र में मार्क्सवादी दल किसी अन्य राजनीतिक दल को काम करने नहीं देता है। इसीलिए मैं आप से निवेदन करती हूं कि आप इस विशेष क्षेत्र में इलैक्टॉनिक कम्प्यूटर मशीनें लगवाएं।

अंत में मैं यह कहना चाहती हूं कि चुनाव के समय आपको पश्चिम बंगाल की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक बार अब्राहम लिंकन ने लोकतन्त्र की परिभाषा करते हुए कहा था कि वहां की सरकार "जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए" होती है। किंतु पश्चिम बंगाल में यदि आप आएंगे तो आप देखेंगे कि वहां की सरकार मार्क्सवादियों की, मार्क्सवादियों द्वारा और मार्क्सवादियों के लिए है। वे शक्ति का बेतहाशा प्रयोग करते हैं विशेषकर चुनाव के दौरान। मैं चाहती हूं कि आप न्याय करें। इस अन्याय से न तो वंचित ही किया जाना चाहिए और न ही इस में विलम्ब होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक क्रान्तिकारी कदम है। क्रान्तिकारी कदम इसलिए है कि प्रधान मंत्री जी ने नवयुवकों को, जो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, उसमें शामिल करने का मौका दिया है। दुनिया में जितने चमत्कारी काम हुए हैं, चाहे विज्ञान में हुए हैं चाहे धार्मिक क्षेत्र में हुए हैं, चाहे साहित्य क्षेत्र में हुए हैं—ये सारे काम कम ही उम्र में हुए हैं। बाद में सिर्फ अनुभव का सहारा लेता है। आप शंकराचार्य जी का नमूना देख लीजिए, जैससक्राइस्ट का नमूना देख लीजिए, न्यूटन का नमूना देख लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये काम बहुत सही काम हुए हैं।

इस सदन में एक बात और उठाई गई है···(**व्यवधान**)·····बिहार के बारे में कहा गया है कि बूथ कैप्चरिंग होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग एक दम नहीं होता है। गांव के अगर दो व्यक्ति चाहते हैं कि यहां पर वोट न पड़े, तो उस गांव में बूथ कैप्चरिंग नहीं होता है। इसका एक उदाहरण है, 1977 में जिस वक्त कांग्रेस हारी, तो वही आदमी बूथ कैप्चरिंग करने वाला था, जनता पार्टी की सरकार हुई और जनता पार्टी जब हारी तो वही आदमी बूथ

कैप्चरर था, इसलिए बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ। इसलिए मैं यह कहूंगा, यह कहना कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग होता है, यह बिल्कुल सरासर गलत है।

दूसरा मुद्दा कुछ लोगों ने कहा है कि क्रिमिनल्स पोलिटिक्स में आते हैं। तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, वे जनता के पास नहीं जायेंगे और जब जनता की समस्यायें रहती हैं उस समय क्रिमिनल्स जाएगा तो उसको वोट देगा, बुद्धिजीवी को नहीं देगा। यह बात आप मानकर चलिए बुद्धिजीवी यह सोचता है कि वह जनता के पास नहीं जाएगा, जनता उसको वोट दे देगी, यह धारणा गलत है और इसी लिए क्रिमिनल्स पोलिटिक्स में आ रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की हिमायत में खड़ा हूं और मैं समझता हूं कि 5 करोड़ नौजवानों को जो आपने वोटिंग के हक्क दिये हैं, वे काबिले-कद्र है।

मैं समझाता हूं कि आज के इलैक्शन के मामले में तीन मुश्किलात बहुत बड़ी हैं। एक है मुकामी गवर्नमेंट के असरात, दूसरी है मसल पावर और तीसरी है मनी पावर और ये जो तीन ताकतें हैं, जिन वजह से सही इलैक्शन्स मुश्किलात में रहे हैं कि हमारे जिन लोगों का जमूहरियत पर भरोसा है, वे चाहते हैं कि इसे इस मुल्क में बचा रहना चाहिए। गवर्नमैंट अगर कोई उभरती है ताकत के बल-बूते पर और सियासी दवाब से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर के लोगों को वोट के हक से महरूम करती है, इससे पूरे मुल्क को संकट का सामना करना होगा। हिन्दुस्तान की जो बहुत बड़ी ताकत है, वह इन्टेग्रेशन की वजह से है, हमारी एकता की वजह से है। अगर इस जमुहरियत को कमजोर कर दिया गया, तो इसके नतायत बहुत खतरनाक निकल सकते हैं। मैं खबरदार करना चाहता हूं कि 1985 के इलैक्शन्स में जबकि जम्मू व कश्मीर की रियासत में इस बता का संकट पैदा हुआ था कि पार्लियामेंट के इलैक्शन्स आवादाना नहीं हो सकते, तो उस वक्त इलैक्शन कमीशन ने सी०आर०सी० और बी०एस०एफ० को तईनात किया जिन्होंने इलैक्शन्स की इज्जत रख ली और इलैक्शन्स ईमानदारी के साथ हुए और उनमें कोई बेईमानी नहीं हुई लेकिन उसके मुकाबले में 1987 में जो पार्लियामेंट्री इलैक्शन्स हुए, मैं खबरदार करना चाहता हूं, उनमें एक बहुत खतरनाक बात हुई। उसमें लोगों को इलैक्शन के अंदर वोट डालने के हक्क नहीं दिये गये और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ और नतीजतन जम्मू व कश्मीर में एक ऐसी समस्या उस वक्त खड़ी हो गई, जिसका मुकाबला करना दुशवार हो रहा है। 1987 के इलैक्शन्स में बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों ने वोट के हक को इस्तेमाल करना चाहा लेकिन मकामी सरकार ने अपनी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके उसे ऐसा नहीं करने दिया और इलैक्शन्स के नतीजे विलकुल गलत दिये गये। एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि 25, 30 चुनाव हलकों में इन्तिखावात में बिलकुल रिगिंग हुई और इसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर लोग नाराज हो गये। ·· (**व्यवधान**)···वहां पर वेलेट बौक्स के बजाए अब बुलट्स पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इलैक्शन्स के मामले में हमें बहुत अहतियात से काम लेना चाहिए और अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना है, तो वोटों का इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए और लोगों के आजादाना वोट के हक की हिफाजत होनी चाहिए।

جناب عبدالرشید کابلی (سری نگر) : ڈپٹی اسپیکر صاحب ۔ مین اس بل کی حمایت مین کھڑا ہون اور مین سمجھتا ہون کہ پانچ کڑوڑ نوجوانون کو جو اپنے ووٹنگ کے حقوق دیئے ہین و قابل قدر ہے

مین سمجھتا ہون کہ آج کے الیکشن کے معاملے مین تین مشکلات بہت بڑی ہین یہ ایک ہے مقامی گورنمنٹ کے اثراتا دوسری ہے مسل پاور اور تیسری ہے منی پاور اور یہ جو تین طاقتین ہین جنکی وجہ سے ہی الیکشن مشکلات مین رہے ہین ۔ ہمارے جن لوگون کا جمہوریت پر بھروسہ ہے وہ چاہتے ہین کہ اسے اس ملک مین بچا رہنا چاہیے ۔ گورنمنٹ اگر کسوٹی ابھرتی ہے طاقت کے بل بوتے پر اور سیاسی دباؤ سے وہ سرکاری مشنری کا استعمال کرکے لوگون کو ووٹ کے حق سے محروم کرتی ہے ۔ اس سے پورے ملک کو سنکٹ کا سامنا کرنا ہوگا ۔ ہندوستان کی جو بہت بڑی طاقت ہے وہ انٹیگریشن کی وجہ سے ہماری ایکتا کی ہے ۔ اگر اس جمہوریت کو کمزور کردیا گیا تو اسکے نتائج بہت خطرناک نکل سکتے ہین ۔ مین خبردار کرنا چاہتا ہون کہ ۱۹۸۵ء کے الیکشن مین جبکہ جمون و کشمیر کی ریاست مین اس بات کا سنکیٹ پیدا ہوا تھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن آزادانہ نہین ہو سکتے ہین تو اس وقت الیکشن کمیشن نے سی آر پی اور بی ایس ایف کو تعینات کیا جنہون نے الیکشن کی عزت رکھ لی اور الیکشن ایمانداری کے ساتھ ہوئے اور ان مین کوئی بے ایمانی نہین ہوئی لیکن اسکے مقابلے مین ۱۹۸۷ء جو پارلیمانی الیکشن ہوئے مین خبردار کرنا چاہتا ہون ان مین ایک بہت خطرناک بات ہوئی ۔ اسمین لوگون کو الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے کے حقوق نہین دیئے گئے ۔ اور سرکاری مشنری کا استعمال ہوا اور نتیجتا جمون و کشمیر مین ایک ایسی سمسیا اس

وقت کھڑی ہوگئی ہے جسکا مقابلہ کرنا دشوار ہورہا ہے ۔ ۱۹۸۷ء کے الیکشن میں بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں نے ووٹ کے حق کو استعمال کرنا چاہا لیکن مقامی سرکار نے سرکاری مشنری کا استعمال کرا۔ ایسا نہیں کرنے دیا اور الیکشن نتیجے بالکل غلط دئیے گئے ۔ ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا۔ پچیس تیس جناؤ حلقوں میں انتخابات میں بالکل ریگنگ ہوئی اور جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر لوگ ناراض ہوگئے ۔ ۔ ۔ ۔ (انٹرپشن) ۔ ۔ ۔ ۔ وہاں پر اب بیلٹ بوکس کے بجائے بلٹ پر زور دیا جارہا ہے ۔ الیکشن کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے اور اگر اس ملک میں ڈیموکریسی کو مضبوط بنانا ہے تو ووٹوں کا استعمال صحیح ڈھنگ سے ہونا چاہئے اور لوگوں کے آزادانہ ووٹ کے حق کی حفاظت ہونی چاہئے ۔

[अनुवाद]

प्रो० एम० वी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निर्वाचन आयोग को भारत के लोकतन्त्र के लिए बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इन वर्षों लगभग अर्द्ध-शताब्दी तक अपना काम इतनी कुशलता से किया है कि अन्य देशों की तुलना में जो लोकतान्त्रिक माने जाते हैं विशेषकर प्रगतिशील देशों की तुलना में यहां निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया स्थापित हो सकी है । भारत की सर्वोत्तम चुनाव प्रणाली है; धन्य है वह अत्यन्त कुशल प्रणाली जिसके द्वारा चुनाव आयोग ने हमारे चुनावों की व्यवस्था की। इसके साथ ही सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह चुनाव आयोग को अधिक संरक्षक तथा शक्ति उपलब्ध करेगा।

दूसरे, चुनाव केन्द्रों पर कब्जा करना एक रोग सा बन गया है । अनेक स्थानों पर केवल साम्प्रदायिक गुटों को ही नहीं वरन् जाति गुटों और प्रतिद्वन्दी गुटों को भी उत्तेजित किया जाता है। ये बहुत से क्षेत्रों में चुनाव केन्द्र पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं।

युवकों तथा युवतियों को मताधिकार देना ठीक है। किन्तु जब युवतियों की बात आती है तो यह चुनाव आयोग की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि युवतियां स्वतन्त्र रूप से चुनाव केन्द्र पर जाकर अपना मतदान करें। इसका मतलब यह हुआ कि, चुनाव आयोग को जो पुलिस बल और सुरक्षाबल उपलब्ध कराया जाता है उससे कहीं अधिक बल उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अतः चुनाव का काम अवश्य ही बहुत दिन चलना चाहिए, और यह एक ही दिन, एक ही सप्ताह नहीं बल्कि दो तीन सप्ताह चलना चाहिए ताकि जिस पुलिस बल को एक क्षेत्र में काम करने के लिए भेजा जाता है उन्हें दूसरे क्षेत्र में जाकर अपना काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

[प्रो० एन०जी० रंगा]

3.00 म० प०

जहां तक संभव हो सके, पुलिस बल में सभी जातियों और समुदायों के लोग होने चाहिए जिससे एक क्षेत्र में एक जाति के लोगों के लिए दूसरी जाति के लोगों की हिंसा से कुछ सुरक्षा होगी। पुलिस बल को मजबूत करना होगा एक जिले के पुलिस बल को दूसरे जिले में कार्य करने के लिए तैनात किया जाना चाहिए तथा जहां तक संभव हो सके, साम्प्रदायिक और जातीय हितों को भी ध्यान में रखना होगा ताकि जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है, उनके द्वेष बीच में न आएं।

महोदय, हमारे यहां पिछड़ी और निर्धन श्रेणियों के लोग तथा हरिजन लोग हैं। ये सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं जोकि बहुत ही कष्ट और दबाव के अन्तर्गत रहते हैं। उन्हें संरक्षण देना होगा। उन्हें किस प्रकार और कैसे संरक्षण देना है। उनके लिए विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। हर जगह इलैक्ट्रोनिक मशीनें आरम्भ करनी होंगी। उसमें कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। पहचान कार्डों की सांसारिक महत्त्व के, संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण देश में आवश्यकता है। यद्यपि इसमें बहुत अधिक धन राशि खर्च हो सकती है लेकिन यह हमारे लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, लोगों को उचित तरीके से वोट देने में सहायता करने के लिए और नकली लोगों को यह कहने से रोकने के लिए कि वही वास्तविक मतदाता है यद्यपि वे उस स्थान के वास्तविक मतदाता नहीं है, कहीं बेहतर हैं। सरकार द्वारा ये सुरक्षोपाय अपनाने होंगे और उन्हें यह देखना होगा कि हमारा लोकतंत्र जो आज है उससे कहीं अधिक प्रभावकारी और वास्तविक हो।

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और स्पष्ट रूप से विधेयक का समर्थन किया है। सदस्यों ने अधिकतर चिंता चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए जाने के बारे में व्यक्त की है। चुनाव सुधारों के बारे में विचार व्यक्त किये गए हैं यद्यपि इस समय इस विधेयक से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। यह विधेयक 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले मतदाताओं की गणना करने और उस सीमा तक मतदाता सूचियों में संशोधन करने तक सीमित है।

मैं सदस्यों द्वारा लोकतंत्र के प्रभावकारी कार्यकरण और 18-21 वर्षों के आयु वर्ग के अन्तर्गत आने वाले युवाओं के भाग लेने के प्रति उनकी गंभीर चिन्ता के लिए उनका कृतज्ञ हूं। सबसे पहले मैं उन विषयों को लेता हूं जोकि विधेयक के लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं। कुछ सदस्यों ने विधेयक के उपबंधों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं। कुछ सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगें हैं उन्होंने कहा है कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। केवल एक सदस्य, श्री शाहबुद्दीन ने विधेयक में संशोधन करने का सुझाव दिया है और उनके संशोधन विशेषकर खण्ड 2 से संबंधित हैं। महोदय, इससे पहले कि मैं स्पष्टीकरण के विस्तार में जाऊं, जैसाकि माननीय सदस्यों ने विधेयक के कुछ खण्डों के बारे में मांग की है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के बाद, मैं वास्तव में सभा के समर्थन में समय पर पारित करवाना चाहता हूं ताकि इस देश के युवाओं, विशेषकर 18 से 21 आयु वर्ग के अन्तर्गत आने वाले युवाओं को संसद अथवा विधान सभा के आने वाले चुनावों में अपना मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सके। इससे सरकार तथा प्रधान मंत्री द्वारा इस देश के युवाओं को, चुनावों के प्रचार के उद्देश्य के लिए ही नहीं बल्कि अपनी पसन्द के प्रतिनिधियों के

संसद में निर्वाचित करने के उद्देश्यों की तीव्र इच्छा का पता चलता है। प्रधान मंत्री और सरकार की तीव्र इच्छा है। सभा में सबसे वरिष्ठ नेता प्रो० रंगा ने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने और निर्वाचन आयोग के उद्देश्यपूर्ण कार्यकरण के बारे में अभी-अभी कहा है। मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता क्योंकि भ्रष्ट तरीकों, फर्जी मतदान, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना और अन्य मामलों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है जब हमने संविधान संशोधन विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पर चर्चा की थी। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और इसीलिए, मुझे एक बार फिर उन मामलों पर विस्तार से बताने और सभा का समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। श्री शाहबुद्दीन और श्री दिघे द्वारा खंड 2 के संबंध में पूछे गए स्पष्टीकरणों के प्रयोजन के लिए, जिसमें खंड (क क) जोड़ने से 1950 के अधिनियम की धारा में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है, मैं 1950 के अधिनियम की धारा 9 का उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

9. "**निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेश को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति**—(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और सम्पृक्त राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय-समय पर—

(क) यथास्थिति, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 या संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 में की किसी मुद्रण सम्बन्धी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप से उसमें उद्भूत किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा;

(ख) वहां, जहां कि उस आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी क्षेत्रीय खण्ड की सीमाएं या नाम परिवर्तित कर दी जाती हैं या कर दिया जाता है, ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसको आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन हर अधिसूचना अपने निकाले जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र लोक सभा के तथा सम्पृक्त राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

अधिनियम 1950 की धारा 9 के अन्तर्गत यह उपबन्ध है। इस धारा में हम क्या संशोधन करना चाहते हैं ? 1950 के अधिनियम में धारा 9 के अन्तर्गत यह प्रावधान है। इस धारा के संबंध में हम क्या संशोधन करना चाहते हैं ?

खण्ड 2 में कहा गया है :

"लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 9 में, खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा"

"(क क) संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे उस आदेश के साथ समेकन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो..."

मैं दोहराता हूं :

"....उसे किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में (जिसके अन्तर्गत ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-

[श्री बी० शंकरानन्द]

जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भी है) जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश का उस आदेश के साथ समेकन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;"

इस खंड को सामान्य रूप से पढ़ने से, मैं यह कहता हूं कि इससे निर्वाचन आयोग को निर्वाचन क्षेत्र में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, केवल अधिकार जोकि हम निर्वाचन आयोग की दे रहे हैं, वह यह है कि उन्हें इस प्रकार के आदेशों का समेकन करना चाहिए जोकि 1976 के आदेश के साथ समेकन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

शायद माननीय सदस्य ये शंकाएं कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को कुछ अधिकार दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, और जैसा कि खंड के सामान्य रूप से पढ़ने पर स्पष्ट है, हम ऐसे आदेश के समेकन करने के अधिकार के अलावा, जोकि 1976 के आदेश के साथ समेकन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो, कोई अन्य अधिकार नहीं दे रहे हैं। लोगों की यह धारणा है कि इसमें कुछ सन्देहास्पद बात है और इसका उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख नहीं किया गया है।

माननीय सदस्य ने, जिसने इसमें संशोधन करने की मांग की है, वास्तव में, निर्वाचन आयोग को कोई अधिकार अथवा शक्ति देने के बारे में अपनी शंका व्यक्त नहीं की है, इसको छोड़कर कि वह यह जानना चाहते हैं कि वे कौन से आदेश हैं जिनका समेकन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना है। मेरे विचार में मैंने उनकी बात को सही तरह से समझा है।

अब, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1972 में किया गया था। वर्ष 1976 में आदेश पारित किया गया था। उसके बाद बहुत से केन्द्रीय अधिनियम पारित किये गए हैं जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ समेकन करना होगा, जिससे कि सुविधा के प्रयोजन से वे एक स्थान पर उपलब्ध हों।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : क्या आप कृपया एक उदाहरण देंगे जिससे कि हम उसे समझ सके ? मैं इसे समझ नहीं सका हूं। वे कौन से आदेश हैं जिन्हें आप समेकन करना चाहते हैं ? यह संशोधन आवश्यक क्यों हैं ? इस संशोधन का उद्देश्य हमारी समझ में नहीं आया है।

श्री शरद दिघे : कृपया कुछ उदाहरण दीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं वही आपको बताने को था। कृपया धैर्य रखिए और मेरी बात सुनिए।

जिन आदेशों का समेकन करना है, वे परिसीमन आदेश हैं जोकि गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बाद में पारित किये गए हैं। ये आदेश 1976 के बाद पारित किये गए हैं। हमने हाल ही में गोवा को राज्य का दर्जा दिया है, विधान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। यह अधिकार निर्वाचन आयोग को दिया गया है। इसी तरह मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी है। जैसे कि मैंने कहा था परिसीमन संबंधी आदेश एक ही स्थान पर समेकित रूप में उपलब्ध होंगे।

महोदय, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34वां अधिनियम) और अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69वां अधिनियम) के संबंध में केन्द्रीय अधिनियम में

निर्वाचन आयोग को नये राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित करने की भी शक्ति दी हुई है। उन आदेशों को संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश 1976 के साथ समेकित करने की शक्ति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8 के अन्तर्गत या धारा 9 जिसमें केवल 1976 के आदेश की मुद्रण संबंधी गलतियों का जिक्र है, किसी में भी स्पष्टत: नहीं दी गयी है।

इसलिए स्वयं निर्वाचन आयोग ने संसद से यह प्राधिकार चाहा है ताकि उनको इन चीजों को समेकित करने की शक्ति मिल जाये। इसके अलावा मैं समझता हूं कि निर्वाचन आयोग की शक्ति और अधिकार के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कोई संदेह नहीं है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : समेकित करने से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री बी० शंकरानन्द : समेकित करने का अर्थ है सभी आदेशों को एक साथ रखना।

जहां तक अर्हता की तारीख की बात है कुछ माननीय सदस्यों ने चुनाव आयोग द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने के लिए सराहना की है। अर्हता की तारीख जो यहां बतायी गयी है वह 1, अप्रैल 1989 है। कुछ सदस्यों ने संदेह व्यक्त किया है कि क्या यह भविष्य में भी जारी रहेगी। यदि आप स्वयं संशोधन को पढ़ें तो इसमें केवल एक वर्ष विशेष की बात है अर्थात 1989 की। यह खण्ड 4 में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है।

इसलिए महोदय, ये वे कुछ बातें हैं जो शायद विधेयक के खण्डों से सगत हैं और जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी टिप्पणियां और संदेह व्यक्त किये हैं। चूंकि मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं इसलिए मैं उन मुद्दों को नहीं ले रहा हूं जो विधेयक के खण्डों से संबंधित नहीं हैं इसके अलावा उन पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

चुनाव सुधार सतत् प्रक्रिया है, जैसे कि एक सदस्य ने कहा था कि यह एक बार में ही किया जाने वाला काम नहीं है। कई चीजें अभी सभा के समक्ष आनी हैं। संसदीय लोकतन्त्र में जहां हम शान्तिमय तरीकों के जरिये, चुनाव प्रक्रिया के जरिये एक समानतावादी समाज बनाने के लिए सामाजिक परिवर्तनों में क्रान्ति लाने की सोच रहे हैं हमें राज्यों को संरक्षण देना पड़ेगा ताकि उनका यह अधिकार हो कि वे अपनी पसंद की सरकार बना सकें। इसलिए चुनाव सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और जैसे-जैसे हमें चुनाव क्षेत्र में अनुभव होता जायेगा वैसे वैसे हम कई और संशोधनों के साथ सभा के समक्ष आयेंगे, जिनको सभा सराहना करेगी और पारित करेगी। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैंने एक और स्पष्टीकरण का अनुरोध किया था। जहां तक उन संशोधित मतदाता सूचियों की बात है जिन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है, तो, अर्हता की तारीख क्या थी ? क्या यह एक जनवरी 1989 थी या एक अप्रैल, 1989 थी ? यह बात स्पष्ट नहीं की गयी है। और यदि यह एक अप्रैल 1989 है तो जैसे कि माननीय सदस्य ने पहले से लागू करने का प्रश्न उठाया है का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री बी० शंकरानन्द : खण्ड 6 इसे पूरी तरह स्पष्ट करता है और इसमें कहा गया है :

"वर्ष 1989 में मूल अधिनियम के भाग 3 के अधीन निर्वाचक नामावलियों के तैयार करने या पुनरीक्षण के संबंध में इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व की गई सभी बातें और किये गये सभी

[श्री बी० शंकरानन्द]

कार्य, जहां तक कि वे इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं, उन धाराओं द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई या किए गए समझे जाएंगे मानो कि इस प्रकार संशोधित मूल अधिनियम उस समय प्रवृत था जब ऐसी बातें की गई थी या ऐसे कार्य किए गए थे।"

इसलिए प्रत्येक कार्य पहली अप्रैल से किया गया है।

महोदय, उन सभी माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं आशा करता हूं कि सभा विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। श्री सैयद शाहबुद्दीन क्या आप खण्ड 2 पर अपने संशोधन रख रहे हैं ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को देखते हुए मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 1 और 2, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 से 6 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय वाचन में मैं माननीय मंत्री से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहूंगा । यह बहुत साधारण संशोधन है । मत देने की आयु घटा कर 21 से 18 करने के बाद इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में सम्मिलित करना पड़ा । तदनुसार यह किया जा रहा है और मतदाता सूचियों में संशोधन किया जा रहा है । मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है ।

मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना एक ऐतिहासिक कदम है । सारे विश्व में 4 या 5 देशों को छोड़ कर मतदान की आयु 18 है । अतः यह ठीक ही है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में भी इसे 21 से कम करके 18 कर दिया जाये । इस कदम से हमारे नौजवानों में काफी उत्साह पैदा हुआ है । परन्तु इसका खराब पहलू भी है । अब शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ रहे अधिकांश छात्र जो +10 और इससे ऊपर की कक्षा में पढ़ रहे हैं मतदाता बन जायेंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि जो छात्र जूनियर कालेजों में पढ़ते हैं वे भी मतदाता बन जायेंगे । हम इसका स्वागत करते हैं । हमारा युवा शक्ति पर अटूट विश्वास है और उनकी राज्य के मामले में काफी प्रभावी भागीदारी हो जायेगी । लेकिन एक छिपा हुआ भय भी है । मैंने कई प्रोफेसरों से बात की है । कई प्रोफेसरों और अभिभावकों को आशंका है कि शैक्षिक संस्थायें राजनैतिक अखाड़े बन जायेंगे । अतः इसे रोकने के लिए उचित उपचारात्मक उपाय समय रहते किए जाने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० राजहंस पहले इस बात को कह चुके हैं : कृपया बैठ जायें ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं केवल एक सुझाव देना चाहूंगा और स्पष्टीकरण चाहूंगा । कृपया मुझे इस की इजाजत दें । यह हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है । शैक्षिक संस्थाओं में उत्साही युवा मतदाता पंडाल लगा सकते हैं और संसदीय चुनावों या विधान सभा चुनावों के समय सभी राजनैतिक उम्मीदवारों को आमन्त्रित कर सकते हैं । लेकिन क्या हमारे पास यह सब करने के लिए वक्त है? परन्तु यदि हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो उसका क्या असर होगा? मेरा एक साधारण सा सुझाव है । मन्दिर और अन्य धार्मिक स्थानों का प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता । पुजारी और भक्तगण निसंदेह मतदाता होते हैं । लेकिन वे धार्मिक स्थलों से प्रचार कार्य नहीं कर सकते हैं । इसलिए इस प्रकार के संगत कानून में इसी तरह का उपबन्ध होना चाहिए जिसके तहत शैक्षिक संस्थाओं में चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जा सके । इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा । पिछलेक ई वर्षों से मैं समझता हूं कि 1975-76 से हमने निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया है । इनमें कई परिवर्तन हुए हैं । क्या सरकार का निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने तथा शैक्षिक संस्थाओं को चुनाव प्रचार से दूर रखने का कोई प्रस्ताव है ? इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य की सभी आशंकाओं को समझता हूं लेकिन वे विधेयक के उपबन्धों से संगत नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.26 म०प०

पंजाब अग्रक्रय (चण्डीगढ़ और दिल्ली निरसन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में पंजाब अग्रक्रय (चण्डीगढ़ और दिल्ली निरसन) विधेयक लिया जाएगा।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चण्डीगढ़ और दिल्ली राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में यथाप्रवृत पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, मुख्य आयुक्त का दिल्ली प्रदेश 1912 में पंजाब प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को लेकर बनाया गया था। अग्रक्रय अधिनियम पंजाब में 1913 में बनाया गया था और इसे दिल्ली के उपरोक्त क्षेत्रों में लागू किया गया था जो पहले पंजाब प्रदेश के भाग थे। अधिनियम संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के उन भागों में लागू रहा जिनमें इसे मूलत: लागू किया गया था, उन क्षेत्रों के सिवाय जिनमें तदनन्तर दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 लागू हो गया था। कृषि भूमि के सम्बन्ध में यह परवर्ती अधिनियम इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में अग्रक्रय अधिकार को नियन्त्रित करता है। जिन क्षेत्रों में पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913 अब लागू होता है वे चार-दिवारी के अन्दर आने वाली दिल्ली, 51 शहरी गांव और 18 अन्य गांवों के शहरी क्षेत्र हैं।

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पहले पंजाब का हिस्सा था और इसलिए पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913 उस क्षेत्र में भी लागू है।

अधिनियम में उन व्यक्तियों की श्रेणी का प्राथमिकता के आधार पर विशेष उल्लेख किया गया है जिनके पास ग्रामीण तथा शहरी स्थावर सम्पत्ति को बेचने तथा हस्तांतरित करने का अग्रक्रय अधिकार है।

महोदय, निम्नलिखित कारणों से दिल्ली तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में इसके निरसन का प्रस्ताव रखा गया है :—

(एक) यह एक पुरान कानून है जो आज के समाज में उपयुक्त नहीं है।

(दो) यह सम्पत्ति के स्वतन्त्र हस्तांतरण पर अनुचित रोक लगाता है और समाज के समाजवादी ढांचे की भावना के भी विरुद्ध है; और

(तीन) इससे अनावश्यक तथा अवांछित मुकद्दमेबाजी होती है।

महोदय, अग्रक्रय कानून एक व्यक्ति को मोहल्ले में सम्पत्ति खरीदने के लिए अधिमान्य अधिकार देता है। यह परम्परा पुरानी हो गई है। पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913 को पंजाब राज्य में निरस्त कर दिया गया है।

दिल्ली महानगर परिषद ने पंजाब अधिनियम पर विचार किया है और इसके निरसन की सिफारिश की है। चण्डीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के निरसन को जरूरी समझा गया है।

महोदय, इस प्रकार यह विधेयक पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913, जैसा कि यह चण्डीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है, के निरसन हेतु है क्योंकि यह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है।

महोदय, विधेयक का राज्य सभा में आमतौर पर स्वागत किया गया है। मुझे आशा है कि इसका इस सभा द्वारा भी स्वागत किया जायेगा। मैं इस विधेयक को विचारार्थ तथा स्वीकारार्थ सभा को सौंपता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि चण्डीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

श्री बी०बी० रमैया।

श्री बी०बी० रमैया (ऐलुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक अर्थात् पंजाब अग्रक्रय विधेयक, 1988 पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913 जो चण्डीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है के निरसन हेतु लाया गया है। चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पहले पंजाब का हिस्सा था और अब इसे पंजाब से अलग कर दिया गया है।

1913 में विभिन्न लोगों को अधिकार विशेष देने हेतु यह विधेयक पारित किया गया था।

पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913, 1913 में बनाया गया था। इस अधिनियम को 1938 तक संशोधित रूप में मार्च, 1939 में दिल्ली में लागू किया गया था, दिल्ली के केवल उस भाग में जिसका उल्लेख दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 की अनुसूची-क में किया गया है यानि दिल्ली जिले का वह भाग जिसमें दिल्ली तहसील तथा महरौली पुलिस थाना आता है।

अब चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र पहले पंजाब का हिस्सा था। उस रूप में पंजाब अग्रक्रय अधिनियम इस संघ राज्य क्षेत्र में लागू होता है। यह अग्रक्रय का कानून विशेष धारणाओं पर आधारित था जिनके अन्तर्गत उसमें उल्लखित मोहल्ले में अजनबी व्यक्तियों को सम्पत्ति खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। यह अधिनियम एक व्यक्ति को एक मोहल्ले में सभी प्रकार की सम्पत्ति खरीदने का अधिमान्य अधिकार देता है। उस मोहल्ले में अजनबी लोगों को सम्पत्ति नहीं खरीदने देने की प्रथा उस समय की परिस्थितियों के कारण थी।

पंजाब में पंजाब अग्रक्रय अधिनियम को पंजाब अग्रक्रय (निरसन) अधिनियम, 1973 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

वास्तव में उन्हें उस समय 1973 के विधेयक के साथ इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए थे। परन्तु मैं नहीं जानता कि किन कारणों से इसे स्थगित कर दिया

[श्री बी०बी० रमैया]

गया और इसमें देरी कर दी गई। मंत्री जी ने कहा है कि ऐसा विभिन्न कारणों से किया गया है और यह कि अब इसे न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों के कारण और वैधताओं के कारण जो कठिनाइयां पैदा कर रही हैं लाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमें झगड़े निपटाने, विशेषतौर पर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में, सक्षम होना चाहिए।

मैं आश्चर्यचकित था कि क्या उन्होंने अल्पसंख्यकों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर लिया है और उनके सुझावों तथा विचारों का निष्कर्ष निकाल लिया है। केवल यही बात है जिसके बारे में हमें सचेत रहना चाहिए क्योंकि यह केवल अल्पसंख्यकों को प्रभावित करता है, उनके अधिकारों तथा उनकी सुरक्षा को प्रभावित करता है। बहरहाल, बाकी बचे लोगों के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है। उन्हें वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ही ऐसा किया होगा। हमें इसके बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि दिल्ली की महानगर परिषद ने इसकी स्वीकृति दे दी है। शायद उन्होंने दिल्ली महानगर क्षेत्र में अल्पसंख्यकों तथा अन्य लोगों के हितों की पूरी जिम्मेदारी ले ली है जो इस क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है। यदि ऐसा हो गया है तो शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं वास्तव में यह कामना करता हूं कि वह अल्पसंख्यकों के मामले में पर्याप्त सावधानी बरतने में सक्षम हों। यदि उन्होंने यह सावधानी बरती है तो कोई परेशानी नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पंजाब अग्रक्रय विधेयक, 1913 का निरसन करना है जो चंडीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है और इन संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालयों पर अग्रक्रय के किसी भी मुकद्दमे में निर्णय देने पर रोक लगाना भी है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पहले पंजाब का भाग था और एक बार पंजाब अग्रक्रय अधिनियम को दिल्ली के क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया जो पहले पंजाब प्रदेश के भाग थे।

दिल्ली के वे क्षेत्र जहां पर यह अधिनियम लागू है वे भीतरी दिल्ली के क्षेत्र हैं जिनमें दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के शहरी गांव भी शामिल हैं। इसलिए यह अधिनियम चंडीगढ़ तथा दिल्ली दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है।

पंजाब अग्रक्रय अधिनियम, 1913 को पंजाब में पंजाब अग्रक्रय (निरसन) अधिनियम, 1913 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली महानगर परिषद में इस विधेयक पर बहस हुई और इस विधेयक को इस आधार पर निरस्त करना जरूरी समझा गया कि यह कानून बेकार है यह आधुनिक विचारों के अनुरूप नहीं है तथा इसने सम्पत्ति के निर्बाध हस्तान्तरण पर अनुचित पाबंदियां लगायी हैं और इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी होती है।

अग्रक्रय के अधिकार को सामन्तवादी अतीत की धरोहर तथा अवशेष के रूप में ठीक ही बताया गया है और यह संवैधानिक ढांचे तथा आधुनिक विचारों के बिल्कुल विपरीत है। जिस कारण से एक चौथाई शताब्दी पूर्व जो अधिकार उचित समझा जाता था, आज वह कतई असंगत है। इस सामन्तवादी धरोहर तथा अवशेष को इस विधेयक द्वारा दूर किया जा रहा है। अपने दल की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

जहां तक सम्पत्ति के निर्बाध हस्तान्तरण तथा मुकदमेबाजी का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार को दिल्ली भूमि की समस्याओं की ओर फिर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण

मुनाफाखोरी के लिए भूमि के सौदों में अधिक संलिप्त है तथा दिल्ली प्रशासन ने एक तरफ तो किसानों को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में शहरीकृत गांवों में उनकी भूमि अधिग्रहण के बदले बहुत थोड़ा मुआवजा या कम बाजार भाव से कीमत दी है और उन्हें वैकल्पिक आवास स्थानों से तथा पर्याप्त मुआवजे और भूमि के लिए बाजार भाव से वंचित कर दिया है जबकि दूसरी ओर डी०डी० ए० को वही भूमि आवासीय तथा वाणिज्यिक और अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए ऊंची दरों पर जो कम वेतन भोगी लोगों और साधारण नागरिकों की पहुंच से बाहर हैं, पर बेचने की अनुमति दे दी है। अत: मेरा निवेदन है कि किसानों और इस दल के वैध अधिकारों की रक्षा की जाए। इसके अलावा डी०डी०ए० उसको आवंटित जमीन की सुरक्षा और उपयोग करने में असफल रहा है जिसका कि एक बड़ा हिस्सा या तो मुकदमेबाजी का विषय है या फिर अनधिकृत कब्जे में है। केन्द्रीय सरकार को डी०डी०ए० की इस भूमि की सौदेबाजी को तुरन्त रोकना चाहिए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, यह बिल सरकार को बहुत पहले ही ले आना चाहिए था। आज के जमाने में जब देश इतना आगे बढ़ गया है तो हम ऐसी बातें करते हैं, यह अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। यह प्रिएम्पशन का मामला केवल दिल्ली में ही नहीं था, बहुत से स्टेट्स में था। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि परिवार का कोई सदस्य यदि घर की जमीन का कोई टुकड़ा बेचना चाहता था तो यह कहकर उस पर दबाव डाला जाता था कि तुम नहीं बेच सकते हो क्योंकि परिवार में परदे के ख्याल से बाहर के लोग आ जायेंगे। इस बिल में यही है कि कोई स्ट्रेंजर किसी मौहल्ले में नहीं आ जाए इसलिए उस जमीन को बाहर के लोगों को नहीं बेचा जा सकता है जबकि आपके फण्डामेण्टल राइट्स में यह लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी देश में कहीं भी कोई प्रापर्टी खरीद सकता है या बेच सकता है तो यह अपने आपमें फ्यूडल लीगेसी की देन है और इसमें जो आर्गूमैण्ट दिया गया था, पहले जब यह बिल आया था, मैंने इसके पूरे बैकग्राउण्ड को पढ़ा है, इसमें आर्गूमेंट दिया गया था कि लोग परदे में रहते थे और नहीं चाहते थे कि कोई अजनबी इस मौहल्ले में आये। 1913 में यदि कोई बात हुई हो तो 1989 में भी वह बात कहां तक ठीक हो सकती है। जब राज्य सभा में डिबेट हो रही थी तो मैंने उस सारी डिबेट को पढ़ा है, उस समय भी यह बात आई थी कि माइनोरिटीज के व्यूज को ले लिया जाए, कोई माइनोरिटी इससे इफैक्टेड होगी, कोई माइनोरिटी इससे इफैक्टेड नहीं होगी। सच तो यह है कि यदि यह बिल रखा जाता तो गरीब लोग इससे इफैक्टेड होंगे क्योंकि बाहर के लोगों को इसमें जमीन खरीदने की गुंजाइश नहीं होती।

मैं सरकार को बधाई देता हूं कि बहुत समय पर यह बिल सरकार लाई है और यदि देश के अन्य भागों में भी ऐसी प्रैक्टिस लागू है, प्रिएम्पशन वाली तो उसको खत्म करना चाहिए। सभी को देश में प्रापर्टी खरीदने का हक है और उसकी छूट मिलनी चाहिए। फण्डामेंटल राइट का हमें ऑनर करना है। मैं तो यह कहता हूं कि यह बहुत ही प्रोग्रैसिव स्टैप है। हमारे माइनोरिटी भाई इसमें अलग बात नहीं सोचें, बल्कि सरकार को योगदान दें, और सरकार की सराहना करें। सरकार सही समय पर सही बिल लाई है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस बिल को लाने में बहुत देरी हो गई है, यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पंजाब में तो बहुत पहले बात खत्म हो गई है। चंडीगढ़ और दिल्ली में इसको लागू रखने का क्या फायदा है।

मैं इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करता हूं।

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब प्रि-एम्पशन एक्ट, 1913 की मैं मुखालिफ करता हूं। अंग्रेजों के जमाने में गरीब लोगों और छोटे किसानों की प्रापर्टी की हिफाजत करने के लिए यह बिल पास किया गया था। पंजाब में उस जमाने में साहूकार लोग गरीब लोगों को कर्जा देते थे और कर्जे के अन्दर उनकी जमीने रख लेते थे और खरीद लेते थे। अंग्रेजों ने उस समय यह महसूस किया कि पंजाब का किसान, जो हिन्दुस्तान की आर्मी का आर्म है, वे सब के सब लोग लड़ाई के अन्दर सरकार की मदद करते हैं, इसलिये उन किसानों को बचाया जाए। साहूकारों के पंजे से बचाने के लिए छोटे किसानों को यह प्रि-एम्पशन एक्ट, 1913 बनाया गया था। यह शहरों के अन्दर लागू हो गया। शहरों के अन्दर तो ठीक है कि मकान मौहल्लों को खरीद नहीं सकते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन जहां तक गांव के लोगों का ताल्लुक है, जिनकी गांवों के अन्दर जमीनें हैं, वे उनकी हिफाजत करते थे कि साहूकार उसको खरीद न ले और यदि उसको बेचने की जरूरत होती थी तो उसको नजदीक के ही आदमी पुश्तों के अन्दर खरीदते थे या एडज्वायनिंग के जमीन के मालिक लोग खरीदते थे। या फिर मुजारे को हक दिया जाता था कि वह खरीद सके। इस तरह से गरीब आदमियों के हकूक की हिफाजत करने के लिए यह एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था। उन्होंने इसके अलावा और भी बहुत से एक्ट बनाए थे। पंजाब के अन्दर पहले हरियाणा भी था और हिमाचल प्रदेश का आधा हिस्सा भी पंजाब में ही था, इन लोगों को बचाने के लिए कि काश्तकार की जमीनें वे काश्तकार न खरीद सकें, इसलिए यह कानून बनाया गया था। किसानों के लिए गोल्डन एक्ट था। वह गरीब लोगों और किसानों के लिये बनाया गया था, लेकिन अब तो फण्डामेंटल राइट्स आ गए हैं और इस एक्ट का पास होना बहुत जरूरी है। यह सारे हाउस की राय है। मेरी राय में यदि यह एक्ट पास हो जाता है तो छोटे आदमियों के लिए और गरीब आदमियों के लिए बड़ी बुरी बात होगी। आप यह जानते हैं कि दिल्ली के बड़े किसान नहीं हैं, तीन एकड़, चार एकड़ या पांच एकड़ के किसान हैं और हिन्दुस्तान की सरकार यहां राजधानी में बैठी है और उनके सामने यह अन्याय हो रहा है। ये अन्याय को देखते नहीं हैं। हाउस के अन्दर रोजाना रूलिंग पार्टी के सदस्य भी कहते हैं कि मैक्सिमम कीमत एक गज की 21 रुपए दी जा रही है। 1.25 लाख के करीब एकड़ की कीमत देते हैं। दो हजार रुपए गज की जमीन दूसरे गांवों में भी नहीं मिलती है। दस हजार रुपये गज में मिलती है यहां, आप यह देखिए कि गांव स्लम्स हो गए हैं और किसान मजदूर हो गए हैं। वे अब रिक्शा चलाते है, नहीं तो वे भी लखपति हो जाते। इस बात को दस दफा बता चुके हैं, कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टी के लोग कह चुके हैं, दिल्ली के अन्दर अन्याय क्यों हो रहा है। डवेलपमेंट चार्जेज और जो हो वह ले लीजिए तथा बाकी कीमत किसानों को दीजिए। इसके अलावा छोटे किसानों को रिपील बिल से भी नुकसान होगा। दिल्ली और चण्डीगढ़ के अन्दर कुछ गांव बचे हुए हैं। बाकी का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया। सारे किसानों को लूट लिया। यह सरकार की पॉलिसी है और वह अपने को प्रो-किसानों की सरकार कहती है। मैं इस बिल की मुकालिफत करता हूं किसानों के साथ जो कि गरीब हैं, अन्याय हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय यह विधेयक पूर्व क्रयाधिकार को निरस्त करने वाला है और इसमें यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई भी न्यायालय पूर्व क्रयाधिकार के दावे पर निर्णय नहीं दे सकेगा।

महोदय, मैं यह अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक बिना गंभीर रूप से सोचे समझे लाया गया है। कानून के प्रावधानों के संबंध में कोई गंभीर अध्ययन नहीं किया गया है, विशेषकर जिन्हें इस विधेयक द्वारा निरस्त किया जाना है। यह उद्देश्यों और कारणों के विवरण से स्पष्ट हो जाता है और मैं उद्धृत करता हूं :

> "अग्रक्रय विधि मुस्लिम विधि और रूढ़ि पर आधारित है, जिसके अनुसार पर्दा प्रथा मानने वाले किसी मोहल्ले में किसी भी अजनबी को सम्पत्ति रखने की अनुज्ञा नहीं थी। यह अधिनियम किसी व्यक्ति को, किसी मोहल्ले में सभी सम्पत्तियों का क्रय करने में समर्थ बनाता है। पर्दा प्रथा मानने वाले किसी मोहल्ले में किसी अजनबी को सम्पत्ति रखने की रूढि अब प्रचलन में नहीं है।"

यह बात उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कही गई है। यह जो बात उद्देश्यों और कारणों के विवरण में शामिल की गई है उसका मैं विरोध करता हूं। यह पूर्णतया गुमराह करने वाली है। मेरे से पहले जिन माननीय सदस्यों ने बोला उन्हें मैंने सुना और मैंने पाया कि उद्देश्यों और कारणों का विवरण विभिन्न सदस्यों को गुमराह करने में पूर्णतया कामयाब रहा है।

महोदय, उद्देश्यों और कारणों का विवरण यह पूर्णतया दर्शाता है कि कानून और स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की गई है। पूर्व क्रयाधिकार किसी व्यक्ति द्वारा भूमि या सम्पत्ति को उन्हीं शर्तों पर किसी दूसरे के ऊपर वरीयता से खरीदने का अधिकार है, उन्हीं वाजिब शर्तों पर। लेकिन यह कोई आम कानून नहीं है जिससे कि हमारी सरकार यह कह सके कि कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले की सारी संपत्तियों, जो भी हों, को खरीद सकता है यह सब क्या है ? यह दर्शाता है कि पूर्व क्रयाधिकार कानून को पूर्ण रूप में नहीं समझा गया है। कानून के बारे में गलतफहमी है। यह समझा जाना चाहिए कि बेची गई सम्पत्ति या भूमि पूर्व क्रयाधिकारी के कानून से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इस कानून को लागू किए जाने की यह आवश्यक शर्त है।

दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि संयुक्त संपत्ति में एक साझेदार का दूसरे साझेदार की तरह ही संपत्ति पर कानूनी अधिकार है। तभी यह कानून लागू होता है न कि तब कोई श्रीमान 'एक्स' किसी मोहल्ले में अनजाने व्यक्ति को आने न दें और किन्हीं लोगों से वरीयता के अधिकार पर मोहल्ले की सारी संपत्ति खरीद लें। मैं समझता हूं कि यह उचित समय है जब सरकार द्वारा बिना किसी सोच समझ और वस्तु स्थिति को समझे लाए गए इस कानून को वापिस ले लेना चाहिए।

महोदय, हमें हर तरह की बात कही गई है और सभी तरह मुस्लिम कानून की आलोचना की गई है। पूर्व क्रयाधिकार की धारणा मुस्लिम कानून द्वारा प्रस्तुत की गई है। हेमिल्टन की हदेया-हदेया जी हां लेकिन मेरा आशय हेमिल्टन द्वारा अनुवादित हदेया से है—जिसके खण्ड 3, पृष्ठ 591 में कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं :—

> "हमारे सिद्धांतों के अलावा शूफा के महान सिद्धान्त के अनुसार—यह मात्र पूर्व क्रयाधिकार है—संपत्ति को संयुक्त किए जाने से यह आशय है कि···असहमत पड़ोसी के उत्पीड़न से बचाने के लिए···"

यह सुविधा का सिद्धांत है सभी तरह की बातें कही गई हैं। पर्दा प्रथा—यह पुरानी पड़ चुकी है। यह कानून पर्दा प्रथा को कायम रखने के लिए है जो पुरानी पड़ चुकी है। यह सब क्या है ? यही

[श्री जी०एम० बनातवाला]

सुविधा का सिद्धांत है। पूर्व-क्रयाधिकार का कानून सुविधा के सिद्धांत पर आधारित है और यह धारणा मुस्लिम कानून ने प्रस्तुत की थी।

अवध बिहारी सिंह बनाम गजाधन जयपुरिया, ए०आई०आर० 195, एस०सी० 417 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था "ब्रिटिश भारत के न्यायालयों द्वारा पूर्व क्रयाधिकार के मुस्लिम कानून को मुस्लिमों के बीच न्याय समानता और ईमानदारी के साथ लागू किया जाता था" इस तरह यहां यह हिस्सेदारों का प्रश्न है। यह सवाल है उस भूमि अथवा संपत्ति का जो कि पूर्व क्रयाधिकारी की जमीन के साथ जुड़ी है। यह सवाल है संयुक्त संपत्ति में एक साझेदार का दूसरे व्यक्ति के हिस्से पर कानूनी अधिकार का। इस सुविधा के कानून को देखते हुए, समयानुसार हिन्दुओं ने भी पूर्व क्रयाधिकार के कानून की सुविधा के कारणों से अपने कानून में शामिल कर लिया। यह बात उस मुकदमे में कही गई जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। हमें बताया गया है कि यह कानून पुराना पड़ चुका है। पुराना हो गया है आदि। क्या माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि इस कानून के बारे में और इसके महान सिद्धांतों के बारे में हमारे न्यायालयों ने क्या कहा है? कई निर्णयों में हमारे न्यायालयों में पूर्व क्रयाधिकार की इस धारणा की, जो मुस्लिम कानून में शूफा पर आधारित है, प्रशंसा की है उन्होंने कहा है कि यह महान सिद्धांत है। उन्होंने इस सिद्धांत की प्रशंसा की है उन्होंने कहा है कि यह न्याय और सुविधा के सिद्धांत पर आधारित है, यह समानता के कानून पर आधारित है। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के संतनाम बनाम लालसिंह, ए०आई०आर० 1962—यह ए०आई०आर० 1962 है, के निर्णय की तरफ दिलाना चाहूंगा मैं 1662 - एस०सी०199 का उल्लेखन हीं कर रहा हूं। न्यायाधीश श्रीवास्तव ने कहा था और मैं उद्धृत करता हूं :

> "संयुक्त सम्पत्ति का सद्भावपूर्ण उपभोग तभी सम्भव है यदि सह-भागीदार को दूसरे सह-भागीदार की संपत्ति खरीदने में वरीयता का अधिकार दिया जाए।"

यह सिद्धांत है। हमारा आशय संयुक्त सम्पत्ति से है। पूर्व क्रयाधिकार का कानून हर सम्पति और सभी सम्पत्तियों पर लागू नहीं होता है। यह सम्पत्तियों की उन्हीं श्रेणियों पर लागू होता है जो संयुक्त सम्पत्तियां हैं। इसमें सह-भागीदार हैं तथा एक भागीदार को किसी अन्य पर उन्हीं वाजिब शर्तों पर सम्पत्ति खरीदने का पूर्वाधिकार है और हमारे न्यायालयों ने इन की संवैधानिक वैधता को माना है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सिद्धांत सुविधा, न्याय, और समानता पर आधारित है।

उसी निर्णय को मैं उद्धृत करता हूं :—

> "इस कानून के प्रति समाज के अच्छे दृष्टिकोण के अच्छे आधार हैं। इसके कुछ लाभों को श्री सक्सेना ने अपनी पुस्तक मुस्लिम कानून 1954 तीसरा संस्करण पृष्ठ 667 में शामिल किया है।"

फिर शूफा के सिद्धांत या पूर्व क्रयाधिकार के सिद्धांत जिसे मुस्लिम कानूनी प्रथा ने हमारे देश को दिया, उससे प्राप्त लाभों को निर्णय में बताया गया और जिसे हिन्दुओं तक ने सुविधा और उसके स्वरूप के कारण अपनाया। इसी निर्णय में कहा गया और मैं उद्धृत करता हूं क्योंकि अभी कहा गया कि पूर्व क्रयाधिकार का सिद्धांत आधुनिक समय और आधुनिक समाज के अनुरूप नहीं

है। सरकार ने भी मुस्लिम कानूनी प्रथा की आलोचना की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह पुराना पड़ चुका है। यह एक सर्वव्यापी कानून है जो हर काल के लिए उपयुक्त है। यह इस सरकार के लिए ठीक नहीं है कि वह इस सदन में किसी एक कानूनी व्यवस्था के विरुद्ध बिना किसी गम्भीर अध्ययन के ऐसा हानिकारक वक्तव्य दे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन मैं आपकी बात आदर सहित मानूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उसी निर्णय से उद्धृत करना चाहता हूं और मैं उद्धृत करता हूं :

> "समाज द्वारा की गई सभी उन्नतियों के बावजूद भी, मानवीय स्वभाव के ये सभी गुण अभी भी वहां मौजूद हैं, इसीलिए इस धारणा को स्वीकार करना कठिन है कि अग्रक्रय कानून पुराना हो गया है।"

मैंने उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का उल्लेख किया था। मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया था मेरे पास यहां कई अन्य निर्णय भी मौजूद हैं। आप कृपया मुझे इस विशेष पहलू की व्याख्या करने के लिए दो, तीन घंटे का समय दीजिए और हमारे न्यायालयों ने इसे एक बहुत ही शानदार रत्न, हमारे इतिहास में हमारे कानूनी पहलू में एक रत्न के रूप में इसका समर्थन किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इसे सभी प्रकार के विचारों से जोड़ने पर, इस विधेयक को गम्भीरता से विचार किए बिना लाया गया है। मैं इस विधेयक का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। मुझे इस विधेयक पर पुरजोर आपत्ति है। माननीय मंत्री ने विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए अपने भाषण में मामले को और भी बुरा बना दिया है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में, हमें बताया गया है कि इसकी धारणा पुरानी हो गई है और विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए उन्होंने अन्य वक्तव्य दिया और कहा कि यह समाजवाद के सिद्धांतों के विपरीत है और इसी प्रकार की अन्य बातें कही हैं। मुझे आपत्ति है कि यह विधेयक बिना गम्भीर रूप से सोचे समझे तथा कठोर तरीके में लाया गया है। मुझे यह देखकर दुख हुआ है कि उद्देश्यों और कारणों के कथन की वजह से यहां तक कि इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों को भी गुमराह किया गया है। मैं सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की अपील करता हूं। यदि सरकार ऐसा करने से इंकार करती है तो मेरी सभा से अपील है कि वह इसे पूरी तरह रद्द कर दे।

4.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : उपाध्यक्ष जी, हक-शूफा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं। जो हमसे पहली जनरेशन है, उसके तजुर्बे की बिना पर कहता हूं, उससे लिया हुआ तजुर्बा है। यह हक-शूफा का कानून खत्म करना बिल्कुल उचित है और बहुत ही जरूरी था, मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि यह कानून जारी रहना चाहिए चंडीगढ़ में और दिल्ली में भी। लेकिन जो असल बात है प्रापर्टी ओनर की और किसान की, उसको नजरअन्दाज किया जा रहा है। मैं समझता हूं, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं जिस आर्गेनाइज ढंग से सरकार की ताकत से किसान को लूट रहे हैं, बरबाद कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी हिन्दुस्तान को ऐसे नहीं लूटा, जैसा कि हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकार है या

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

पंजाब में जब अकालियों की सरकार थी या किसी और सरकार में भी सरकारी जमीन सरकार को लेने के लिए जिस ढंग से किसान को लूटा जाता है, कभी किसी ने लूटा नहीं। मान लीजिए हम चार भाई हैं। हमारे चाचा, ताऊ हैं और कोई जमीन बांट दे तो कोई फैमिली का दूसरा आदमी फरोख्त हुई जमीन को तुड़वा सकता था और इसकी वजह से झगड़ा ज्यादा होता था। मैं जिस गांव से आता हूं, उस गांव में पचास झगड़े सिविल सूट में चलते थे। आज वह सिस्टम खत्म हो गया है और बहुत पहले पंजाब में इसको हटा दिया गया है। सरकार चाहे अकाली दल की हो, ए०जी०पी० की हो या कोई और हो, शहरों की बढ़ोत्तरी के लिए हम किसान को बरबाद कर रहे हैं और कौड़ियों के भाव किसान की जमीन एक्वायर करते हैं। श्री राम नारायण सिंह जी ने ठीक कहा था कि पंजाब में बहुत से कानून बनाए गए थे। एक कानून था कि गैर-काश्तकार, काश्तकार की जमीन नहीं खरीद सकता। मनी लैंडर्स बहुत लूटते थे। एक कानून यह था कि किसान के बैल और किसान की गाड़ी नीलाम नहीं हो सकती। उसको प्रोटेक्शन दी गई थी। कहां वह जमाना था कि किसान के बैल और गाड़ी सुरक्षित थे, कहां आज हमारा जमाना है कि जितनी जमीन चाहे खरीद लो। उस जमीन पर बड़े-बड़े घर बना सकते हैं लेकिन किसान को कौड़ियों के भाव जमीन की कीमत दी जाती है। इस कानून के खात्मे का स्वागत करते हैं। अगर किसान की मरजी के खिलाफ जमीन ली जाती है और उसको कीमत भी न दें तो यह बहुत बड़ा जुल्म है। मैं जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि किसान की जमीन को पूरी कीमत देकर बचाया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

4.05 म०प०

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक और किश्त जारी किए जाने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : माननीय महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, जैसा कि समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, औद्योगिक श्रमिकों (सामान्य) (आधार 1960=100) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के कुल अंकों में 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 31.12.1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये 608 के औसत सूचकांक से अधिक होने पर, जिसके साथ अनुशंसित वेतनमानों का सम्बन्ध है, मंहगाई भत्ते की संशोधित दरें 1.1.1989 से विचारणीय हो गई है। 31.12.1988 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 12 महीने का औसत मूल्य सूचकांक 786.75 है जिसके अनुसार 608 के ऊपर 29.39 की वृद्धि बनती है। 3500 रुपये तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 100 प्रतिशत, 3501 रुपये से 6,000 रुपये के बीच मूल वेतन पाने वालों के लिए 75 प्रतिशत और 6000 रुपये से अधिक मूल वेतन पाने वालों के लिए 65 प्रतिशत का निराकरण

स्वीकार्य है। और इसलिए वे 1.7.1988 से मूल वेतन के क्रमश: 23 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की तुलना में 1.1.1989 से मूल वेतन के क्रमश: 29 प्रतिशत, 22 प्रतिशत और 19 प्रतिशत के संशोधित महंगाई भत्ते के हकदार हैं।

2. सरकार ने निर्णय लिया है कि समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों को 1.1.1989 से देय महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान नकद रूप में किया जाए। इस आशय के आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जायेंगे।

3. 1.1.1989 से सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की इस किस्त की वार्षिक लागत 425 करोड़ रुपये आंकी गई है। तथापि वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान महंगाई भत्ते की इस किस्त को दिए जाने के कारण 496 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

4.07 म०प०

पंजाब अग्रक्रय (चंडीगढ़ और दिल्ली निरसन) विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर वाद-विवाद आगे जारी रखें। अब श्री सैयद शाहबुद्दीन बोल सकते हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने है उसके बारे में मेरे विद्वान साथी माननीय श्री जी०एम० बनातवाला द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का मैं पूरी तरह से और बिना किसी आपत्ति के समर्थन करता हूं। मैं विधेयक का विरोध करता हूं और विधेयक पर और आगे चर्चा करने से वापस लेने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं और यदि आवश्यक हो तो—अग्रक्रय का सिद्धांत जैसाकि आधुनिक परिस्थितियों के अनुप्रयोज्य हो—इसे सदन में दोबारा लाए जाने से पहले इसे विचार के लिए विधि आयोग को भेज दिया जाए।

महोदय, उद्देश्यों और कारणों का कथन, जैसाकि इस विधेयक में बताया गया है—किसी की इच्छानुसार—प्रसन्नचित्त तरीके से बनाया गया था। मेरे विचार में यदि माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें तो वह शायद इस मुद्दे पर हमारी संवेदनशीलता की प्रशंसा करेंगे। इससे सरकार के इरादे के बारे में, इसके सोचने के तरीके के बारे में, इसकी दिशा के बारे में जिसमें वे बढ़ रहे हैं, कुछ बहुत ही दूरगामी प्रश्न पैदा होते हैं।

महोदय, देश में विधि द्वारा स्थापित तथा हमारे न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त और लागू किए जाने वाले मुस्लिम कानून के भविष्य के बारे में गंभीर रूप से असुरक्षा की भावना व्याप्त है। ऐसा महसूस किया जाता है कि मुस्लिम कानून पर लगातार प्रहार हो रहा है। यह महसूस किया जाता है कि विभिन्न विद्वानों से इस पर जान-बूझकर नुकताचीनी की जा रही है और जिस तरीके से उद्देश्यों और कारणों के बारे में इस विधेयक में बताया गया है वह सामान्यत: इस भय की पुष्टि करता है और इस धारणा को मजबूत करता है।

महोदय, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे विचार में श्री बनातवाला ने इस मामले को बहुत ही व्यापक तरीके से बताया है। वास्तविकता यह है इस्लामिक न्यायशास्त्र के इस सिद्धांत को न केवल भारत में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में गैर-मुस्लिम समुदायों द्वारा

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

भी स्वीकार्य माना गया। वास्तव में यह विधान का लगभग सार्वभौम हिस्सा है जहां पड़ोसी को अधिकार, हिस्सेदार को अधिकार, सगे-सम्बन्धियों के अधिकार को यह मान्यता प्राप्त है कि यदि एक सम्पत्ति का हस्तांतरण हो रहा है और यदि वह बिक्री के लिए उपलब्ध है तो उसके अधिग्रहण करने में प्रथम वरिष्ठ व्यक्ति अपना दावा कर सकता है। महोदय, इन सभी बातों का पर्दा व्यवस्था और ऐसी बातों से सम्बन्ध है, स्थापित कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन मैं अपनी बात को संक्षेप में इस प्रकार कहना चाहता हूं कि अग्रक्रय का यह कानून सामाजिक वातावरण में सामाजिक तालमेल की वांछनीयता की दृष्टि से सामाजिक रूप से सही जान पड़ता है। यह न्याय और समता की दृष्टि से कानूनी रूप में सही जान पड़ता है। यह प्राकृतिक न्याय के कानूनों की पूरी तरह से बुराई करता है और यदि मैं यह कहूं कि इसमें आर्थिक रूप से भी सही निकलता है। जो भी हो सम्पत्ति के चकबन्दी का कानून क्या है? यदि कोई उस पर उस दृष्टि से देखे तो अग्रक्रय ही सम्पत्ति की स्वत: चकबन्दी है। अत: महोदय, मेरे विचार में सरकार सम्पूर्ण देश में अग्रक्रय के सिद्धांत की व्यवहार्यता के बारे में विचार किए बिना ही-स्पष्ट रूप से, स्वत: तरीके से ऐसे ही इस विधेयक को लाई है। मैं नहीं समझता कि इसका मूलभूत अधिकार से प्रतिरोध है। किसी संपत्ति के प्रत्येक उपलब्ध हिस्से को खरीदने में अमीरों के मूलभूत अधिकार के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन वह मूलभूत अधिकार नहीं है जिसके हम समर्थक हैं। वास्तव में सम्पत्ति का अधिकार निरस्त हो जाता है। जैसाकि मैंने कहा इसका केवल अर्थ सामाजिक तौर से सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने का अधिकार है। अत: मेरा सुझाव है कि सरकार संपूर्ण समस्या पर फिर से विचार करे, और हक-ए-शुफा के पीछे जो सिद्धांत है उसे समझे और कम से कम तत्काल इसका स्पष्टीकरण दे कि यह देश के कानून के अन्तर्गत स्थापित तथा 1937 के शरीअत अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित मुस्लिम कानून की प्रयुक्ति को कम करने का इरादा नहीं है।

महोदय, एक बार फिर मैं अपनी पूरी शक्ति से विधान के इस भाग का विरोध करता हूं। यह घातक है, यह दोषपूर्ण है, यह मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक है, यह समुदाय की शान पर प्रहार है, यह मुस्लिम कानून के आवश्यक सिद्धांत पर प्रहार है और मैं सरकार से इस विधेयक को वापस लेने और संपूर्ण देश में इसको लागू करने में इस पर और विचार करने के लिए, इस मामले को विधि आयोग को भेजने का अनुरोध करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इस विधेयक के बारे में, मैंने सोचा था कि यह सभा इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करेगी। यह एक साधारण विधेयक है, यह समाज के समाजवादी पद्धति की दिशा में एक कदम और आगे उठाया गया है और उन कानूनों को निरस्त किया जाएगा जो कि आज के समय में पुराने हो गए हैं। जैसाकि मैंने इसके पुरस्थापित किए जाने के समय कहा था कि वर्ष 1973 में, पंजाब के कुछ भागों में इसे निरस्त कर दिया गया है। श्री बनातवाला और श्री शाहबुद्दीन ने कुछ विचार रखे थे और एक अथवा दो सदस्यों ने इसी प्रकार के विचार राज्य सभा में भी रखे थे। मैंने इसकी दिल्ली महानगर परिषद से, उनके पदाधिकारियों से पूछताछ की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने विभिन्न मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधियों के साथ इस बारे में चर्चा की थी और कुल मिलाकर इसे स्वीकार किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए मुस्लिम समुदाय ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। इसके लिए आपत्ति की गई थी। अब श्री शाहबुद्दीन ने कहा है कि यह मुस्लिम कानून पर तथा मुस्लिम समुदाय की भावनाओं पर प्रहार

है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। किसी समुदाय की भावनाओं को किसी प्रकार से आहत पहुंचाने की हमारी ऐसी कोई धारणा नहीं है। इस विधेयक का यह उद्देश्य नहीं है। यह कानून विशेष जैसाकि श्री बनातवाला ने उदाहरण दिया है, इसके पक्ष में कई निर्णय दिए गए हैं लेकिन उन्होंने विभिन्न न्यायालयों द्वारा इसके विरुद्ध दिए गए कई निर्णयों का हवाला नहीं दिया है। विभिन्न न्यायालयों ने इसके कुछ उपबन्धों तथा स्वयं इस कानून को समाप्त करने की सिफारिश भी की है। अतः यह स्थिति है। एक माननीय सदस्य ने इसके बारे में दो विख्यात न्यायविदों के विचारों के बारे में, राज्य सभा में जो कुछ बताया था मैं उन्हें आपकी सूचना के लिए यहां उद्धृत करना चाहता हूं। न्यायाधीश अमीर अली से जो उनमें से एक हैं उन्होंने निम्न प्रकार कहा था :

"अग्रक्रय अथवा शुफा के अधिकार का अर्थ है पहले व्यक्ति के पास जो संपत्ति है यदि वह तीसरे व्यक्ति को बेचता है तो उसकी तुलना में उसे दूसरे व्यक्ति को प्राथमिकता देनी होगी तथा वह भी उसके लिए उतनी कीमत देगा जोकि इसके लिए तीसरे व्यक्ति से तय हुई है; और मुस्लिम प्रथा औचित्य के अभिप्रायों के मूल का आभारी है और उनकी इच्छा है कि सह-भागियों के बीच में अजनबी के प्रवेश को रोकना जिससे कि पड़ोसियों को असुविधा अथवा परेशानी होने की संभावना है।

"अग्रक्रय का सुन्नी हनाफी कानून भारत में मुस्लिम सरकार के साथ शुरू हुआ था, और कुछ स्थानों पर यह स्थानीय कानून का हिस्सा बन गया है; उदाहरण के तौर पर बिहार, पंजाब के भागों में और संयुक्त प्रदेशों में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों को ही अग्रक्रय के अधीन निर्णय प्राप्त करने का अधिकार है। और यह अधिकार इतना सुस्थापित हो गया है कि यह वाजिब-डल-अर्ज नामक ग्राम प्रशासन के पत्तों में स्थाई रूप से कमो-बेश वर्णन सहित दर्ज हो गया है।"

यह एक विचारधारा है। दूसरा मत न्यायमूर्ति मुल्ला द्वारा व्यक्त किया गया है :

"शूफा अथवा अग्रक्रय का अधिकार एक स्थाई सम्पत्ति के मालिक को प्राप्त ऐसा अधिकार है जिसके अनुसार वह किसी अन्य व्यक्ति को बेची गई स्थाई सम्पत्ति को खरीद कर उसका अधिग्रहण कर सकता है।"

ये कारण हैं; ये वाद हो रहे हैं। हमारी ऐसी किसी भी प्रकार की नीयत नहीं है कि हम किसी समुदाय विशेष या धर्म विशेष के विरुद्ध जाएं। पूरे सम्मान के साथ मुझे कहना चाहिए कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है .....

श्री जी०एम० बनातवाला : फिर उद्देश्यों और कारणों के कथन में ऐसी टिप्पणियां क्यों की गई हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : माननीय सदस्यगण, जब उन्होंने उद्देश्यों और कारणों का अध्ययन किया, शायद उन्होंने राज्य सभा में दिए गये मेरे भाषण का अध्ययन नहीं किया। राज्य सभा में दिए गये मेरे भाषण में मैंने क्षमा याचना की थी ! मैंने यह कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने यह भी कहा था कि जो कुछ किया गया है वह गलत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। मैं इसे फिर दोहराता हूं। मैं श्री बनातवाला से सहमत हूं कि इस निरसन विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए यह कारण नहीं हो सकता।

श्री जी०एम० बनातवाला : दिमाग से काम नहीं लिया गया है। सरकार उद्देश्यों तथा कारणों के अपने वक्तव्य को ही वापस ले रही है। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार ने गम्भीरता से दिमाग नहीं लगाया। ऐसे विधेयक पर जहां विचार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : जब मैंने कहा कि मुझे इसके लिए खेद है.....

श्री जी०एम० बनातवाला : उन्हें विधेयक को वापस लेना चाहिए और उसके विषय का अध्ययन करना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : जब मैंने कहा कि मुझे खेद है, भारत के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा— मेरा ऐसा कहना गलत है क्योंकि **परदा** प्रथा निश्चित रूप से इसका एक कारण है। श्री बहरुल इस्लाम ने यह कहा था। अतः वैचारिक मतभेद है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। हम इस अन्तर्विरोध पर नहीं जाना चाहते।

श्री जी०एम० बनातवाला : सरकार उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए क्षमायाचना कर रही है तथा इस विधेयक पर दबाव डाल रही है। अब हमारे सामने यह अन्तर्विरोध है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यदि इससे किसी की भावनाओं को चोट पहुँची है तो हमें इसके लिए खेद है।

इन शब्दों के साथ, मैं यह निवेदन करता हूं कि विधेयक को पारित कर दिया जाए।

श्री जी०एम० बनातवाला : हम सन्तुष्ट नहीं हैं। क्या आप संतुष्ट हैं? यह एक अद्भुत स्थिति है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रश्न यह है :

"कि चण्डीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में यथाप्रवृत पंजाब अग्रक्रम अधिनियम, 1913 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1 (संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1988'" **के स्थान पर** "1989" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (2)

(संतोष मोहन देव)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"उनतालीसवें" **के स्थान पर** "चालीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (1)

(संतोष मोहन देव)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री संतोष मोहन देव : मैं प्रस्ताव करता हूं···

श्री जी०एम० बनातवाला : हम विरोध में सभा भवन से बाहर जा रहे है ।

4.19 म०प०

इस समय श्री जी०एम० बनातवाला और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये :

श्री संतोष मोहन देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.20 म०प०

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद संख्या 6 को लेते हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

साठ के दशक के पूर्वार्द्ध में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में पैदा हुई गम्भीर अशांति के संदर्भ में केन्द्र सरकार के प्रमुख उपक्रमों की बेहतर सुरक्षा के लिए औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की बहुत जरूरत महसूस की गई। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत केन्द्र सरकार के औद्योगिक उपक्रमों की बेहतर सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैयार किया गया। इस बल में वृद्धि के साथ बल की जिम्मेदारियों के आयाम तथा जटिलताओं में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। वर्ष 1983 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम में 1983 के अधिनियम संख्या 14 द्वारा संशोधन किया गया, जिसके द्वारा इस सुरक्षा बल को संघ की सशस्त्र सेना घोषित कर दिया गया और प्रमुख औद्योगिक उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, इसे अधिक प्रभावशाली तन्त्र बनाने के लिए दण्डनीय अपराधों में गिरफ्तार करने जैसी कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी गईं। प्रमुख उपक्रमों को सुरक्षा कवर प्रदान करने की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई है और आज इस बल को देश भर में फैले 187 सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तैनात किया गया है।

देश के बहुत कुछ भागों में प्रचलित सुरक्षा के माहौल को ध्यान में रखते हुए यह बल केवल उपक्रमों को ही सुरक्षा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध नहीं है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने वाले अधिकारियों और श्रमिकों को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।

मौजूदा अधिनियम में, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 11 (1) (iii) के अन्तर्गत सीमित शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके तहत यह बल केवल "आसन्न संकट" के समय ही कार्यवाही कर सकता है। वर्तमान अधिनियम के तहत इन प्रावधानों के साथ यह बल इस धारा के तहत गिरफ्तार करने की सीमित शक्ति का तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि ये शर्तें पूरी न हो जायें। "संकट" शब्द के साथ लगा "आसन्न" विशेषण विभिन्न खतरों के समय कार्यवाही करने में इस बल की शक्तियों पर एक गम्भीर पाबन्दी लगाता है, हमारे देश में चालू सुरक्षा माहौल में इस प्रकार की शर्त उचित प्रतीत नहीं होती। इसलिए व्यापक लोक हित में "सन्निकट" शब्द को हटा देना चाहिए।

धारा 8 के खण्ड (i) में "निलम्बित" शब्द के स्थान पर "पदच्युत" शब्द प्रतिस्थापित करने को भी ठीक समझा गया। इससे अधिनियम की धारा 8 भारत के संविधान में निहित प्रावधानों तथा अन्य सेवा नियमों, जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, के अनुरूप हो जायेंगी।

कुछ लोगों में यह गलतफहमी पैदा हो सकती है कि इस बल को पुलिस बल में परिवर्तित किया जा रहा है; परन्तु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संशोधन अधिनियम, 1983 प्रस्तुत करते समय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस बल को एक समानान्तर पुलिस बल बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। इसके बजाय इसे अखिल भारतीय स्तर पर सुव्यवस्थित, सुप्रशिक्षित तथा सुसज्जित सुरक्षा संगठन बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यहां तक कि आज भी हम इस बात की पुनरावृति करना चाहते हैं कि राज्यों के क्षेत्राधिकार जैसा कि भारत के संविधान में दिया गया है, पर कब्जा करने की केन्द्र सरकार की कोई नीयत नहीं है। वर्तमान प्रस्ताव का एकमात्र उद्देश्य मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानि बल द्वारा कार्यरत अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों को सामयिक सुरक्षा तथा सहायता प्रदान कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। यदि हम यह सोचें कि उपक्रमों के कर्मचारियों की सुरक्षा उपक्रमों की बेहतर सुरक्षा के लिए प्रेरक होगी तो ऐसी प्रमुख शक्ति कानून और व्यवस्था तथा सामान्य नीतिकरण के अधिकार क्षेत्र में अप्रयुक्त नहीं रहनी चाहिए क्योंकि राज्य पुलिस बलों तथा कानून और व्यवस्था तन्त्र पर स्पष्ट रूप से दबाव और भारी मांग रहती है। बहरहाल, अन्वेषण और अपराधियों पर मुकदमा चलाने का कार्य राज्य पुलिस का ही दायित्व रहेगा।

4.24 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

इस दल को जिसकी अपनी स्थापना के दौरान शक्ति और लोकप्रियता बढ़ी है, और कार्य-कुशल बनाने के लिए और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिसको लेकर 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, यह वर्तमान संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये"

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिंदुपुर) : सभापति महोदय, मैं विभिन्न कारणों से इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस संशोधन विधेयक के जरिये सरकार धारा 2, 8, 10 और 11 को संशोधित करने का प्रयत्न कर रही है। ऊपरी तौर पर यह संशोधन साधारण दिखते हैं लेकिन इससे श्रमिकों को काफी नुकसान होगा। यह विधेयक उनके वाजिब हक वाजिब हड़ताल के अधिकार को दबाता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

इन धाराओं पर चर्चा करने से पहले मैं माननीय सदन के सम्मुख इस अधिनियम की पृष्ठ भूमि की जानकारी रखना चाहूंगा। वर्ष 1968 में केन्द्रीय औद्योगिक संस्थानों को सुरक्षा देने के

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

उद्देश्य से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। उस समय भी यह प्रवर समिति को भेज दिया गया था और प्रवर समिति ने काफी विचार विमर्श के बाद काफी संशोधन किए थे। इसके अलावा उस समय काफी आपत्तियां भी उठाई गई थीं। फिर काफी विचार विमर्श के पश्चात इस विधेयक को पारित किया गया और अधिनियम बना। वर्ष 1983 में सरकार ने इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए अब यह फिर उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि ऊपरी तौर पर यह संशोधन खतरनाक नहीं दिखते लेकिन वास्तव में यह बहुत खतरनाक हैं। अत: इस विधेयक को अस्वीकार करना होगा। इसे अस्वीकार ही किया जाना चाहिए। धारा 11 शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहां धारा 11 में संशोधन करने के लिए खंड 5 लाया गया है। जहां तक धारा 11 के संशोधन संख्या 1 का संबंध है, मैं नहीं समझता कि इसमें खतरे की बात है। मैं नहीं जानता यह किस लिए लाया गया है। एक शब्द के अलावा कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। यदि आप वास्तविक धारा के साथ इसकी तुलना करें तो आप पायेंगे कि यह धारायें एक शब्द के सिवाय समान हैं। जिस धारा को प्रतिस्थापित किया जाना है, उसमें उल्लेख किया गया है कि :

> "किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 10 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को, या किसी अन्य बल-सदस्य को, जो, यथास्थिति, ऐसे कर्मचारी के रूप में अपने कर्त्तव्य का निर्विघ्न कर रहा है या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहा है..."

एक शब्द के अलावा कोई अन्तर नहीं है। मैं नहीं समझ पाया हूं कि यह पूरी धारा क्यों उद्धृत की गई है जबकि केवल एक शब्द जोड़ा जाना है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन संख्या 1 के प्रभावों का स्पष्टीकरण देंगे। यह समझ नहीं आता, यह स्पष्ट नहीं है।

जहां तक संशोधन संख्या 3 का सम्बन्ध है, यह भी बहुत ही खतरनाक संशोधन है। उनका कहना है कि वे मात्र "आसन्न" शब्द को हटा रहे हैं। धारा 11 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को गिरफ्तारी का अधिकार देती है। यह गिरफ्तारी का अधिकार देती है। यहां तक कि एक आम नागरिक को गिरफ्तारी का अधिकार है। पुलिस को भी गिरफ्तारी का अधिकार है। यह इन दोनों के बीच है। सरकार इसके द्वारा इस बल को गिरफ्तार करने का अधिकार दे रही है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 के अन्तर्गत आम नागरिक किसी की गिरफ्तारी करवा सकता है लेकिन इसके लिए स्थितियां भिन्न हैं। इसके साथ और भी छोटी-छोटी बातें सम्बद्ध हैं। कुछ पाबंदी लगाई गई है। वह अपनी मर्जी अनुसार कार्य नहीं कर सकता। एक व्यक्ति तभी गिरफ्तार कर सकता है जब उसकी मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध किया गया हो जो गैर-जमानती हो। तभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह धारा 11 में भी कुछ पाबंदी लगाई गई है। यह आसन्न संकट के बारे में है। सुरक्षा बल के कर्मचारियों को आसन्न संकट की स्थिति में गिरफ्तारी का अधिकार है। यह इस तरह नहीं है जैसा कि कोई व्यक्ति सोचता है। वस्तुत: आसन्न संकट की स्थिति होनी चाहिए। इसका मतलब है कि गिरफ्तारी के अधिकार की भी कुछ सीमायें हैं। इसलिए विधेयक तैयार करने वालों ने इस बात

का बहुत ध्यान रखा है कि सुरक्षा बल के कर्मचारी लोगों को बिना किसी कारण गिरफ्तार करने में अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर न जाएं । इसलिए उन पर कुछ पाबंदी लगाई गई हैं । इस रोक को लगाकर हमने एक स्वागत योग्य उपबंध रखे हैं । सुरक्षा बल की कुछ सीमायें निश्चित की गई हैं । मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि वह पुलिस बल के समान नहीं है । वह पूर्णतया भिन्न हैं । इस तरह इकाइयों, या उद्योगों या लोगों को आसन्न संकट के समय उन्हें गिरफ्तारी का अधिकार है । अब यह स्वागत योग्य उपबंध इस संशोधन के द्वारा वापिस लिया जा रहा है । इसीलिए मैं कहता हूं कि देखने में यह संशोधन सीधा-सादा दिखता है लेकिन यह खतरों से भरा हुआ है । **(व्यवधान)**

मैं बाहरी कारकों की बात नहीं कर रहा हूं । मैं केवल विधेयक और उसके उपबन्धों के बारे में बात कर रहा हूं । कृपया मुझे कुछ समय दीजिए । आप 'आसन्न' शब्द को हटाना चाहते हैं आप बिल्कुल उसी तरह हटाना चाहते हैं जैसा कि पुलिस बल ने किया है । राज्यों में भी अनेक केन्द्रीय उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं । कुछ राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें हैं । वहां भी पुलिस बल है । आप इस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगभग समान अधिकार दे रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि आप दोनों दलों में मतभेद उत्पन्न कर रहे हैं । क्या यह सही है ? जब आप राज्यों में इस तरह के बल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श करें । आपने ऐसा नहीं किया है । क्या आप इस तरह का बल बिना राज्य सरकारों की स्वीकृति के बना सकते हैं ? यह वह प्रश्न है जिसका मैं समझता हूं मंत्री महोदय, उत्तर देने का कष्ट करेंगे । मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह कुछ शालीनता दिखायें आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस देश में केवल आप ही हमेशा के लिए शासन कर सकते हैं । इसका प्रयोग किसी भ्रष्ट सरकार द्वारा किया जा सकता है ।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : भ्रष्ट सरकार के अलावा और कोई सरकार नहीं है ।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब श्रमिक हड़ताल करते हैं । वह कुछ मांगें करते हैं । वह हड़ताल करते हैं और वह गिरफ्तार होते हैं । इस धारा का इस्तेमाल श्रमिकों को दबाने-डराने धमकाने, गिरफ्तार करने के लिए, उनकी एकता को तोड़ने के लिए किया जा सकता है । यह विधेयक गलत इरादे के साथ लाया गया है ।

दूसरा धारा 8 के बारे में मुझे यह नहीं समझ में आता कि सरकार इसे क्यों लाई है । इसमें कहा गया है : कोई पर्यवेक्षक अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को पदच्युत या निलंबित कर सकेगा या पंक्ति से अवनत कर सकेगा, जिसे कि वह.....

जब वरिष्ठ अधिकारी यह महसूस करे कि बल के किसी सदस्य ने अपराध किया है तो उन्हें उसको पदच्युत करने का, निलंबन करने और उसे पंक्ति से अवनत करने का अधिकार है अब इन तीन बातों में से निलंबन शब्द को हटा कर पद से हटाना कर दिया है । पदच्युत और हटाने में क्या अन्तर है ? क्या यह समान नहीं है ? क्या इनमें कोई अन्तर है । जब केन्द्र को बर्खास्त करने का अधिकार है तो आप निलंबन शब्द को हटाकर पदच्युत शब्द क्यों रखना चाहते हैं । आप इस शब्द को क्यों रखना चाहते हैं । निलंबन शब्द का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों के

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

निर्वहन में कोई अपराध करता है तो उसकी जांच होती है। जांच के दौरान वह निलंबित रहता है और जांच जारी रहती है। और यदि जांच में उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि जांच में उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो उसे बहाल कर दिया जाता है और उसका निलंबन निरस्त कर दिया जाता है। यह एक स्वागत योग्य प्रावधान है। अब आप शब्द निलंबन को हटा रहे हैं। धारा 8 में शब्द निलंबन को हटाकर शब्द पदच्युत रखा गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी उसे निलंबित नहीं कर सकता। आप केवल उसे हटा सकते हैं और उसे हटाने के बाद आप जांच करेंगे और फिर आप यह कहेंगे कि आरोप सिद्ध हुए हैं या नहीं जब यह सिद्ध हो जायेंगे तब आप उसे पदच्युत कर सकते हैं। क्या इस संशोधन का यह उद्देश्य है ? मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि निलंबन शब्द को हटाकर पदच्युत शब्द रखना खतरनाक होगा। मैं नहीं जानता सरकार ने यह संशोधन क्यों प्रस्तुत किया है।

इन परिस्थितियों में मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक पर पुनर्विचार करें। इसे जल्दी में पारित करने की कोशिश मत कीजिए। आप कृपया देखिए कि जब विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया था तो क्या रिकार्ड किया गया था और क्या आपत्तियां थीं ? क्या कारण थे ? आप 1968 में अच्छी तरह विचार-विमर्श करने के पश्चात् बनाए गए विधेयक से छेड़खानी क्यों कर रहे हैं ? आपने इसका अध्ययन करने की कोशिश नहीं की है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। जब यह इस सभा में पहली बार लाया गया था तो उस समय सभी विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया था। और जब यह प्रवर समिति को भेजा गया था, तो विपक्ष ने समिति की बैठकों में पुनः इसका विरोध किया था। हमारे पास इस विधेयक को दृढ़ता से विरोध करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

इस विधेयक का उद्देश्य ही राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करना है। विधेयक का अभिप्राय देश के कर्मकारों और पूरे श्रमिक बल के लोकतांत्रिक अधिकारों को नियंत्रित करना है। इन दो कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

यद्यपि यह अत्यन्त साधारण प्रतीत होता है लेकिन यदि हम इन दो उपबन्धों को लें अर्थात् धारा 8 और दूसरा है धारा 11 इनसे यह सिद्ध होगा कि सरकार का इरादा इतना निष्कपट नहीं है जितना यह प्रतीत होता है। पहले तो मूल अधिनियम की धारा 8 में खण्ड (i) में कर्मकारों को निलंबित करने का उपबन्ध था किंतु इस विधेयक में यह सुझाव दिया गया है कि 'निलंबित करने' के स्थान पर 'हटाना' प्रतिस्थापित किया जाए। इसका अर्थ यह है कि सरकार उन सभी कर्मकारों को हटा देना चाहती है जो सरकारी संस्थानों के प्रबन्ध के आदेश का पालन नहीं करेंगे।

अभी अभी इस सदन में महंगाई भत्ते के संबंध में चौथे वेतन आयोग के निर्णय की घोषणा की गई यह निर्णय केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए था। कोई नहीं जानता है कि क्या यह अन्य सरकारी उपक्रमों पर भी लागू होगा। संभवत: नहीं; कम से कम सभी सरकारी उपक्रमों पर तो नहीं। विभिन्न सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की शिकायत का यह एक कारण है। इस कारण से वे हड़ताल कर सकते हैं। यदि कर्मकार हड़ताल करते हैं और यदि वे इन सरकारी उपक्रमों के प्रबंध के आदेश का पालन नहीं करते हैं और यदि इन उपक्रमों में कोई हड़ताल होती है तो हड़ताली कर्मकारों का क्या होगा? तो सहसा प्रबंध यह समझेगा कि वे स्थापनाओं के काम में बाधा डाल रहे हैं और वे हड़ताली कर्मकारों को हटा भी सकते हैं।

पिछले उपबन्ध में प्रबन्ध कर्मकारों को केवल निलंबित कर सकते थे। किंतु इस संशोधन विधेयक के अनुसार उन्हें सरकारी तौर पर निकाला जा सकता है। इससे यह व्यक्त होता है कि सरकार का इरादा बदनीयती का है। इससे यह इरादा भी छुपता नहीं जो उन कर्मकारों के विरुद्ध है जो अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। अत: इस हद तक हम कह सकते हैं कि यह विधेयक कर्मकारों और जनता के विरुद्ध है। इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मूल अधिनियम की धारा 11 में जो दूसरा उपबन्ध है, वह यह है कि खंड (iii) में 'सन्निकट' शब्द का लोप किया जाए। पिछले उपबन्धों में 'सन्निकट खतरा' वाक्यांश था; अत: 'सन्निकट' शब्द सशर्त था। 'सन्निकट' शब्द से पहले 'खतरा' शब्द है। किंतु इस संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि 'सन्निकट' शब्द का लोप किया जाए। यह कह कर, खतरे के अर्थ को और भी बड़ा किया गया है। किंतु, पिछले उपबन्ध में खतरे के साथ 'सन्निकट' शब्द था। इस प्रकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकता था जब तक खतरा सन्निकट नहीं हो। किंतु इसमें 'सन्निकट' शब्द का लोप किया गया है। अत: महोदय, अब केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की शक्ति व्यापक रूप में बढ़ा दी गई है, जिसके द्वारा वे हड़ताली कर्मकारों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ, मुझे प्रबन्ध के काम के संबंध में कोई शंका नहीं है। किंतु जब प्रबंध के समक्ष कोई संकट होता है तो वह अनचाहे हड़ताली कर्मकारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सहायता लेता है। इस प्रकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मकारों और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ काम करता है। अत: मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध अपने आप में लोकतन्त्र-विरोधी और कर्मकार-विरोधी है। अत: मै इस संशोधन विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : चेयरमेन साहब, मैं इस बिल की हिमायत में खड़ा हुआ हूं। यह सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 में पब्लिक अंडरटेकिंग्स में इस फोर्स के अख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट में कुछ कमियां थीं जिनको दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है।

इस बिल में जो तरसीम लायी गयी हैं वह जरूरी हैं। इस फोर्स के अख्तियारात को वाजेह करने के लिए जरूरी हैं। जैसे

[श्री मोहम्मद अयूब खां]

[अनुवाद]

मूल अधिनियम की धारा 8 के खंड (i) में, 'पदच्युत या निलंबित कर सकेगा' शब्दों के स्थान पर 'पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा' शब्द रखे जाएंगे ।

[हिन्दी]

इस फोर्स के अफसर को यह अख्तियारात थे कि वे अपने सबोरडिनेट को सस्पेंड तो कर सकते थे लेकिन रिमूव नहीं कर सकते थे । सस्पेंड अख्तियारात को वाजेह नहीं करता इसलिए इसमें "सस्पेंड" की जगह "रिमूवल" लफ्ज रखा गया है जो कि जरूरी है।

इस तरह से दूसरी जो तरमीम है इन सेक्शन 10 आफ द प्रिंसिपल एक्ट ।

[अनुवाद]

मूल अधिनियम की धारा 10 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(घ) औद्योगिक उपक्रमों और संस्थापनों के कर्मचारियों का संरक्षण और बचाव करें.....।'

[हिन्दी]

सिर्फ इस पर जोर दिया गया है लेकिन जो अमेंडेड सेक्शन है इसमें कहा गया है कि

[अनुवाद]

'खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रमों और संस्थापनों के कर्मचारियों का संरक्षण और बचाव करें;'

[हिन्दी]

इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्ज में वर्कर्स और एम्पलाईज जो हैं उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी वाजेह की गयी है इस अमेंडमेंट के तहत । यह भी तरमीम जरूरी है। इसी तरह से सेक्शन 11 आफ द प्रिंसिपल एक्ट इसमें तरमीम की गई है। इसमें मजीद देखना चाहिये, मेरे ख्याल से सरकार ने बहुत ज्यादा अख्तियारात दिए हैं, हरएक अफसर को, फोर्स के हर एक मेंबर को ये अख्तियारात नहीं होने चाहिए, इसके लिए कोई रैंक मुकरर करना चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड अख्तियारात दिए गए हैं, इसमें मेरी गुजारिश है कि इसको देखा जाए कि किसको ये अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं । अनलिमिटेड अख्तियारात फोर्स के हर एक मेंबर को नहीं दिए जाने चाहिए, किसी लेवल या किसी रैंक आफिसर को, ये अख्तियारात दिए जाएं ।

इस गुजारिश के साथ मैं इस अमेंडमेंट की, इस बिल की ताईद करता हूं ।

محمد ایوب خان (اودھم پور) : چیرمین صاحب مین اس بل کی حمایت مین کھڑا ہوا ہون ۔ یہ سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس ایکٹ ۱۹۶۸ء مین پبلک انڈر ٹیکنگس مین اس فورس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنیکیلئے بنایا گیا تھا ۔ اس ایکٹ مین کچھ کمیان تھین جنکو دور کرنیکیلئے یہ بل لایا گیا ۔

اس بل مین جو ترمیم لائی گئی ہے وہ ضروری ہے ۔ اس فورس کے اختیارات کو واضح کرنے کیلئے ضروری ہے جیسے :

In section 8 of the principal Act, in clause (i) for the word 'suspend' the word 'remove' shall be substituted.

اس فورس کے افسر کو یہ اختیارات تھے کہ وہ اپنے سب آرڈینینٹ کو سسپینڈ تو کرسکتے تھے لیکن ریمو نہین کرسکتے تھے ۔ سسپینڈ اختیارات کو واضح نہین کرتا اسلئے اسمین " سسپینڈ " کی جگہ " ریمول " لفظ رکھا گیا ہے ۔ جو کہ ضروری ہے ۔

اسطرح سے دوسری جو ترمیم ہے ان سیکشن ۱۰ آف پرنسپل ایکٹ

In section 10 of the principal Act, for clause (d), the following clauses shall be substituted, namely :

'(d) to protect and safeguard the employees of the industrial undertakings and installations...'

صرف اسپر زور دیا گیا ہے ۔ لیکن جو امینڈمینٹ سیکشن ہے اسمین کہا گیا ہے کہ :

'to protect and safeguard the employees of the industrial undetakings and installations referred to in clauses (b) and (c);'

ورکرس ایمپلائز جو ہین اسکا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریل انڈرٹیکنگ مین انکی حفاظت کی ذمہ داری واضح کی گئی ہے ۔ اس امینڈمینٹ کے تحت یہ بھی ترمیم ضروری ہے ۔ کس طرح سے ۔ ۔ سیکشن آف پرنسپل ایکٹ اس مین ترمیم کی گئی ہے ۔ اس مین مزید دیکھنا چاہئے میرے خیال سے سرکار نے بہت زیادہ اختیارات دیئے ہین ۔ ہر ایک افسر کو فورس کے ہر ممبر کو یہ اختیارات نہیں ہونے چاہئین ۔ اکیلے کوئی رینک مقرر کرنا چاہئے کیونکہ اَن لمیٹیڈ اختیارات دیئے گئے ہین اس مین گزارش ہے کہ اسکو دینکھا چاہئے کہ یہ ادھیکار دیئے جانے چاہئین یا نہین ۔ اَن لمیٹیڈ اختیارات فورس کے ہر ایک ممبر کو نہین دیئے جانے چاہئین ۔ کسی لیول یا کسی رینک کے افسر کو اختیارات دیئے جا اس گزارش کے ساتھ مین اس امینڈمینٹ کے اس بل کی تائید کرتا ہون ۔

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : सभापति महोदय, इस विधेयक के अत्यंत गम्भीर परिणाम निकलेंगे । यह मेमने के रूप में भेड़िया है । इससे विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में औद्योगिक संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हड़तालों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को किसी भी अवरोध के बिना इस विधेयक द्वारा अपनी इच्छा से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जा रही है । जब 'सन्निकट' शब्द का अर्थ बदल दिया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि यह अर्द्ध-सैनिक बल कानून भी किसी अन्य साधारण प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को नजरबन्द कर सकते हैं । यह किसी भी अपराध की संज्ञेयता पर इन्हें हिरासत में ले सकते हैं । वे कामिक वर्ग के विरुद्ध इस विधेयक का प्रयोग करेंगे । अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि इसका उपयोग श्रमिक वर्ग के खिलाफ नहीं किया जाएगा । मुझे शंका है कि इसका श्रमिक वर्ग के खिलाफ ही प्रयोग किया जाएगा ।

दूसरा मुद्दा है कि यदि हम इस समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का विश्लेषण करें तो वास्तव में यह राज्यों में एक नई बादशाहत स्थापित की गई है । अनेक बार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के बीच झगड़े के समाचार मिले हैं । इन झगड़ों के मामले दर्ज किए गए हैं और यह मामले कोचीन बन्दरगाह में लम्बित पड़े हैं । वास्तव में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने स्थानीय पुलिस के साथ झगड़ा किया था । यह क्षेत्राधिकार और कानून का प्रश्न बन जाता है । सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को युक्तिसंगत बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय कर रही है ताकि इस प्रकार के झगड़े न हों ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इसके साथ-साथ अनेक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में, जहां पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल काम कर रहा है, वहां गैर-सरकारी सुरक्षा बल

भी है। इसी प्रकार अनेक एजेन्सियां हैं जो देश के विभिन्न भागों में गैर-सरकारी सुरक्षा सेवा चला रहे हैं। वे भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करते हैं। वे एक सूची बना लेते हैं और कहते हैं कि इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने के लिए भेजा जा रहा है। मैंने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं। अत: मैं निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बल के नाम पर गैर सरकारी सुरक्षा बल स्थापित क के शोषण हो रहा है जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार ने ऐसी अनेक संस्थाओं को अनुज्ञा प्रदान की है। वे किसी अन्य रंग की वरदी पहनते हैं। वे भी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ-साथ काम कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि यदि किसी कारखाने में कर्मकारों की संख्या गैरसरकारी सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से कम होगी तो स्थिति कैसी होगी। इस विसंगति को दूर करना है और इसके लिए किसी प्रकार के समन्वय की आवश्यकता है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक बहुत खतरनाक है और मैं निवेदन करता हूं कि इसको वापस लिया जाए और सरकार इस देश में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और गैर-सरकारी सुरक्षा बल के कार्य की और जांच करें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, यह जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक लाया गया है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। सेक्शन-11 में इस विधेयक के द्वारा आप संशोधन करना चाहते हैं। देखने में तो यह बहुत साधारण है, लेकिन असल में बहुत खतरनाक है। जो अधिकार मिले हुए है मजदूरों को, उन पर कुठाराघात है। हड़ताल को रोकने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 1983 में भी यह संशोधन किया गया था और अब फिर किया जा रहा है। खंड-आठ में निलम्बित करने का अधिकार दिया हुआ था, उसमें अब हटाने की बात लाए हैं। यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। कोई चार्ज होता है तो तभी निलम्बित करते हैं और उसके बाद जांच करते हैं और फिर हटाने की प्रक्रिया होती है। अब तो सीधे हटाने की बात आप करेंगे, इससे तो यही जाहिर होता है। इससे आपके इरादे का पर्दाफाश होता है। पहले भी इस विधेयक का पुरजोर विरोध हुआ था। उसके बाद प्रवर समिति को सौंपा गया था। प्रवर समिति की रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए थी, उसके बाद ही इस विधेयक को लाना चाहिए था। एक तरफ तो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ आप लोकतंत्र पर कुठाराघात करते हैं। कभी तो आप कहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं और कभी आप केन्द्रीयकरण करते है। इससे आप राज्य सरकार के अधिकार भी ले लेंगे। जब आप समाजवाद की बात करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं तो इस विधेयक को वापिस लेना चाहिए। सारे अधिकार आपको पहले से मिले हुए हैं। इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका विरोध करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति जी, मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं। इंडस्ट्रीयल पीस मेनटेन करने के लिए यह बहुत जरूरी है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैनेजमेंट पावर्स का मिस यूज कर सकती है मजदूरों के खिलाफ, इसलिये इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे देश में पावर्स का मिस यूज होता है। सी०आइ० एस०एफ० को इंडस्ट्रीज में और पब्लिक अंडरटेकिंग्स में रखा जाता है। ये लोग लॉ एंड आर्डर सिचुएशन खराब होने पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। जो रिजर्व फोर्स इंडस्ट्री में रहती है उसको बाहर से इंस्ट्रक्शन्स लेनी पड़ती है। लॉ एण्ड आर्डर स्टेट सबजेक्ट है। उसके लिए सी०आइ०एस० एफ० के लिए क्लीयर इंस्ट्रक्शन्स होनी चाहिए कि स्टेट की इंस्ट्रक्शन के बिना वह एक्शन ले सकती

[कुमारी ममता बनर्जी]

है या नहीं। इस पर पोजीशन क्लेरीफाइ होनी चाहिए। किसी को अरेस्ट करने का मौका आयेगा तो जो यूनियन है उसके साथ बातचीत करना जरूरी है। स्ट्राइक और डिमान्स्ट्रेशन के समय मैनेजमेंट पावर का मिस यूज कर सकती है। मैनेजमेंट को वन-साइडेटपावर्स नहीं देनी चाहिए। यूनियन को कांफीडेंस में लेना चाहिए चाहे वह कम्युनिस्ट या एच०एम०टी० की यूनियन हो। उसकी राय लेनी चाहिए। सी०आई०एस०एफ० में एक्स-सर्विसमैन को भर्ती किया जाना चाहिए। देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है, उनको अपोरच्युनिटी दीजिए। इंडस्ट्रीयल पीस रखने के लिए एक्स-सर्विसमैन को भर्ती करना बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, सरकारी क्षेत्र के 188 उद्यमों में 70 हजार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मचारी हैं और हाल ही में, उनमें से 400 को "ब्लैक कैट" प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैंने रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिससे ऐसा अनुभव होता है कि चीन के फ्रंट पर कुछ हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वे अभी तक 75.84 लाख रुपये की चुराई गयी सम्पति बरामद करने में सफल हुए हैं; 1806 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। आप इन 70 हजार लोगों पर बहुत धन व्यय कर रहे हैं। क्या आपने कभी यह पता लगाने की कोशिश की है कि वे किस हद तक राष्ट्रीय कार्यों में सहायता कर रहे हैं और किस हद तक वे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सुरक्षा कर रहे हैं ? परसों ही नागपुर के आयुध कारखाने में भीषण आग लग गयी थी; जिसमें 6 हजार लोगों को उस स्थान से हटाया गया था। मैं इस बल का, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रति योगदान जानना चाहता हूं। यह इस सभा में बताया जाना चाहिए।

मैं मझगांव गोदी की यूनियन से सम्बन्धित हूं। इस सरकारी क्षेत्र के उद्यम में मुख्य अपराधी बड़े अधिकारी हैं। वे सारी धनराशि खींच रहे हैं; वे कुछ निजी क्षेत्र के लोगों से जुड़े हैं। पिछले आठ महीनों में भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में कोई काम नही हुआ और ठेका बाहर के लोगों को दिया गया है। अर्द्ध-सैनिक बलों को दरवाजे पर तैनात करने का क्या लाभ है ? क्या वे श्रमिकों की रक्षा कर सकते हैं ? महोदय, आप एक यूनियन नेता हैं। क्या श्रमिकों के बीच किसी प्रकार का मतभेद है ? वहां कोई मतभेद नहीं, वे नागरिक हैं, वे आम लोग हैं। जब ऐसे लोग दरवाजे पर, फैक्ट्री में कार्यरत हैं तो आप वहां कुशल प्रशिक्षण वाले अर्द्ध-सैनिक बल ला रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता है ? वे अगर किसी पर आक्रमण करते हैं तो वे उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या आपके पास श्रमिकों को आपस में लड़ने का कोई उदाहरण है ? आप उन्हें यह मनमाना अधिकार क्यों दे रहे हैं ? पहले, अगर कोई खतरा होता था, तो वे उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे; अब वे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। यह तो ज्यादती है।

सोच-विचार किए बिना ही, सरकार ऐसा विधान लाना चाहती है और अनावश्यक धन खर्च कर रही है। ये श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम और स्थायी आदेश के द्वारा शासित होते हैं।

मझगांव गोदी पर विभिन्न समयों पर 14 हजार श्रमिक आते हैं। आपने अर्द्ध-सैनिक बल को दरवाजे पर तैनात कर रखा है। उनके पास अब 303 राइफल नहीं हैं, उन्हें अब नई मशीनें दी गई हैं। वे दरवाजे पर सैनिकों के जैसे कारंवाई करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह निश्चय ही मजदूरों के असंतोष में वृद्धि करेगा।

इसके अतिरिक्त मजदूरों की हड़ताल करने, धीरे काम करने, धरना देने, आंदोलन करने, इत्यादि का वैधानिक अधिकार है। ऐसी स्थिति से निपटने का उन्हें क्या प्रशिक्षण दिया गया है ? रूस भी मजदूरों को उनके हड़ताल का अधिकार देने पर विचार कर रहा है, जबकि आप यहां अर्द्ध-सैनिक बलों के हाथों में स्टेनगन देकर तैनात कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : आपके कहने का तात्पर्य है कि भारत में हड़ताल का अधिकार नहीं है ? लेकिन उन्हें जन-सम्पत्ति का नुकसान करने का कोई अधिकार नहीं है।

डा० दत्ता सामंत : सैनिकों को दरवाजे पर स्टेनगन देकर खड़ा करने की जरूरत क्या है ? मैं कहूंगा कि यह विधान अनुचित है। इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसाकि मैंने कहा है, ऐसे सैनिक बल सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के दरवाजे पर तैनात करने से निश्चय ही मजदूरों के असंतोष में वृद्धि होगी। मझगांव गोदी में हमने इसका कड़ा विरोध किया है। वे मजदूरों से निपटने का तरीका नहीं जानते हैं। अत: मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं। मैं इस विधेयक में दूसरे और अंतिम संशोधन का पूर्णतया विरोध करता हूं।

5.00 म०प०

इसमें ऐसा भी कहा गया है कि आप 'निलंबित' शब्द को हटा दें। मेरे विचार से वे कर्मचारी को निलंबित नहीं करने जा रहे हैं; वे अपने साथी कर्मचारी को भी निलंबित नहीं करेंगे। अत: हर ऐसे शब्द को हटाया जाना चाहिए।

दूसरे पक्ष के अनेक सदस्य यह कह रहे थे कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अवकाशप्राप्त सैन्य बल का उपयोग किया जाना चाहिये क्योंकि वे ज्यादा अच्छे और अनुशासित लोग हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया ऐसी भावना का उद्योगों में निर्माण ना करें। वे सीमा के लिये तो अच्छा हो सकते हैं लेकिन उन्हें दरवाजे पर तैनात करने की आवश्यकता नहीं है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, मैं समझता हूं कि श्री दत्ता सामंत ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विधेयक का तीव्रता से विरोध किया है और दूसरे लोगों ने मात्र विपक्ष में होने के नाते इसका विरोध किया है। उनकी मुख्य आलोचना थी कि मजदूरों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए; उन्हें बिना मतलब परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

आपने ठीक ही कहा है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 1968 में अपना कार्य शुरू किया और फलस्वरूप 1983 में एक अधिनियम लाया गया। शुरू में यह मात्र 3192 सदस्यों का बल था जो कि बाद में बढ़कर 63,000 हो गया। इतना ही नहीं वे अब देश के 182 अधिष्टानों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सरकार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की क्षमता में वृद्धि करके करीब 200 अधिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिश कर रही है। 1968 से लेकर अब तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने बहुत अच्छा काम किया है।

इस बारे में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं असम का रहने वाला हूं और वहां मैंने असम आंदोलन के दिन देखे हैं। आपने कहा है कि इस बल को दरवाजे से हटा लिया जाना चाहिए और उसे वहां नहीं रखना चाहिए। लेकिन असम आंदोलन के वक्त हमने देखा है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और तेल शोधक कारखानों को सुरक्षा प्रदान करके सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने अपना कार्य बहुत सी उत्तरदायित्व के साथ निभाया था।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : सभी मामलों में यह सच नहीं है। चंडीगढ़ के सेमी-कन्डक्टर कम्पलेक्स के मामले में·····

श्री संतोष मोहन देव : हमारे लिए सभी यूनियनों को संतुष्ट करना कठिन है। मैंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और डा० दत्ता सामंत की नाराजगी को जानता हूं क्योंकि आप हमेशा किसी न किसी कारणों से आंदोलन करना चाहते हैं। सरकार मजदूरों के न्यायोचित अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। उन्हें हड़ताल का अधिकार दिया गया है और 100 घण्टे में से 20 और 15 घण्टे हड़ताल करने में नष्ट हुए हैं। सरकार कभी भी इसके विरुद्ध नहीं गई। हाल ही में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल में, आपने कहा कि सरकार ने सभी यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया है। सुरक्षा बलों का कार्य अधिष्ठानों की सुरक्षा है। यह कहना गलत है कि जब सुरक्षा बल अधिष्ठानों की रक्षा करता है, तो यह मात्र श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है, यह तो सरकार के हितों की भी रक्षा करता है क्योंकि सरकार भी श्रमिकों के हितों की रक्षा में रुचि रखती है।

अतः हमारा उद्देश्य कुछ नया करने का नहीं है। यह साधारण संशोधन है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप जो भी कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : मैं जानता हूं कि आपकी सरकार ने भी कुछ क्षेत्रों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए आग्रह किया है। अतः आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है ? यह जो संशोधन लाए गए हैं, वे बहुत ही साधारण संशोधन हैं और इसमें सरकार का उद्देश्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रभावी बनाना है। यह किसी विशेष प्रकार के श्रमिकों को परेशान करने के लिए नहीं हैं। आपने ठीक ही कहा है कि निलम्बन श्रमिकों के विरुद्ध नहीं है।

इसके मूल प्रारूप में एक गलती थी जिसे ठीक किया गया है। सेवा से हटाने की व्यवस्था हमेशा रही है। यह एक अंतर्निहित अधिकार है और इसका संशोधन कर हम कोई नई चीज नहीं ला रहे हैं। यह पहले से ही था। मैं कह सकता हूं कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रतिष्ठानों का सुरक्षा कार्य बड़े प्रभावी और कुशलतापूर्वक ढंग से कर रहा है। श्रमिक वर्ग से टकराव का हमारे पास कोई कारण नहीं है। दरअसल हम श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हैं। यह बहुत ही साधारण विधेयक है और मुझे आशा है कि आप सब इसे स्वीकार करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री संतोष मोहन देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रदत्त गिरफ्तारी अधिकार का प्रयोग श्रमिकों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। क्या आप कोई गारंटी देंगे ?

डा० दत्ता सामंत : गृह मंत्री कोई गारंटी नहीं दे सकते। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को ये सभी अधिकार इस देश में श्रमिक वर्ग के आंदोलन को दबाने के लिए दिये गये हैं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और वाक आउट करता हूं।

5.06½ **म०प०**

[इस समय डा० दत्ता सामंत सभा से बाहर चले गए]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। यहां बैठकर मैं बाद में पैदा होने वाली किसी स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकता ? मैं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता।

श्री तम्पन थामस : महोदय, यह विधेयक श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है ·····**(व्यवधान)***

सभापति महोदय : कृपया नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

श्री तम्पन थामस : यह विधेयक श्रमिक वर्ग के विरुद्ध है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं विरोध स्वरूप बाहर जाता हूं।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

5.07½ म० प०

[इस समय श्री तम्पन थामस सभा से बाहर चले गये]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.08 म०प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाये जाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाया जाना—(जारी)

सभापति महोदय : अब हम कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 19 अप्रैल, 1989 को सभा में केन्द्रीय सरकार के पदों पर/सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाने के बारे में दिये गये वक्तव्य पर श्री ई० अय्यपू रेड्डी द्वारा 4 मई, 1989 को उठायी गई चर्चा पर आगे चर्चा करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति महोदय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 19 अप्रैल, 1989 को सभा में केन्द्रीय सरकार के पदों पर/सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से आदेशों को उदार बनाने के बारे में किए गए वक्तव्य पर श्री ई० अय्यपू रेड्डी द्वारा जो बहस शुरू की गई है और जो विषय उठाया गया है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार स्वयं इतनी चिंतित और सचेष्ट है कि देश के आदिवासी और हरिजनों का विकास हो और उसके संबंध में उनके हितों की रक्षा के लिए अनेकों कानून और नियमों को बनाया गया है और उन पर दृढ़तापूर्वक पालन किया जा रहा है । अय्यपू रेड्डी साहब, चूंकि विरोधी पार्टी के हैं और विरोधी पार्टियों को हर चीज को सूंघते चलने की आदत है और सरकार ने चूंकि यह प्रगतिशील प्रस्ताव सबसे पहले रखा है, उसमें कुछ अपना क्रेडिट लेने की दृष्टि से उन्होंने यह उठाया है । फिर भी यह विषय बहुत ही अच्छा है और हम इस बात को सैद्धांतिकरूप से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से और नैतिक पक्ष से इसके रखने की बहुत जरूरत है, यह चाहते हैं क्योंकि आदिवासी और हरिजनों का केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के अंदर और उनके रिजर्वेशन के संबंध में जो सरकार ने उसकी नीति को उदार बनाने की कोशिश की है और उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही अच्छा है । इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जब तक देश के ऐसे दबे हुए लोग और दबाए गए लोग जो हैं, ऐसे लोगों का सामूहिक रूप से, देश के विकास में, उनकी साझेदारी नहीं होगी, इन्वाल्वमेंट नहीं होगा, तब तक देश के चतुर्दिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जमाने में बड़े गर्व से लोग कहा करते थे कि महाभारत काल में सैनिक युद्ध करते थे, राजाओं में युद्ध होता था और किसान खेतों में हल चलाया करते थे,

उन पर कोई आक्रमण नहीं करता था। यह झूठा गर्व करने का विषय हो जाता है, लेकिन यह कहा जाना बड़ा हानिकारक और बड़ा इंजूरियस हो सकता है कि जिस समय देश पर आक्रमण हो रहा हो, और युद्ध चल रहा हो,

5.11 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

और आम लोगों का उसमें इन्वाल्वमेंट न हो, उनकी दिलचस्पी न हो तो इस तरह से देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जब देश में आजादी का आंदोलन चला तो जब तक तमाम लोगों का इन्वाल्वमेंट उसमें नहीं हुआ देश के हरिजन और आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों और अकलियत जमात के लोगों में सामूहिक रूप से जागृति नहीं आई तब तक देश को आजादी भी नहीं मिली। हम जानते हैं कि झांसी की रानी और टीपू सुल्तान के जमाने में भी आजादी का आंदोलन चला, सारी बातें हुईं लेकिन इसमें सामूहिक इन्वाल्वमेंट, साझेदारी नहीं थी, सभी वर्गों का क्योंकि इसमें सहयोग नहीं था, इसलिए हम आजादी से दूर रहे।

महात्मा गांधी ने इसको बारीकी से पहचाना था। उन्होंने देश के तमाम हरिजन, आदिवासी और वैसे लोग जिनका इन्वाल्वमेंट देश की आजादी के आंदोलन में नहीं था, जो उदासीन थे, जो बिल्कुल अनजान एकान्त में पड़े थे ऐसे लोगों को गांधी जी ने आगे लाकर इसमें उनको साझेदार बनाया और वह हरिजन आदिवासियों में जागृति लाये और इस तरह से देश में आंदोलन ने एक व्यापक रूप पकड़ा तब जाकर समुचित रूप में इसके अंजाम सामने आए। इसलिए हरिजनों के विकास के लिए जो जंगलों और खेतों में काम कर रहे हैं, जब तक सामूहिक रूप से उनका इन्वाल्वमैंट देश की सेवा में नहीं होगा तब तक वांछित विकास के जो उद्देश्य हैं, वे पूरे नहीं होंगे।

हरिजनों और आदिवासियों को इसमें लाने का एक मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण यह भी हो सकता है कि सत्ता में ब्यूरोक्रेसी के, नौकरशाही के लोग बैठे रहते हैं जो सामन्तवादी आउट-लुक के हैं, जो धनी, सम्पन्न वर्ग के लोग होते हैं वे छोटे लोगों के विकास से चिढ़ते हैं, जलते हैं। उनमें लोगों के विकास के लिए जो डैमोक्रेटिक आउटलुक होना चाहिए, समता का दृष्टिकोण होना चाहिए, वह नहीं होता है और इसीलिए ऐसे लोगों को वह दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां ऊंची जगहों पर हरिजन आदिवासी लोग हैं वे दूसरे वर्ग के लोगों के विकास और उनकी तरक्की में आड़े नहीं आते हैं क्योंकि उनका दिल और दिमाग उदार होता है वे किसी के खिलाफ प्रेजूडिसज नहीं करते हैं, उनके दिमाग में संकीर्ण बातें नहीं होती हैं। लेकिन जो फैंडरल आउट-लुक के लोग हैं जो नौकरशाही की कुर्सी पर बैठते हैं जब दूसरों के विकास और तरक्की की बात होती है तो वह उसमें बाधा डालते हैं। हमने व्यावहारिक रूप से इस बात को देखा है कि केन्द्र में जो 15 परसेंट हरिजनों के लिए और साढ़े सात परसेंट आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन है, उन जगहों पर भी पूरे रूप से हरिजन और आदिवासी नहीं पहुंच पाते हैं या पहुंचने का अवसर उनको नहीं मिलता है या उनको उस तरह का नो-हाऊ नहीं मालूम है इसलिए उनकी जो वैकेन्सीज हैं उनको वह पूरा नहीं कर पाते हैं। हम यह भी देखते हैं कि जान-बूझकर वह वैकेन्सीज भरी नहीं जाती हैं, उनको इसलिए रोककर रखा जाता है कि 4, 5, 10 साल तक यह बात चलती रहेगी तो उन रिक्त स्थानों पर जो टैक्नीकली इस बात की ऐक्सटैंशन ले लेते हैं और आम लोगों से उसको भर लेते हैं। आम

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

लोगों में से आते कौन हैं, वही जो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी के अपने खास लोग होते हैं। वे कुछ मान्यताओं को जैसे-तैसे पूरा कर के बैठ जाते हैं और उस समय यही होता है कि जो प्रमोशन के एवेन्यूज हैं उसमें उनको बाधा पहुंचती है।

इस सरकार ने बहुत सही कदम उठाया है कि हरिजन आदिवासियों की केन्द्रीय सरकार में जो जगहें हैं, उनकी परसेंटेज की संख्या को बढ़ाया जाए तो मेरे ख्याल से यह व्यावहारिक कदम है क्योंकि जब तक ब्यूरोक्रेसी में उदार दृष्टिकोण के लोग नहीं आएंगे, वैसे लोग नहीं आएंगे जिनमें हरिजन और आदिवासी लोगों के प्रति हिंसा का भाव नहीं है तभी ऐसे लोग ज्यादा सफल हो सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जब आजादी का आंदोलन चला और उसमें आदिवासियों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है, वहां पर बड़ा सामूहिक इन्वाल्वमैंट हुआ है, राजा भी लड़ रहा है और उसके साथ आम लोग भी लड़ रहे हैं और पूरी मुस्तैदी और समर्पण की भावना से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका इतिहास में जिक्र आता है, ऐसे आदिवासी इलाकों में बिहार के पलामू जिले का नाम आता है, उस जगह की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां कि मेदनी राजा ने लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों से और जबरदस्त लोहा लिया था और उस लोहे में टीम स्प्रिट और जो डैडीकेशन की भावनाएं थीं, समर्पण की भावना थी, जो कुरबानी और बलिदान का जज्बा उनके दिल में था वह इस रूप में कारगर हुआ कि मेदनी राजा ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और वहां पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ तो यह सामू हक रूप से चलने वाले लोग हैं, इनके अन्दर सामन्तवादी मनोवृत्ति नहीं है, किसी के विकास से उनको जलन नहीं होती इसलिए न केवल एक नैतिक दृष्टिकोण से, हरिजन आदिवासियों की इस देश के अन्दर प्रशासन में या इस देश के विकास में समान साझेदारी है, उनका हक है, उनका राइट है बल्कि यह न्याय भी कहता है कि उनको हर तरह से विकास के रास्ते पर लाया जाय। अगर उनको नो-हाऊ नहीं मालूम है, उनको आगे बढ़ने के रास्ते मालूम नहीं हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह उसका नैतिक कर्त्तव्य है कि उनको सामने लाये। इसलिए हम चाहते हैं कि हरिजन आदिवासियों को, उनके विकास के लिए उनके रिजर्वेशन के प्रतिशत की जो संख्या है उसमें वृद्धि की जाय।

इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार में तो मुस्तैदी से सारी बातों को पालन किया जाता है। जहां तहां कहीं लैकुना भी है, कुछ साथियों ने बताया है कि ऊंची जगहों में, आई० ए०एस० और आई०पी०एस० में जब यह आ सकते हैं तो जो क्लास 4 और क्लास 3 की वैकेन्सीज हैं उनमें इनको बुलाकर वैसे ही जगह भर देनी चाहिए, उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है लेकिन जहां तक राज्यों का सवाल है, राज्यों में इस प्रकार का कदाचार दिखाई पड़ता है कि जहां वैकेन्सीज हैं, काफी रिक्तियां हैं, वहां पर आदिवासियों की जगह नहीं भरी जाती हैं, कहा जाता है कि जितना एडवरटाइजमैण्ट हुआ, उसके मुताबिक हरिजन या आदिवासी नहीं पहुंच पाये इसलिए जगह खाली है। जगह खाली रखी जाती है, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आदिवासियों और हरिजनों के अन्दर अनएम्प्लायमैण्ट की समस्या नहीं है, वहां पर अनएम्प्लायमैण्ट की समस्या है, तो यह उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि सेमी गवर्नमैंट के अन्दर तो इस पर विचार ही नहीं किया जाता कि हरिजन आदिवासियों का इन्वाल्वमैंट हो, उसमें उनको बहाल किया जाय, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है या सी०एस० आई०एफ० की भी चर्चा चल रही थी, इसमें पता नहीं रिजर्वेशन की बात है कि नहीं, उसमें भी

हमारे कुछ सदस्यों ने बताया कि इसमें एक्स सर्विसमैन लोगों को लिया जाय, ठीक है, एक्स सर्विसमैन डैडीकेटेड डिसिप्लिड सिपाही हो सकते हैं, उनको तो लिया ही जाना चाहिए लेकिन वैसे लोगों की अनएम्प्लायमैंट की समस्या को देखकर, बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए उनकी भी इन जगहों पर भर्ती होनी चाहिए, उनकी भी साझेदारी होनी चाहिए, एक सरटेन परसेंटेज उनके लिए भी छोड़ देना चाहिए तो यह मेरा सुझाव है कि हरिजन आदिवासियों की जब तक पूरी तरह से जगह भर न जायें, उनको न केवल एडवरटाइजमैंट करके अखबारों में, सारे आदिवासी लोग जो होते हैं वह देहातों में और जंगलों में वह अखबार नहीं पढ़ पाते हैं तो वैसे लोगों को खोजकर ऐसी जगहों में उनकी बहाली के लिए, उनको नियोजित करने के लिए सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करता हूं। उन लोगों को उनका स्थान दिलाया जाय।

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 19 अप्रैल, 1989 को सभा में केन्द्रीय सरकार के पदों पर सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से जो आदेशों को उदार बनाने के बारे में वक्तव्य दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

हमारे भाई श्री अय्यपू रेड्डी साहब ने जो इस पर चर्चा उठाई है, हम समझते हैं, इस चर्चा के और अच्छे परिणाम हमारे सामने आयेंगे। हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो भाई हैं, वह हमारे समाज की बनाई हुई व्यवस्था के शिकार हैं और आज जब हमारा देश और दुनिया तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं तो हमें इस व्यवस्था को तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता ने आवाज उठाई थी। उसके बाद हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश को आजाद कराने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इन पिछड़े हुए लोगों को खुशहाल बनाने के लिए कदम उठाये। सरकारी नौकरियों में उनको स्थान देने के लिए एक निश्चित प्रतिशत तय हुआ। आज वातावरण ऐसा नहीं है कि सभी आरक्षित रिक्त पद भरे जायें। मेरा सुझाव है कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके बीच में एक ऐसा वातावरण बनाया जाये ताकि वे हम लोगों के समकक्ष आ सकें। इसके साथ-साथ वे रिक्त पद जो भरे नहीं जा रहे है किसी कारण से, तो उनके लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स चालू करना चाहिए, जिससे जो रिक्त पद हैं, वे खाली न पड़े रहें और उनके द्वारा ही उन पदों को भरा जाये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान राम के जमाने में भी आदिवासियों और पिछड़े हुए लोगों को सम्मान मिलता था। भगवान राम ने शबरी द्वारा तोड़े गए बेरों को बड़े प्रेम से खाया। हम सब भगवान राम को मानते हैं और वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। आज हम उनकी पूजा करते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं। उसको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया और आज कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है। हमें पूर्ण रूप से, सक्रिय रूप से ऐसे भाइयों को ऊपर उठाने के लिए, अपने समकक्ष लाने के लिए पूरा-पूरा योगदान देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि सरकार ने इसके लाभ हानि की जांच के बाद यह संकल्प किया है। हमारा उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में समानता लाना है। हमारे समाज में प्राचीन काल से असंतुलन बना हुआ है। जब

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

समाज में असमानताएं हैं तो इन असंतुलनों को दूर करने के लिये तथा समानता लाने के लिए कमजोर वर्गों और पिछड़े लोगों की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक वे कभी उन्नति नहीं कर पायेंगे और अन्य लोगों के समान नहीं हो पायेंगे। इसलिये इस संकल्प का बहुत महत्व है। इसके विपरीत कुछ लोगों ने किसी नियम या कानून के उपबन्धों से हटने की दलील भी दी है। निहित स्वार्थी लोग इस प्रकार की दलील देते हैं और कानून के उद्देश्य को विफल करते हैं। इसलिए वर्तमान उपबन्धों से स्थिति में काफी सुधार होगा और यह सुनिश्चित हो जायेगा कि समान स्थिति पैदा कर दी गई है। परन्तु साथ ही मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये जिसमें पदों को रिक्त रहने दिया जाए क्योंकि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। उदाहरणार्थ अस्पतालों या कालिजों में रिक्त पद तुरन्त भरे जाने चाहिएं, यदि उन्हें बहुत समय तक नहीं भरा जायेगा तो काम का नुकसान होगा इसलिये ऐसी स्थिति पैदा नहीं की जानी चाहिये।

दूसरे, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि वे लोग अपने कार्यों में सुधार दिखा सकें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि वे उचित तैयारी के साथ परीक्षा दे सकें और शानदार सफलता प्राप्त कर सकें।

इन शब्दों के साथ ही मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य का पूणतः समर्थन करता हूं क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि स्थिति न बिगड़ सके और काम का नुकसान न हो। इसलिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर कोई अवधि या समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। हम जानते हैं कि पिछड़ापन बहुत दिनों से है तथा पहले परिस्थितियां भिन्न थीं इसलिये उनका रातोंरात सुधार नहीं किया जा सकता। इसमें शत प्रतिशत सुधार नहीं हो सकता। मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं कि समाज में अनेक असमानतायें हैं इसलिये समानता लाने का उद्देश्य होना चाहिए और तरजीही व्यवहार किया जाना चाहिये। परन्तु साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये तथा उनके शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिये और जब काम का नुकसान होता है तो कालिजों और अस्पतालों में अनिश्चित समय तक खाली नहीं रखे जाने चाहिये। ये पद इस शर्त पर भरे जाने चाहिये कि जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध होंगे तो इन पदधारियों के स्थान पर इन वर्गों के उम्मीदवारों को रखा जायेगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि काम का नुकसान नहीं हुआ है। इन शब्दों के साथ ही मैं इस वक्तव्य का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तम्पन थामस।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बधाई दीजिए, आज इनका जन्म दिन है।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, चुनावों के निकट आने पर यह एक और पैंतरेबाजी है। माननीय मंत्री के वक्तव्य और प्रचार से भी यह पता लगता है कि उनकी मंशा अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा करना है और वे लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। इस वक्तव्य का एक उद्देश्य यह है। ऐसा कहने के लिए मेरे पास कारण हैं।

प्रो०एन०जी० रंगा (गुंटूर) : क्यों ? कैसे ?

श्री तम्पन थामस : मेरे पास ऐसा कहने के कारण हैं। यदि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पद सुरक्षित रखने में वास्तव में रुचि रखती है तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि देश में इस समय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कितने प्रबन्ध-निदेशक अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं? क्या कोई इस पद पर है ?

प्रो०एन०जी० रंगा : प्रबन्धक के पद पर पहुंचने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को कितने वर्ष लगते हैं ? क्या उस समय इन पदों को भरने के लिए पर्याप्त उम्मीदवार थे ?

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : क्या किसी भी सरकारी क्षेत्र के उद्यम में ऐसा कोई प्रबन्ध-निदेशक है।

प्रो०एन०जी० रंगा : पांच वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी ?

श्री तम्पन थामस : रंगा जी, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यदि सरकार समाज के प्रभावशाली वर्ग के लोगों को कहीं से भी ला सकती है तो भारत सरकार अनुसूचित जाति और दबे हुए वर्गों के लोगों को कम से कम कुछ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की अध्यक्षता के लिए क्यों नहीं ढूढ़ सकती ? कोई भी नहीं ! फिर भी हमने पाया कि इन पदों को उच्च वर्ग के लोगों द्वारा भरा जा रहा है।

हमारे राजनैतिक तन्त्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों को प्रमुखता दी गई ? क्या किसी ने भी एक हरिजन को देश का प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति बनाने पर विचार किया है ? हमने इस दृष्टिकोण से कभी भी नहीं सोचा। हम पाते हैं कि ऐसे पदों को लेने के लिये राजनैतिक क्षेत्र में ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित अथवा पदोन्नत नहीं किया गया। यदि आप वास्तव में अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान में रुचि रखते हैं तो यह राजनैतिक तन्त्र के अन्तर्गत किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके लिए हमारे अन्दर कोई इच्छा नहीं है और हमने इसके लिए कभी भी कार्य नहीं किया। आप चुनावों से सिर्फ छः महीने पूर्व यह वक्तव्य दे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस वक्तव्य का क्या परिणाम होगा। इस वक्तव्य के कारण भू-विज्ञान विभाग, सांख्यिकी विभाग तथा अन्य छोटे विभागों में लगभग एक सौ रिक्तियां उत्पन्न होंगी। मैं समझता हूं कि कल प्रधान मंत्री हस्तक्षेप करेंगे और सम्भवतः वह सारे देश से यह कहेंगे कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा करेंगे। यह केवल चुनावी प्रचार ही होगा। मैं हस्तक्षेप के समय प्रधान मंत्री जी से अथवा मंत्री महोदय द्वारा उत्तर देते समय उनसे यह पूछना चाहूंगा कि इस वक्तव्य के कारण लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की सही संख्या क्या है। हम पिछले चालीस वर्षों से इन पिछड़े लोगों को सामान्य स्तर तक लाने में सफल नहीं हुए। हमें अपनी असफलता स्वीकार कर लेनी चाहिए।

[श्री तम्पन थामस]

मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं इससे प्रत्यक्ष रूप में जुड़ा हूं। हरिजन शताब्दियों के शोषण का परिणाम है। एक समय था जब सभी बराबर थे। कुछ लोगों को अवसर मिला और उन्होंने इसका शोषण किया। इसलिए हरिजन तो सामाजिक आर्थिक परिणाम हैं। जब एक हरिजन अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जाता है। ईसाई अथवा इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला हरिजन केवल अपना धर्म बदल रहा है। सरकार के मुताबिक "हरिजन" कौन है ? ईसाई धर्म में परिवर्तित हरिजनों को इन लाभों से वंचित रखना हेलसिंकी कन्वेंन्सन और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन है। यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। किसी को भी धर्म परिवर्तन करने पर उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि हरिजनों से ईसाई बने लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभ मिलने चाहिए। सरकार को इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि यदि आप वास्तव में दबे हुए वर्गों के हितों में रुचि रखते हैं तो आवश्यक आरक्षण तथा संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय चिदंबरम जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, जिसमें अयप्पू रेड्डी जी की सिफारिशें निहित हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं।

आज हमारे मुल्क में जितनी जातियों के लोग रहते हैं, उन सबके रख-रखाव और उनकी सामाजिक तथा नैतिक जरूरतों को पूरा करना हमारा दायित्व है। हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद हरिजन और आदिवासियों की है। मोहतरम महात्मा गांधी जी ने उनके बीच में जाकर उनकी तकलीफ को देखा था, आज जो रिजर्वेशन उनके लिए रखा गया है, उसको पूरा करना हमारा दायित्व है। राज्यों में उनके लिए रिजर्व वेकेंसीज का कोई बहाना बनाकर नहीं भरा जाता, प्रमोशन के मौके पर उसके नाम पर कोई शिकायत लगाकर उसको वंचित कर दिया जाहता है, लेकिन हम इस समाज को कब तक अपने से दूर करते रहेंगे। हमारा फर्ज है कि उनके रख-रखाब की पूरी व्यवस्था करें, उनको हर तरह का सम्मान दें। अल्लाह ने इस दुनिया में किसी में कोई फर्क नहीं किया, हम लोग ही इस फर्क को पैदा करते हैं, लेकिन जो इन्सान-इन्सान में फर्क करता है, उसमें इन्सानियत का माद्दा कुछ कम होता है। काफी दिनों से एक फिरके को दबाकर रखा गया, लेकिन आज वक्त आ गया है कि हम हरिजन भाइयों और आदिवासी भाइयो को पूरा सम्मान दिलाएं, उसके हुकूक की हिफाजत करें, यह हमारा दायित्व है। सर्विसेस में, दिए गए परसेंटेज को पूरा किया जाए और इसके साथ-साथ बड़ी सर्विसेस में, फौज आदि में भी उनको जगह मिलनी चाहिए। कुछ लोग उनका हर तरह से शोषण करना चाहते हैं, लेकिन आज इन लोगों में बहुत बड़ी जागृति पैदा हो गई है और वे इस शोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उनको हरिजन भी नहीं कहा जाना चाहिए, आज यह शर्म की बात है कि हम अपने ही मुल्क में किसी वर्ग को छोटा समझें, किसी को बड़ा समझें। हमारा फर्ज है कि हम सबको बराबर का सम्मान दें, सब को सम्मान की दृष्टि से देखें। यह तभी होगा जब हम उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं के बारे में समझेंगे, उनकी मदद करेंगे, दिल से छोटे-बड़े की भावना को हटा दें।

मेरे क्षेत्र में भी बहुत बड़ी तादाद शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की है, उनको बैंकों से पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, हाउसिंग की सुविधा मिलनी चाहिए, सर्विसेस में दी गई जगहों को बराबर भरा जाना चाहिए। किसी को ऊंच-नीच के आधार पर या धार्मिक भावनाओं के आधार पर नीचे गिराने की कोशिश जो लोग करते हैं, उन पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। उनकी बस्तियों में उनके घरों में जाकर हम लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करनी चाहिए, खासकर हम लोगों का यह फर्ज होना चाहिए। धार्मिक रूप से भी उनको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। हमारे यहां मस्जिद में जो व्यक्ति जाता है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसी तरह से इनके अंदर भी इस तरह की कोई भावना नहीं आनी चाहिए कि उनको लगे कि ईश्वर या भगवान में कोई फर्क है। अल्लाह ने सबको पैदा किया है और सबको हक है कि वे उस ईश्वर की इबादत करें। अगर कोई इसमें फर्क करता है तो उसमें इन्सानियत नहीं है। बहुत बड़ी तादात में हमारे मुल्क में एक तबका पिछड़ा रहे तो इससे मुल्क का भी नुकसान होगा। हमें उस तबके को मुल्क की मूल धारा में लाना है, जब यह काम होगा तभी मुल्क को शक्ति मिलेगी। हमारे मुल्क की एक ताकत बनेगी और हमारे मुल्क के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। ये लोग ज्यादातर किसान हैं और खेतों में काम करते हैं। आज हमारे मुल्क ने खेती में जो तरक्की की है, वह इन लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से ही हो सकी है। आज हमारे मुल्क ने कृषि के अन्दर एक मुकाम बनाया है। चायना के बाद हमारा मुल्क चावल, मूंगफली, गन्ना और फल-सब्जी में दूसरे नम्बर पर है और गेहू में चौथे नम्बर पर है। यह सब इन लोगों की कड़ी मेहनत के कारण ही हो सका है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी जो हरिजनों से घृणा करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इनके कल्याण के संबंध में बहुत ख्याल रखा है। जवाहर रोजगार योजना में इनका पूरा ख्याल रखा जायेगा। उनके दिल में पिछड़े वर्गों के लिए तड़प है। उनकी सराहना करनी चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा से रिजर्वेशन की पूर्ति संभव हो पायेगी। उनका पूरा सम्मान और आदर हमें करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी के आश्वासन पर अनुसूचित जाति और जन-जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से उदार नीति अपनाने जा रहे हैं, इसका सभी की तरफ से समर्थन होना चाहिए और सुझाव दिये जाने चाहिए कि कैसे और उदार बनाया जा सकता है। अभी थामस साहब आलोचना कर गए और उन्हें एक ही बात दिखाई दी कि चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को चुनावी प्रश्न बताकर उसकी अहमियत को कम करना विपक्ष को ही शोभा देता है। हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि इस विषय पर गहराई से चर्चा करते और देखते कि जो सुविधा हम दे रहे हैं, उसे कैसे उन लोगों तक पहुंचाया जाए और कैसे सुविधा बढ़ाई जाए। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। मैं समझता हूं, अय्यपू रेड्डी साहब इसीलिए चर्चा के रूप में इसको सामने लाए हैं और राष्ट्र के प्रति एक बहुत बड़ा दायित्व निभाया है। यह संसद इसकी जिम्मेदार है कि हम उस वर्ग को जो हमारे देश का आधार शिला है, हमारी नींव का पत्थर है आदिवासी और हरिजन, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। फौज में देखें तो हमारे देश की सरहद पर ये लोग डटे हुए हैं। खेतों में, शहरों में आप जहां भी सम्पूर्ण विकास देख रहे हैं, उसके मूल में ये अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग ही हैं। हमने उनके प्रति क्या किया है। शासन जो काम उनके लिए करने जा रहा है, वह प्रधान मंत्री जी की भावना के अनुकूल है। मैं यह कहते हुए गर्व महसूस करता हूं कि जिसने सैद्धान्तिक रूप दिया, वह एक महान व्यक्ति था। अन्त्योदय जिसको नाम दिया, आखिरी आदमी के उदय होने तक वहां तक इस देश को हम ले

[श्री केयूर भूषण]

जायेंगे, वह महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी की वाणी को ज्यों का त्यों लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं वह राजीव गांधी हैं। वे उसको उसी रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आप दुनियां में शांति की ओर जायेंगे तो आपको दिखेगा कि वह गांधी जी की वाणी बोल रहे हैं और दुनिया उनको देख रही है। विश्व में शांति लाने का आदर्श महात्मा गांधी ने सामने रखा और दुनिया को नई दिशा दी, दूसरा था आखिरी आदमी के आंसू पोंछने का, उसको ऊपर उठाने का वही संकल्प आज राजीव गांधी पूरा कर रहे हैं। हमारी पार्टी और हम सबको इसका गर्व है। किसी ने कहा कि दूसरी पार्टियां इसको क्यों नहीं उठा रही हैं। उनके पहले राजीव गांधी ने क्यों उठाया, इसमें होड़ होनी चाहिए। मगर समझ की कमी थी। हमने जिस वर्ग मे देखा, हमारे वामपंथी वर्ग आधार को समझते हैं लेकिन इस देश के अन्दर वर्ग आधार है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि वर्ण आधार होने से वर्ग आधार का कोई महत्व नहीं है, मगर इस देश के अन्दर वर्ग आधार है, जिसके कारण वर्ग आधार नहीं बन रहा। इसलिए इसको हटाना होगा, इस बात को आज राजीव गांधी समझ रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की भावना और महात्मा गांधी की भावना इस बात में है कि आखिरी आदमी को ऊपर उठाने से ही इस देश को स्वतन्त्रता मिलेगी और देश का निर्माण होगा। यह सही भी हुआ 24 दिसम्बर, 1932 को पुणे पैक्ट के अन्दर उन्होंने इस बात को आपस में महसूस किया कि स्वतन्त्रता का युद्ध तभी जीता जा सकता है यदि उसमें सम्पूर्ण समाज का वर्ग आगे आयेगा और उसके बाद देश का इतिहास राष्ट्रीय आजादी के रूप में बदला और उसका परिणाम हम सबको मिला है। उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर को एक शंका थी कि यह जो ऊपर का वर्ग है, ऐसा न हो कि यह दलित वर्ग को उठने नहीं दे और उसे सारी सुविधाओं से वंचित कर दे। क्योंकि उसे हजारों-हजार सालों तक गरीब के रूप में रखा है और स्वतन्त्रता के बाद भी उनको इस रूप में रखा इसलिए उन्होंने इस पर जोर दिया कि इनकी सुरक्षा के लिए आरक्षण की सुविधा उनको देनी चाहिए। इसके लिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों ने हस्ताक्षर किये। मदन मोहन मालवीय जो धर्म के दाता थे, उन्होंने भी स्वीकार किया और इसको माना। उस समय कहा गया था कि हम 10 वर्षों के अन्दर समाज को एक रूप में लाकर खड़ा कर देंगे। जो हमारी शर्त है, जो हमारी कसम है और महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय और उस सारे राष्ट्र की कसम थी, हमने उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। पूरा नहीं कर पाये उसका परिणाम है कि केन्द्रीय शासन में जो आरक्षण का कोटा है हम उसको स्वीकार करते हैं कि वह पूरा नहीं कर पाये हैं, वह दे नहीं पाये हैं। आज उसको भरने के लिए हमें नियमों के अन्दर परिवर्तन करना होगा ताकि हम इसको पूरा कर सकें। यह तो हम केवल केन्द्रीय शासन के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन अन्य शासनों और प्राइवेट शासन के बारे में भी सोचें। आज भी रोजगार का अवसर जितना शासन दे पाता है 75 प्रतिशत दूसरे क्षेत्रों में है, प्राइवेट सेक्टर के अन्दर है। क्या वह आरक्षण से छूटें रहेंगे ? सीमेंट उद्योग, लोहे का उद्योग और अन्य उद्योग प्राइवेट सेक्टर में हैं इनको खुली छूट दे रखी है, नगर-निगमों और नगरपालिकाओं में भंगी का काम हमारे लोग करते हैं। हम कहते हैं कि यह आरक्षण आप ले लो। केवल नालियां साफ करना और हमारी महिलायें सिर पर मैला ढोतीं रहें और अपनी जिन्दगी इसी में बितायें आखिर गांधी जी ने कुछ न कुछ तो सोच कर ही तो कहा था कि समाज में ब्राह्मण, बनिये सब मिलकर साथ-साथ काम करें और गांधी जी ने जीवन भर उस सिद्धांत का पालन किया। आज हमारी असंख्यक बहिनों को, मैट्रिक या बी०ए० होने के उपरान्त भी कोई सुविधा नहीं मिलती, आज भी उन्हें नालियां साफ करनी पड़ती हैं, मैला सिर पर

ढ़ोना पड़ता है। कब तक वे इसी तरह सिर पर मैला ढ़ोती रहेंगी। आप उन्हें इस काम से छुड़ाइये। उनके लिए इंडस्ट्रीज दीजिए, कारखाने लगाइये, नौकरियों में प्राथमिकता के आधार पर जौब दीजिए। ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कोई पड़ी-लिखी बहन सिर पर मैला न ढ़ोने पाये। गांधी जी समाज के निम्न से निम्न व्यक्ति तक को ऊपर उठाना चाहते थे परन्तु हमने आज भी उसी रूप में बनाये रखा है, आज भी वे भंगी के रूप में उसी तरह काम करते जा रहे हैं। इनकी स्थिति में परिवर्तन लाइये। मुझे पूरी आशा है कि जिस वर्ग को ऊपर उठाने के लिये हमने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, उस वर्ग के जीवन में कानूनों के द्वारा या सुविधायें देकर, जितना परिवर्तन आप ला सकते हैं, अवश्य लायें। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, खास तौर से जितने हमारे यहां सफाई कामगर हैं, उनकी स्थिति आप अवश्य बदलिये। शत-प्रतिशत आरक्षण दीजिए और तब तक आरक्षण देते रहिये जब तक कि वे समाज के दूसरे वर्गों के बराबर न आ जायें। आज उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, हम ही नहीं, सभी राजनैतिक पार्टियों को उनकी तरफ देखना चाहिये। सब को मिलकर उनके सामाजिक स्तर में परिवर्तन लाना चाहिए ताकि उस वर्ग में रहते हुए वे गौरव का अनुभव कर सकें। आज स्थिति यह है कि कोई उस वर्ग में रहना नहीं चाहता। उसका कारण यह है कि हमने उसके स्तर में कोई मूल्यवान परिवर्तन आज तक नहीं किया। मुझे आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी की आशाओं के अनुरूप शासकीय और अर्ध-शासकीय सभी जगह उनके सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने के लिये हर सम्भव कोशिश की जायेगी और हमारे विपक्ष के भाई भी समय की आवश्यकता को समझेंगे और हमारे साथ सहयोग करेंगे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को उनकी इस घोषणा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1990 के बाद भी संविधान में संशोधन करके हरिजनों, गिरिजनों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कायम रहेगी। निश्चित रूप से वे इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री अनादि चरण दास : आरक्षण उसके लिए नहीं, जो पार्लियामेंट के लिए 10 साल का होता है, उसके सम्बन्ध में कहा है। जब तक संविधान चेंज नहीं किया जाता, तब तक इन लोगों के लिये आरक्षण तो रहेगा ही, इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने उसे बढ़ाया नहीं है, उसकी व्यवस्था तो पहले से संविधान में है।

श्री हरीश रावत : मेरे मित्र दास साहब, जिन्हें मैं आज भी संस्कारगत तरीके से कांग्रेस का सिपाही समझता हूं, लेकिन वे एक भागते हुए सिपाही की तरह हैं, ने शायद प्रधान मंत्री जी की भावना को ठीक तरीके से समझा नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था है, स्थिति है, उसे देखते हुए मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत किया है। यही बात शायद दास साहब को खल गयी कि मैंने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद क्यों दिया। वास्तव में प्रधान मंत्री जी ही इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, कांग्रेस पार्टी धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि 1980 में भी, जब यही प्रश्न उठा था कि इन वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था रहेगी या नहीं, उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने स्पष्ट तौर से कहा था कि जब तक हमारे देश के हरिजनों, गिरिजनों और आदिवासियों का स्तर दूसरे लोगों के बराबर नहीं आ जाता, जब तक वे एडवांस स्थिति तक नहीं आ जाते, उनका आशय समाज के दूसरे एडवांस कास्टस के लोगों की तरफ था, तब तक आरक्षण की व्यवस्था बनी रहेगी। उसी के अनुसरण में 1980 में संविधान में संशोधन के जरिये आरक्षण की व्यवस्था 1990 तक बढ़ायी गई थी। आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यह

[श्री हरीश रावत]

व्यवस्था 1990 के आगे भी बनी रहेगी, हरिजनों, गिरिजनों और आदिवासियों को 1990 के बाद भी आरक्षण मिलता रहेगा।

माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने इस सदन में जो बयान दिया था, वह माननीय प्रधान मंत्री जी की भावना, सरकार की भावना और कांग्रेस के सिद्धान्तों के अनुरूप है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी की भावना से प्रेरित होकर ही उन्होंने सदन में वह बयान दिया, और प्रधान मंत्री जी के बयान की वह अगली कड़ी है। बहुधा हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में नियमानुसार इन वर्गों को जितना आरक्षण मिलना चाहिए, उतना आरक्षण हरिजनों आदि को मिल नहीं पा रहा है। उन पोस्ट्स को फिल अप नहीं किया जा रहा था, वे खाली रखी जा रही थीं और उनको कुछ समय के बाद जनरल कैटेगरी से भर लिया जाता था।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : यह सही नहीं है।

श्री हरीश रावत : यदि यह सही नहीं है तो मैं समझता हूं कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। विपक्ष की तरफ से आप कह रहे हैं कि यह स्थिति नहीं है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सामान्य श्रेणी में एक रिक्त स्थान के पीछे 122 लोग हैं; अनुसूचित जातियों में एक रिक्त स्थान के लिए 120 आवेदक हैं और अनुसूचित जनजातियों में एक रिक्त स्थान के लिए 173 आवेदक हैं। इसलिए उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि जहां तक क, ख, ग श्रेणियों का संबंध है, आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः आवश्यक कोटे से अधिक स्थानों को भरा जा रहा है।

श्री हरीश रावत : मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

लेकिन बहुधा यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि हरिजनों के लिए जितना कोटा आरक्षण का निर्धारित है, उसको पूरा नहीं किया जाता है। बहुधा यह कह दिया जाता है कि उचित कैंडीडेट नहीं मिल पाए, इसलिए वे पद खाली रह जाते हैं। मैं उसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा था क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि यदि कहीं पर कोई पोस्ट ऐसी है जिसमें अगर कैंडीडेट नहीं मिलता है, तो उस पोस्ट को जनरल में नहीं डाला जाएगा। उसकी पूर्ति हरिजन कैंडीडेट से ही होगी। मैं इस बात के लिए मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा था और मैं समझता हूं कि इसमें कोई शिकायत की स्थिति नहीं रही है। मैं तो कुछ सीमा तक सरकार की आलोचना कर रहा हूं और मैं तो थोड़ी बहुत आपके मन की ही बात कर रहा हूं। इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए।

महोदय, जिस बिंदु पर मैं आ रहा था वह यह है कि आज दिन तक बहुधा हमारी सर्विसेस अपर कॉस्ट मेंटेलिटी से त्रस्त हैं और बहुधा हम यह देखते हैं कि हरिजनों को जो आरक्षण की सुविधा दी गई उसके जरिए सारे देश में वे सर्विस में तो आ गए, लेकिन सर्विस में वे आगे न बढ़ जाएं और कहीं किसी व्यक्ति का प्रमोशन न हो जाए, कहीं वह व्यक्ति प्रमोशन में जो आरक्षण की सुविधा है, उसका लाभ लेकर दूसरों से आगे न बढ़ जाए, इस दृष्टि से उनकी चरित्र पंजिका में

एडवर्स एंट्रीज कर दी जाती हैं और जानबूझकर कर दी जाती हैं । मैं यहां यह नहीं कहता हूं कि यदि किसी हरिजन आदिवासी का काम ठीक नहीं है, अनुशासनहीनता दिखा रहा है, और कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसके लिए चरित्र पंजिका में अंकन होना चाहिए, तो जरूर होना चाहिए, लेकिन उन मामलों में जहां हरिजन आदिवासी का आदमी ठीक काम कर रहा है और अपने कुलीग के साथ मिलकर ठीक काम कर रहा है और कभी-कभी तो मैंने यह भी देखा है कि वह दूसरों से बेहतर काम करता है क्योंकि उसे यह एहसास है कि वह आरक्षित श्रेणी से आया है और उसको अपना अच्छी तरह कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ताकि वह औरों से पीछे न रहे । ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं विशेषकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जो हैवीचुअल हैं कि वह आगे न बढ़ जाए, इसलिए उसकी चरित्र पंजिका में इस तरह का गलत अंकन कर दिया जाए ताकि वह कभी अपनी लाइफ में ऊपर उठ ही न सके । ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए । सख्त वार्निंग मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग इस प्रकार की गलती को न कर सकें । सर, बहुधा यह भी देखने में आया है,···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब छः बजे हैं । सभा की अवधि आधा घंटा और बढ़ाने के बारे में क्या राय है ?

श्री हरीश रावत : यह तो सभा पर निर्भर करता है । यदि आप चाहें तो मैं अपना भाषण कल जारी रख सकता हूं ।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय, हम कुछ सदस्यों को अनुमति दे सकते हैं और हम यह चर्चा कल भी जारी रख सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल भी हमारे पास नियम 193 के अधीन अन्य मुद्दे हैं । इसलिए कुछ सदस्यों द्वारा अपने भाषण पूरे करने के लिए कम से कम आधा घंटा लग सकता है । सभा की अवधि आधा घंटा और बढ़ाई जाती है । कृपया संक्षेप में ही बोलें ।

श्री हरीश रावत : महोदय, मैं अपना भाषण पांच या छः मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । पहले ही 10 सदस्य प्रतीक्षा में है । कृपया थोड़ा बोलें ।

6.00 म०प०

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : बहुधा यह देखने में आता है कि यदि कहीं 40 स्थान रिक्त हैं तो उनके लिए एक-मुश्त एडवर्टाइजमैंट नहीं निकाले जाते हैं । केवल 3, 4 पदों के लिए एडवर्टाइजमैंट निकालेंगे और 3, 4 पदों के लिए फिर बाद में निकालेंगे । इस तरह से टुकड़े-टुकड़े कर के पोस्टों को एडवर्टाइज किया जाता है, केवल इस बात को एवायड करने के लिए कि अगर 40 की संख्या को एक-मुश्त निकालेंगे तो आरक्षित पोस्टों की संख्या बढ़ जाएगी अगर 3, 4 निकालेंगे तो परसैंटेज के हिसाब से आरक्षण के लिए पद सृजित नहीं किए जाएंगे, रिजर्व नहीं किए जाएंगे । यह मैन्टैलिटी आज सरकारी कार्यालयों में बहुधा देखने में आ रही है । हमारे हरिजन भाई, गांव के भाई इसकी शिकायतें करते हैं । मैं गृह राज्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वर्ष में ऐसी जितनी भी वैकन्सीज़

[श्री हरीश रावत]

होती हैं, क्रिएट होती हैं, उनका वर्ष से पहले आंकलन कर के एक-मुश्त पोस्टें एडवर्टाइज की जानी चाहिए ताकि आरक्षित सीटें जितनी हों वह सुनिश्चित हो सकें और उसका लाभ आरक्षित कैटेगरी के लोगों को मिल सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे पढ़े-लिखे हरिजन नौजवानों में असंतोष है और इस बात के लिए है कि उनके पास जमीन नहीं है, खाने-पीने के दूसरे साधन नहीं है, उद्योग लगाने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि परम्परागत वे गरीब हैं। आदिवासियों की भी यही स्थिति है। उन लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है पढ़े-लिखे लोगों की, और उस अनुपात में इन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही हैं। क्योंकि उनके पास एक ही जरिया है सरकारी नौकरी का, इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे नौजवानों का सर्वेक्षण होना चाहिए। यदि हम उन्हें वैकल्पिक रोजगार दे सकें तो ठीक है नहीं तो उनको एड-हाक एम्प्लायमैंट देने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जितने डेली वेजेज वाले स्थान हैं उन सब पर हरिजन और जनजाति के पढ़े लिखे नौजवानों को खपाया जाए ताकि उनके मन में अपनी स्थिति के प्रति जो डिसकन्टैनमैंट है, वह दूर हो सके।

मेरे कुछ मित्रों ने कल भी और पहले भी प्रश्न उठाया था कि रिजर्वेशन का लाभ व्यक्ति को एक बार मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही नाजुक प्रश्न है और इसलिए कि एक व्यक्ति जो आज रिजर्वेशन का लाभ उठा चुका है उसका बेटा ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हायर पोस्ट के लिए क्वालीफाई करे क्योंकि वह एक निश्चित स्टैंडर्ड पर पहुंचा है। हम जो यह कहते हैं कि आरक्षण का लाभ एक ही व्यक्ति को मिलना चाहिए तो वह व्यक्ति जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है उसका बेटा अगली पोस्ट के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकार को इस बात को स्पष्टतौर पर कहना चाहिए कि आरक्षण का लाभ जिस प्रकार से अब तक हरिजनों, गिरिजनों और आदिवासियों को मिल रहा है, उसी अबाध तरीके से उनको आगे भी रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहेगा और एक से अधिक बार भी जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उनको उसी प्रकार लाभ मिलता रहेगा। यदि इसमें भी विवाद की कोई गुंजाइश हो तो इस प्रश्न को एस०सी० और एस०टी० पर छोड़ देना चाहिए, वह अपने प्रश्न का समाधान, कि कितनी बार लाभ मिलना चाहिए, उसका स्वयं आंसर खोजने की कोशिश करें।

बहुत दिनों से यह मांग उठ रही है कि कुछ और जातियां ऐसी हैं जो उस समय के सर्वेक्षण के वक्त छूट गई थीं, जिनको शामिल नहीं किया गया था हरिजन और हरिजन आदिवासियों में। हमारे अपने क्षेत्र में भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो छूट गई हैं। मैंने बारबार कल्याण मंत्रालय, प्लानिंग कमीशन और गृह मंत्रालय को पहले लिखा है और आज फिर निवेदन कर रहा हूं कि जैसे गंधर्व जाति है, उनकी रोजी-रोटी का कोई जरिया अब नहीं रह गया है उस समय ये लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, नाच-गा कर अपना पेट भरते थे, आज उस कला को कोई संरक्षण देने वाला नहीं है और वह भूखे मर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो गधर्व जाति हरिजनों के बीच की जाति है, उनको आरक्षण की सुविधा हरिजन भाइयों की तरह ही मिलनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में अनवाल लोग हैं जो पूरी तरह से क्वालीफाई करते हैं कि उन्हें जनजाति घोषित किया जाए लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है मैं निवेदन करूंगा कि उनको भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसी तरह से और जातियों के विषय में भी सर्वेक्षण हुआ है मैं आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उन लोगों को भी जनजाति का दर्जा दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ जिस उद्देश्य के सम्बन्ध में माननीय गृह राज्य मंत्री ने घोषणा की है सरकार की, मैं उसका समर्थन करता हूं और प्रधान मंत्री जी को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हरिजन और गिरिजनों के सम्बन्ध में जो कांग्रेस की नीति और सिद्धांत हैं, गांधी जी के सिद्धान्त हैं, उनके अनुरूप घोषणा करके कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार को मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा किया है।

श्री० के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय चिदम्बरम जी ने 19 अप्रैल को यहां जो वक्तव्य दिया है और जिस पर अय्यपू रेड्डी जी ने डिस्कशन मांगा है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने और खास तौर पर भारत सरकार ने जब से इस राष्ट्र की बागडोर संभाली है, हरिजनों की तरक्की के लिए, आदिवासियों की तरक्की के लिए बहुत प्रयत्न किये हैं और उसी का नतीजा है कि सारे राज्यों की विधान सभाओं और पार्लियामैंट में आज सारे के सारे मैम्बर हरिजन आदिवासियों के देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जितने आई०ए०एस० और आई०पी०एस० आफिसर हैं वह भी इसी का नतीजा है कि उनकी शिक्षा को, हर तरह से ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न किया है। किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। यहां कुछ बातें हमारे विपक्ष के लोगों ने कहीं हैं, यहां तक कहा है कि प्रधान मंत्री हरिजनों में से होना चाहिए, राष्ट्रपति हरिजनों में से होना चाहिए, आदिवासियों में से होना चाहिए लेकिन हमारे संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि दूसरी कास्ट का आदमी प्रधान मंत्री नहीं बन सकता है या हरिजन ही बन सकता है। हमारे देश के अन्दर विपक्ष ने कभी भी हरिजनों को इतना मौका नहीं दिया, न माइनोरिटी को मौका दिया कि वह उनमें से अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दें, या जनरल सैक्रेटरी तो बना दें। आप किसी भी पार्टी में देखिये, सी०पी०एम०, सी०पी०आई० या दूसरी किसी पार्टी में हरिजन हैड कभी नहीं बना। यह कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबू जगजीवनराम को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। यह वह पार्टी है जिसने सारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए डा० अम्बेडकर को यहां लॉ मिनिस्टर बनाया जिन्होंने एक मार्गदर्शन राष्ट्र को दिया। आज हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत बड़ा निर्णय लेकर डा० अम्बेडकर के नाम से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भारी यूनिवर्सिटी स्थापित की है, हम उन्हें उसके लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने खास तौर पर हरिजनों और आदिवासियों के लिए चिन्ता दर्शाई है। विपक्ष की यह कोशिश है कि वह किस तरह से हरिजन और आदिवासियों को अपनी तरफ ले जाय, किस तरह से उनका शोषण करें। आपको याद है कि हमारे यहां पंजाब के पास हरियाणा की सरकार नहीं है, अभी करनाल से आने वाले माननीय सदस्य चिरंजी लाल शर्मा कह रहे थे कि वहां की सरकार ने 120 मकान बुल्डोजर चला कर उड़ा दिये, यह मामला उन्होंने जीरो आॅवर में भी उठाया था···

श्री हरीश रावत : जनता दल वाले तो इस बात से नाराज हैं कि प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर जी के नाम से यूनिवर्सिटी क्यों खोली। उत्तर प्रदेश के जनता दल वालों ने इस बात को क्रिटीसाइज किया है।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : विपक्ष में बैठने वाले बड़ी अक्ल वाले हैं। आज सिर्फ अय्यपू रेड्डी जी ने यह प्रश्न उठाया है कि हरिजनों के लिए क्या-क्या किया जाय और हमें यह मौका मिल गया है, हम इनका स्वागत करते हैं। यह भी इधर से उधर चले गये हैं। अब हमें इसमें ज्यादा काम करने

[श्री के०डी० सुल्तानपुरी]

की जरूरत है, विपक्ष के लोगों को भी इसमें हमारा सहयोग करना चाहिए । इसमें जो बैकलॉग हैं, जिसका जिक्र माननीय सदस्य रावत जी ने किया है कि नौकरियों में बैकलॉग हैं, उसको पूरा करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, यह इस तरफ तवज्जह दें । जहां-जहां हरिजनों पर ज्यादती होती है, वह किस तरह की ज्यादती होती है, उनके ऊपर बलात्कार के केस, डकैती के केस, कत्ल के केस बनाकर उनको फंसाया जाता है उनके लिए स्पेशल तौर पर जहां कैम्प पोस्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, आई०पी०एस० आफिसर हैं, वहां हरिजन कलैक्टर और एस०पी होना चाहिए और दूसरे हरिजन आफिसर होने चाहिए ताकि इन लोगों की रक्षा हो सके । मैं रावत जी की इस बात का बड़ा समर्थन करता हूं कि अगर 100 पोस्टें हैं तो उनमें से सिर्फ 4 या 5 का एडवरटाइजमैन्ट किया जाता है, उसका उदाहरण देते हुए इन्होंने बताया कि किश्तवाइज इसलिए किया जाता है ताकि हरिजनों के बच्चे नौकरियों में भागीदार न बन सकें ।

जहां तक आपके पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एयर इंडिया और रेलवे का सवाल है और जितने भी आपके बड़े-बड़े इन्स्टीच्यूशन्स हैं, उनको मुझे देखने का मौका मिला है । इन जगहों पर नौकरियों में भरती 0.2 परसेंट भी नहीं है । अगर उनसे कहा जाता है कि क्यों नहीं रखे गए, तो जवाब मिलता है कि वे काबिल नहीं हैं, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली । इसलिए मेरा कहना है कि उनकी ट्रेनिंग के लिए इस्टीच्यूशन खोलने की जरूरत है, जिस तरह की ट्रेनिंग आप उनको देना चाहते हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज में लाखों नहीं आपको करोड़ों आदमी मिल जायेंगे, जो इस पोस्ट के काबिल हो सकते हैं, लेकिन उनको रखा नहीं जाता है । मैं प्रधान मंत्री जी का बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि ये सारी पोस्टें अब आगे के लिए नहीं बढ़ाई जायेंगी । यह उन्होंने बड़ा भारी निर्णय लिया है । इसके साथ उन्होंने एक निर्णय और भी लिया है । जवाहर रोजगार योजना में हरिजन महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत का आरक्षण किया है । हमारे विरोध पक्ष के लोग बार-बार कहते हैं कि यह इलैक्शन स्टन्ट है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह इलैक्शन स्टन्ट नहीं है और आपकी नजरों में यह इलैक्शन स्टन्ट हो सकता है । राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सहयोग देना चाहिए और लोगों की भलाई के कामों में आपको हमारा साथ देना चाहिए । मैं कहता हूं कि इलैक्शन स्टन्ट तो आपका भी कौन सा कम है । आप रोज प्रधान मंत्री जी के ऊपर पेपर्स के जरिए आक्षेप करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं । इससे राष्ट्र का प्रधान मंत्री बदनाम होता है, लेकिन प्रधान मंत्री के ऊपर उसका असर नहीं होता है । विदेशों में उसका असर होता है । हम माननीय सदन में जो बहस करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो वह राष्ट्र के लिए कहते हैं और उसका इन्टरनेशनल इम्पैक्ट होता है । मैं प्रधान मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने डैमोक्रेसी को निचले स्तर पर ले जाने और दबे हुए तबकों को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न किया है । हमारे संविधान में इन लोगों के आरक्षण के प्रावधान हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने निर्णय लिया है । जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस वक्त उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन जब हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी सत्ता में आई, तो उन्होंने उसको दस साल के लिए और बढ़ा दिया था । आज हम प्रधान मंत्री जी के शुक्रगुजार हैं कि उस सुविधा को आगे बढ़ा दिया है और कहा है कि जब तक उनकी गरीबी खत्म नहीं हो जाती है, जब तक गरीब लोग समाज में ऊपर नहीं उठ जाते हैं, यह प्रावधान उनके लिए रहेगा । इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं ।

एक बात मैं बैंकों के बारे में कहना चाहता हूं । मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं । जहां तक बैंकों में इनकी नौकरियों का ताल्लुक है, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का बैकलॉग इसी तरह से है । राज्यों के जो बोर्डस् हैं, उनमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की कमी है । मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब आपने सारे राष्ट्र के लिए मार्गदर्शन दिया है, जो जितनी भी हमारे इन्स्टीच्यूशन में रिजर्व्ड पोस्ट हो सकती हैं, उन में सब में यह कानून लागू होना चाहिए । इस के साथ-साथ जिन लोगों को जमीन के पट्टे नहीं मिले हैं, जिनको कब्जा नहीं दिया जाता है और ऐसे कितने आदमी हैं जिन्होंने जमीन के कानून का उल्लंघन किया है, चाहे कोई भी हो, उनको पूरी तरह सेपनिशमेंट दिया जाना चाहिए । गरीबों को जमीनें एलाट नहीं की गई हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो फैसले लिए हैं, उनको कानूनी तौर से पूरा किया जाए । उद्योगों में भी उनको ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए । मैं समझता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी इस का पूरी तरह से पालन करेंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष जी, होम मिनिस्टर साहब ने पोस्टों के डी-रिजर्वेशन को बैन करने के लिए यह स्टेटमेन्ट दिया है लेकिन मेरा यह कहना है कि अभी जो रिजर्वेशन की पालिसी है, उसमें बहुत खामियां हैं और इस पूरी पालिसी पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि सिर्फ ऐसा जो किया गया है, उससे सचमुच में आदिवासियों और हरिजनों को लाभ नहीं मिलता है जैसे अभी भी सूटेबिल कैंडीडेट्स की बात कही जाती है और अगर सूटेबिल कैंडीडेट्स नहीं मिलते हैं, तो जनरल कैंडीडेट्स को आप ले लेते हैं ।

मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि श्री वट के डे, जो डाइरेक्टर हैं परसोनल डिपार्टमेन्ट के, उन्होंने एक सर्कूलर निकाला है गवर्नमेन्ट की तरफ से कि कोई आदिवासी या हरिजन तभी एप्लाई करेगा, जब उस-के नम्बर जनरल कैंडीडेट्स के नम्बरों के बराबर होंगे । उन को भी उतने ही नम्बर चाहिए, तभी वे एप्लाई कर सकते हैं और तभी उनका केस कंसिडर हो सकता है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो सर्कूलर है, इसको आपने विदड्रा कर लिया है या नहीं । जब तक यह विदड्रा नहीं होता है, तब तक हरिजन और आदिवासी लोग कोई दरख्वास्त नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सी संस्थाएं एडवरटाइजमेन्ट में यह लिखती हैं कि 50 पर सेन्ट मार्क्स होने चाहिए और यदि किसी हरिजन या आदिवासी लड़के के 35 पर सेन्ट मार्क्स होते हैं, तो वह एप्लाई नहीं कर पाएगा । यह सर्कूलर डिपार्टमेन्ट आफ परसोनल ने पहले निकाला था । उसको आपने अभी तक विदड्रा नहीं किया है और बहुत सी संस्थाएं अभी भी ऐसा लिख रही हैं । तो पहली बात तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने उसको विदड्रा किया है या नहीं ।

मेरे पास और भी सवाल हैं और अगर मैं सबको कहूं, तो बहुत लम्बी बात हो जाएगी । रिजर्वेशन पालिसी क्या है, इसके बारे में हम सब लोगों को पता नहीं है और जो इसका ओसर है, यह बहुत बड़ा है । उसमें रिजर्वेशन पालिसी के बारे में बहुत सी बातें हैं और बाद में भी कुछ न कुछ निकलता रहता है और उनको लेकर लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और वहां पर केस बढ़ते रहते हैं । अभी भी 100 केस सारे हिन्दुस्तान में रिजर्वेशन के बारे में हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ये जितने केसेज शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइबस के हैं, उनका फैसला करने के लिए आप एक ट्रिब्यूनल बनाइए ताकि उनका फैसला

[श्री अनादि चरण दास]

जल्दी हो सके। अभी जो आपने डी-रिजर्वेशन के बारे में कहा, इसको आप कितने साल तक रखेंगे, यह नहीं बताया। इसके लिए कोई आप खास बयान देंगे ?

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि अभी जो बेकलॉग होता है, उसका 50 पर सेन्ट ही भरते हैं, जब रिक्रूटमेन्ट करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी जो 50 पर सेन्ट रह जाते हैं, उनको फिर आगे लायेंगे और उसके बारे में आप क्या नीति बनाने जा रहे हैं, यह आप बताएं ! ये सब बातें हैं, जिन पर यहां अच्छी तरह से चर्चा नहीं हो सकती और टेबुल पर बैठकर बात करेंगे, तो कुछ हो सकता है। यह जो बयान आपने दिया है, इस से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को खास फायदा नहीं मिलेगा। किस तरह से उनको और नौकरियों में लिया जाए, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह जो चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि यह···** है। इस से हरिजनों और आदिवासियों को नुकसान होगा और उनके बहुत से लोग कट जायेंगे और उनको कोई फायदा नहीं होगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : ···** यह असंसदीय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि असंसदीय है, तो इसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : इन पर विरोधी पक्ष में जाने से असर पड़ गया है।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : इस वजह से मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस बैकलॉग को कितने दिन तक कंटीन्यू करेंगे ?

मेरा सेकिंड क्वेश्चन है कि प्राई मिनिस्टर ने 12-4-89 को एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जो आदमी रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं करेंगे उनके ऊपर हम सख्ती से एक्शन लेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उस पर आपने क्या एक्शन लिया ?

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ने कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा यदि पूरा नहीं किया गया तो सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई सरकारी आदेश जारी किये गए हैं। यदि नहीं, तो सरकार किस प्रकार इन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ? आप क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की प्रत्यक्ष भर्ती में सरकार ने शैक्षणिक योग्यता और अनुभव तथा उनके योग्यता के स्तर में उपयुक्त रियायतें दी हैं। विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय इन रियायतों को क्यों नहीं प्रकाशित किया जाता है ? उस समय भी इन रियायतों को प्रकाशित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आप क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

पूरे देश में करीब 240 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन उपक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किए गए हैं ? इस संदर्भ में सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

यह एक परम्परा रही है कि सफाई कर्मचारियों के पदों पर, जो कि शौचालयों आदि की सफाई करते हैं, सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। पहले सरकार की यही नीति रही है। आजकल उच्च जाति के लोग भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं और इन पदों पर नियुक्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या उपाय करने जा रहे हैं ? उच्च जाति के अनेक ऐसे लोग भी हैं जो इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं और नियुक्त हो रहे हैं।

अनेक वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों के लिए आरक्षण नहीं है। ऐसा शायद 1960 में किया गया था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इसमें संशोधन लाने के लिए कार्रवाई करने का विचार रखते हैं ताकि इन पदों पर कुछ आदिवासी और हरिजनों को भी नियुक्त किया जा सके। आपने बहुत लम्बी सूची दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक नई सूची प्रकाशित की जा सकती है ताकि इन पदों पर आदिवासी और हरिजनों की भी नियुक्ति हो सके।

आरक्षण नियमों में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलने पर आरक्षित रिक्त पद पर भर्ती सामान्य उम्मीदवार द्वारा की जाएगी। लिपिकों और चपरासियों जैसे सामान्य प्रकृति के पदों पर भी सामान्य उम्मीदवारों को बहाल करने के लिए इस योग्यता की आड़ में योग्य उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इस संदर्भ में आप क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

न्यायालयों में इस प्रकार के अनेक मामले लम्बित पड़े हुए हैं। इन सब मामलों का फैसला आप कैसे करेंगे ? मैं जानना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की सुनवाई के लिए क्या कोई न्यायाधिकरण बनाया जा सकता है ताकि कुछ दिनों में ही उनके मामले निपटाए जा सकें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किए जाने के सम्बन्ध में भी कुछ नियम हैं। जब वे आवेदन करते हैं तो आपको उन्हें यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देना होगा। अब 80 किलो मीटर से अधिक दूरी रहने पर ही यह भत्ता दिया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप इस नियम में कुछ छूट दे रहे हैं ताकि 20 अथवा 30 किलो मीटर की दूरी से भी हरिजन और आदिवासी उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए आ सके और अपना यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार 1.4.1989 की स्थिति के अनुसार बकाया आरक्षित पदों को अनारक्षित कर दिया जाएगा या उन्हें आगे ले जाया जायेगा। क्या इन पदों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरा जायेगा ? यह एक बहुत ही अहम् सवाल है। आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक मुद्दे हैं लेकिन मैं उन सभी मुद्दों का जिक्र करना नहीं चाहता हूं। मैंने पहले ही उन मुद्दों का जिक्र

[श्री अनादि चरण दास]

किया है । इस पर सरकार को उचित ध्यान देना चाहिए जिससे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग लाभ उठा सकें । आरक्षण नीति पर गहन चर्चा की जानी चाहिए ताकि वे इससे लाभ उठा सकें । अभी पुरानी नीति ही लागू है और इस पर नये सिरे से विचार करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट रुकिए, हमारे 'बुलेटिन' के अनुसार श्री अनादि चरण दास द्वारा प्रयुक्त शब्द असंसदीय है ।

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को अनारक्षित करने के ऊपर पाबंदी लगाने के सन्दर्भ में दिए गए वक्तव्य के लिए मैं कार्मिक मंत्रालय को बधाई देता हूं ।

दूसरे, उन पदों पर, जहां कि भर्ती का प्रतिशत 75% हो चुका है, आरक्षण का फार्मूला लागू किया है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए मैं कार्मिक मंत्रालय को बधाई देता हूं ।

सर्वप्रथम, श्री ई० अय्यपू रेड्डी के वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा । उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पद के लिए भारी संख्या में लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग में आवेदन किया है और अनेक लोगों को इसमें नौकरी नहीं मिल पाई । मैं कहना चाहूंगा कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्ग-ए और वर्ग-बी की सेवाओं में सिर्फ ऐसा होता है जहां कि अनेक लोग आवेदन करते हैं और सिर्फ कुछ लोगों को ही नौकरी मिलती है । विगत पांच वर्षों में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर सिर्फ गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री के दबाव के कारण ही शत-प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया गया था । अन्य विभागों में ऐसा नहीं हुआ है । मैं मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति का जिक्र करूंगा ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : यह संघीय सेवाओं से सम्बन्धित है ।

श्री के० प्रधानी : मैं पहले ही यह कह चुका हूं । मैं आपके वक्तव्य से सहमत हूं । प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 100 से 200 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और इससे हमारी स्थिति संतोषजनक नहीं हो पायेगी । राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों, बैंकों और रेलवे द्वारा भारी संख्या में लोगों की नियुक्ति हुई है ।

मैं मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति का जिक्र करूंगा । मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का कोटा 15% है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18% है वर्ग-I की सेवाओं में अनुसूचित जातियों की वर्तमान स्थिति 2.13; वर्ग-II में 5.31; वर्ग-III में 9.17 और वर्ग-IV में 11.7 है । अनुसूचित जनजातियों की स्थिति वर्ग-I में 1.04; वर्ग-II में 2.44; वर्ग-III में 9.45 और वर्ग-IV में 8.67 है । ये आंकड़े 1.1.1986 के अनुसार हैं । मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसका जिक्र कर रहा हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग को छोड़ कर राज्यों में तथा भारत सरकार के अन्य विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में तथा आरक्षित कोटे में बहुत अन्तर है । यही वजह है कि इस अन्तर को पूरा करने का कोई तरीका होना चाहिए । इस

प्रकार का एक नियम है कि बकाया रिक्तियों से आगे ले जाए गए पदों को प्रत्येक तीन वर्ष बाद अनारक्षित कर दिया जायेगा और उन्हें सामान्य कोटे में बदल दिया जायेगा। अब यह नियम समाप्त हो गया है। सरकार ने पदों को अनारक्षित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, अब कोई भी पद अनारक्षित नहीं किया जायेगा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति सिर्फ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा ही की जायेगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद बात है। कुल मिला कर मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ग-III और वर्ग-IV के पदों पर नियुक्ति के सन्दर्भ में नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि साधारणतः जनजातीय लोगों में साक्षरता का प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लोगों की अपेक्षा कम है। ऐसा इसलिए है कि अनुसूचित जातियों के लोग एक समान ढंग से पूरे देश में फैले हुए हैं जबकि अनुसूचित जनजातियों के लोग कुछ इलाकों में ही सीमित हैं। फिर, निर्धनता के कारण जनजातीय लोगों के बच्चों की शिक्षा भी बहुत कम होती है। यहां तक कि जब उनके बच्चों को आवासीय विद्यालयों में रहने और पढ़ने की सुविधा प्राप्त होती है तब भी ये बच्चे वहां ठहरना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके माता-पिता निर्धन हैं और वे उन बच्चों को लकड़ी चुनने और मवेशियों को चराने के काम में लगाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कल्याण मंत्रालय ने उनके माता-पिता को कुछ प्रोत्साहन देने की भी योजना शुरू की है। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि इस योजना को सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाए ताकि ये गरीब माता-पिता अपने बच्चों को लकड़ी चुनने या मवेशी चराने के काम में लगाने की चेष्टा न करें बल्कि शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्हें विद्यालयों में भेजें। प्रोत्साहन के रूप में यह रकम उनके माता-पिता को दी जानी चाहिए और जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उनकी शिक्षा की प्रतिशतता में वृद्धि हो सके।

जहां तक भर्ती किए जाने की नीति का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि विशेषकर वर्ग 'सी' और वर्ग 'डी' के पदों के सम्बन्ध में परिवर्तन किये जायें। श्री अय्यपू रेड्डी ने इस बात का जिक्र किया था कि जहां वर्ग 'ए' और 'बी' के पदों के लिए भारी संख्या में आवेदक हैं, वहीं वर्ग 'सी' और 'डी' पदों के लिए पर्याप्त आवेदक नहीं हैं जबकि इस श्रेणी के पदों के लिए प्रत्येक राज्य में भारी संख्या में बकाया रिक्तियां हैं। वर्ग-III की रिक्तियों के लिए 18% के कोटे की जगह सिर्फ 9.45% रिक्तियां भरी गई हैं और वर्ग-IV के 18% के कोटे की जगह यह सिर्फ 8.64% है। क्या आप यह बताना चाहते हैं कि वर्ग-III और IV के पदों पर भर्ती के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं है? इसके लिए उम्मीदवार तो हैं लेकिन वे अपने जिले से बाहर के स्थानों पर जाना नहीं चाहते हैं। वे राज्य के कुछ हिस्सों में सीमित हैं और वे चपरासी अथवा लिपिकों के रूप में अन्य जगहों पर काम करने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। वे वर्ग-I और II के पदों पर काम करने के लिए जाने को तैयार हैं। यहां मैं उड़ीसा का जिक्र करना चाहूंगा। उड़ीसा में 13 जिले हैं और उनकी संख्या पांच जिलों में अधिक है, जहां उनका प्रतिशत 50 से 73 तक है। उड़ीसा में हमारी जनजातीय परामर्श-दात्री परिषद् में मुख्यमंत्री ने जिला आरक्षण नीति अपनाई थी और जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार हम जिलों में आरक्षण लागू करते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग की वर्ष 1984 की रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि यदि प्रत्येक जिले में इस जिलेवार फार्मूले को अपनाया जाये तो वर्ग-III और IV के पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों के कोटे की भी पूर्ति हो जाएगी। कार्मिक मंत्रालय को इस मुद्दे

[श्री के० प्रधानी]

पर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक राज्य को इस जिला-आरक्षण पद्धति को अपनाने के निर्देश जारी करने चाहिए।

6.35 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 12 मई, 1989/22 वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रैस, 1867 चीराखाना, नई सड़क, दिल्ली-110006